2. बैंकिंग सांख्यिकी

भारत में बैंकिंग प्रणाली में समाविष्ट हैं वाणिज्यिक और सहकारी बैंक, जिनमें से वाणिज्यिक बैंक बैंकिंग प्रणाली की 90 प्रतिशत से अधिक आस्तियों के लिए जवाबदेह हैं । कुछ विदेशी बैंकों और भारतीय निजी बैंकों के अतिरिक्त वाणिज्यिक बैंकों में समाविष्ट हैं राष्ट्रीयकृत बैंक (अधिकांश इक्विटी धारण सरकार के पास), भारतीय स्टेट बैंक (अधिकांश शेयर भारतीय रिज़र्व बैंक के पास) और भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक (अधिकांश शेयर भारतीय स्टेट बैंक के पास) । ये बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ भारत में सरकारी क्षेत्र (राज्य के स्वामित्व में) की बैंकिंग प्रणाली का संघटन करते हैं । सहकारी संस्थाओं सहित भारतीय बैंकिंग की एक आरेखी संरचना चित्र 2.1 में प्रस्तुत की गयी है। भारत में बैंकिंग सांख्यिकी का संकलन और प्रसार प्रमुख रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किया जाता है । चूँकि आँकड़ा संग्रहण तंत्र और उसके प्रसार के मानक वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के लिए बदलते रहते हैं, इसलिए यह अध्याय वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए प्रासंगिक ब्यौरे अलग से प्रस्तुत करता है । तथापि, कुछ अधिव्याप्त जानकारी होती है, जो वाणिज्यिक और सहकारी, दोनों ही प्रकार के बैंकों से संगृहीत की जाती है । तदनुसार, खंड 2.1 में वाणिज्यिक बैंक से संबंधित जानकारी दी गयी है, जबकि सहकारी बैंकों से संबंधित जानकारी खंड 2.2 में दी गयी है ।

2.1. वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में बैंकिंग सांख्यिकी

केंद्रीय बैंकिंग कार्यकलापों और देश की बैंकिंग प्रणाली के समग्र आर्थिक परिदृश्य के भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक विविध प्रकार की सांविधिक और नियंत्रण (गैर-सांविधिक) विवरणियों के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली के संबंध में पर्याप्त जानकारी एकत्र करता है । नियंत्रण विवरणियों में बैंकिंग से संबंधित जानकारी के विविध पहलू, यथा, जमा और ऋण के क्षेत्रवार वितरण,

चित्र 2.1 : भारतीय बैंकिंग की संरचना

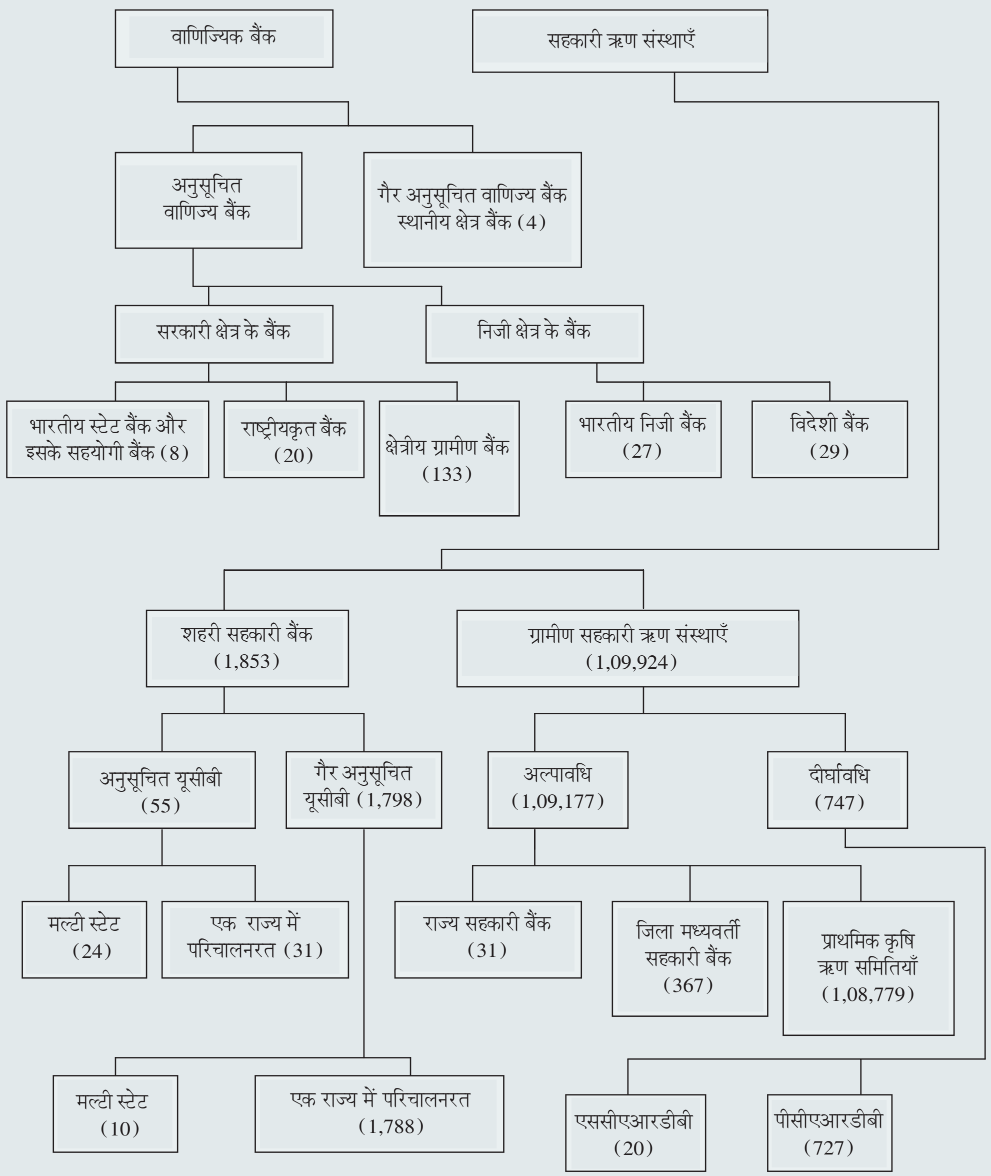

एससीएआरडीबी : राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
यूसीबी : शहरी सहकारी बैंक
पीसीएआरडीबी : प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
टिप्पणी : कोष्ठक में दिये गये आँकड़े अंत-मार्च 2006 को संस्थाओं की संख्या बताते हैं । तथापि, ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के लिए यह संख्या अंत-मार्च 2005 की है ।

अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र, आदि शामिल होते हैं । प्रत्येक पहलू को पुनः इसकी अलग सांख्यिकीय प्रणाली द्वारा परिभाषित किया जाता है । इस पृष्ठभूमि में सांविधिक विवरणियों और नियंत्रण या विशेष विवरणियों पर आधारित जानकारी अलग से प्रस्तुत की जाती है ।

2.1.1. सांविधिक विवरणियों पर आधारित सांख्यिकी

भारतीय रिज़र्व बैंक में विविध सांविधिक विवरणियों के माध्यम से प्राप्त आँकड़ों का उपयोग मुख्यतः मौद्रिक नीति के निर्माण और नियामक निर्धारणों में किया जाता है । तथापि, केवल कुछ विवरणियों पर आधारित जानकारी जनता में प्रसारित की जाती है । उनमें से, बैंकों द्वारा दो विवरणियों/रिपोर्टों पर सांविधिक रूप से फाइल की गयी सांख्यिकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, यथा, फार्म ए/बी और बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट (तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा) । इन पर नीचे चर्चा की गयी है ।

2.1.1.1. भारत में सभी अनुसूचित बैंकों के कारोबार

सांविधिक फार्म ए/बी विवरणियों पर आधारित एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण सांख्यिकी, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ बुलेटिन) द्वारा प्रसारित किया जाता है, को ''भारत में सभी अनुसूचित बैंकों के कारोबार'' शीर्षक से प्रकाशित किया जाता है । प्रत्येक अनुसूचित बैंक (वाणिज्यिक और सहकारी बैंक) को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास एक पाक्षिक विवरणी प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें इसे भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अनुसार रिपोर्टिंग शुक्रवार को कारोबार समाप्ति पर भारत में अपनी आस्तियों और देयताओं की प्रमुख मदों को दर्शाना होता है । अनुसूचित बैंकों को प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार के अनुसार, यदि वह रिपोर्टिंग शुक्रवार नहीं है, एक विशेष विवरणी भी प्रस्तुत करनी होती है । यह विवरणी एक विहित प्रपत्र में, यथा, फार्म ए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए और फार्म बी अनुसूचित सहकारी बैंकों के लिए, प्रस्तुत की जाती है। अनंतिम आँकड़े संदर्भ तिथि के 7 दिनों के भीतर और अंतिम आँकड़े 21 दिनों के भीतर प्रस्तुत किये जाने होते हैं। प्रपत्र ए का फार्मेट ''मुद्रा आपूर्तिः एनैलिटिक्स एंड मेथोडोलाजी ऑफ कंपाइलेशन'' के संबंध में कार्यकारी दल (अध्यक्षःवाई.वी.रेड्डी) की सिफारिशों के आधार पर अक्तूबर 1998 में संशोधित किया गया था । वित्तीय क्षेत्र में उदारीकरण और अविनियमन के कारण जो आँकड़ा-अंतराल बन गया था, उसे भरने के प्रयास में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया है कि वे रेड्डी समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप 9 अक्तूबर 1998 से इन विवरणियों की रिपोर्ट धारा 42(2) के अंतर्गत संशोधित फार्मेट में करें । संशोधित फार्मेट में शामिल है फार्म 'ए' का ज्ञापन (चुकता पूँजी, आरक्षित निधियाँ, आदि), अनुबंध 'ए' (विदेशी मुद्रा देयताओं और आस्तियों के ब्यौरे) और अनुबंध 'बी' (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश के ब्यौरे)।

धारा 42(2) के अंतर्गत प्रस्तुत अनंतिम आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा साप्ताहिक प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से प्रकाशित किये जाते हैं तथा इन्हें आरबीआइ बुलेटिन के साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक (डब्लूएसएस) में भी प्रकाशित किया जाता है । धारा 42(2) के अंतर्गत प्रस्तुत विवरणी के अंतिम आँकड़े प्रत्येक महीने आरबीआइ बुलेटिन में दो सारणियों, यथा, i) सभी अनुसूचित बैंक-भारत में कारोबार और ii) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक-भारत में कारोबार, में प्रकाशित किये जाते हैं ।

2.1.1.1.2. आँकड़ों के मापन की आवश्यकता

धारा 42(2) के अंतर्गत आँकड़े प्रमुख रूप से भारत में परिचालनरत अनुसूचित बैंकों द्वारा सांविधिक

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के अनुपालन का अनुश्रवण करने और मुद्रा आपूर्ति संबंधी संकलन के लिए भी संगृहीत किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त इन आँकड़ों का उपयोग भारत में समग्र बैंकिंग कारोबार का अनुश्रवण करने के लिए भी किया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण संकेतकों, यथा, सकल जमाराशि, बैंक ऋण, निवेश, आदि, की प्रवृत्ति शामिल होती है । इन आँकड़ों को आरबीआइ के दो सांविधिक प्रकाशनों, यथा, (i) आरबीआइ की वार्षिक रिपोर्ट और (ii) भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति के संबंध में रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है ।

2.1.1.1.3. अवधारणाएँ, परिभाषाएँ और वर्गीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित बैंक को रिज़र्व बैंक के पास एक विवरणी प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें (i) इसकी मांग और मीयादी देयताओं की राशि और भारत में बैंकों से लिये गये उधार की राशि, जिन्हें मांग और मीयादी देयताओं में वर्गीकृत किया गया हो, (ii) इसके द्वारा भारत में धारित वैध मुद्रा नोटों और सिक्कों की कुल राशि, (iii) इसके द्वारा अन्य बैंकों के पास चालू खाता में रखे गये जमाशेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि, (iv) केंद्र और राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेश (बही मूल्य पर), जिसमें खजाना बिल और कोषागार जमा रसीदें शामिल हैं, (v) भारत में अग्रिमों की राशि, (vi) देशी बिल, जो भारत में खरीदे और भुनाये गये हों और विदेशी बिल, जिन्हें प्रत्येक वैकल्पिक शुक्रवार को खरीदा और भुनाया गया हो, दर्शाया जाता है और ऐसी प्रत्येक विवरणी उस तिथि से सात दिनों के भीतर भेजी जानी होती है, जिससे वह संबंधित होती है ।

प्रभावी रूप से फार्म 'ए' और फार्म 'बी' में कोई अंतर नहीं होता है, सिवाय एक मद, यथा, 'बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं' के अंतर्गत 'मांग और मीयादी देयताएँ' के, जिसके लिए सहकारी बैंकों के मामले में (अर्थात् फार्म 'बी' में) मांग देयताओं और मीयादी देयताओं के अलग-अलग विवरण दिये जाते हैं ।

बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताओं और भारत में अन्य के प्रति देयताओं की परिभाषा/ वर्गीकरण निम्नलिखित पैराग्राफों में दिये गये हैं ।

I. भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएँ
   - क) बैंकों से मांग और मीयादी जमा
   - ख) बैंकों से उधार (इसमें अंतर-बैंक उधार और अंतर-बैंक मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय जमा राशि, जो 14 दिनों से अनधिक के लिए हों, शामिल है) ।
   - ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएँ ।

II. भारत में अन्य के प्रति देयताएँ
   - क) कुल जमाराशियाँ (बैंकों से भिन्न)
     - i) मांग
     - ii) मीयादी
   - ख) उधार (उधार द्योतक होता है 'बैंकिंग प्रणाली' के बाहर से लिये गये कुल उधार का । इस मद में एलआइसी, यूटीआइ, आदि से प्राप्त मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल की जाती है, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड, एक्ज़िम बैंक, आदि से उधार को शामिल नहीं किया जाता है) ।
   - ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएँ ।

मांग जमाराशियों में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं :

(i) चालू जमाराशियाँ

(ii) बचत बैंक जमा का मांग देयताओं वाला हिस्सा

(iii) साख-पत्र/गारंटियों की जमानत पर धारित मार्जिन

(iv) अतिदेय सावधि जमा में शेष

(v) नकदी प्रमाणपत्र

(vi) संचयी/आवर्ती जमा

(vii) बकाया तार और डाक अंतरण

(viii) मांग ड्राफ्ट

(ix) दावा नहीं की गयी जमाराशि

(x) कैश क्रेडिट खाते में जमाशेष

(xi) मांग पर देय अग्रिमों के लिए प्रतिभूति के रूप में धारित जमाराशि

मीयादी जमा में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं :

(i) सावधि जमा

(ii) नकदी प्रमाणपत्र

(iii) संचयी और आवर्ती जमा

(iv) बचत बैंक खाते का मीयादी देयताओं वाला भाग

(v) स्टाफ प्रतिभूति जमा

(vi) साख-पत्र की जमानत पर धारित मार्जिन, यदि मांग पर देय नहीं हो

(vii) अग्रिमों के लिए प्रतिभूति के रूप में धारित सावधि जमा

(viii) एलआइसी, यूटीआइ, आदि से प्राप्त राशि, जो 14 दिनों या से अधिक की सूचना पर प्रतिदेय हो।

अन्य मांग और मीयादी देयताओं में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं :

(i) जमाराशियों पर प्रोद्भूत ब्याज

(ii) देय बिल

(iii) अदत्त लाभांश

(iv) उचंत खाता शेष, जो अन्य बैंकों या जनता को देय राशि के द्योतक होते हैं

(v) बैंकों से भिन्न अन्य वित्तीय संस्थाओं को जारी किये गये सहभागिता प्रमाणपत्र

(vi) 'बैंकिंग प्रणाली' को देय अन्य राशि, जो जमा या उधार के स्वरूप की नहीं है । (ऐसी देयताएँ उन मदों के कारण हो सकती हैं, यथा (क) अन्य बैंकों की ओर से बिलों की वसूली (ख) अन्य बैंकों को देय ब्याज, इत्यादि । जब कभी समस्त 'अन्य मांग और मीयादी देयताओं' से 'बैंकिंग प्रणाली' के प्रति देयताओं को अलग करना संभव नहीं होता है, तब समूचे 'अन्य मांग और मीयादी देयताओं' को 'अन्य' के प्रति देयताओं के रूप में माना जाता है) ।

III. बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियाँ

बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियों में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं :

क. बैंकिंग प्रणाली के पास चालू खाता में जमाशेष

ख. अन्य बैंकों के पास अन्य खातों में जमाशेष

ग. *मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि* : यह उन निधियों का द्योतक होता है, जो 'बैंकिंग प्रणाली' को ऐसे ऋणों या जमाराशियों के रूप में उपलब्ध करायी जाती हैं, जो मांग या 14 दिनों या कम की अल्प सूचना पर प्रतिदेय हो।

घ. *बैंकों को अग्रिम, अर्थात् बैंकों से प्राप्य:* यह 'बैंकिंग प्रणाली' को उपलब्ध कराये गये 'मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि' से भिन्न ऋणों का द्योतक होता है। इसमें खरीदे गये सहभागिता प्रमाणपत्र को भी शामिल किया जाता है।

ङ. *अन्य आस्तियाँ :* कोई अन्य राशि, जो 'बैंकिंग प्रणाली' से प्राप्य हो, जिसे उपर्युक्त तीन मदों में से किसी के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है । उदाहरण के लिए अन्तर-बैंक प्रेषण सुविधा योजना के मामले में आज की तिथि में किसी बैंक की अन्य बैंकों के पास रखी कुल

राशि (मार्गस्थ या अन्य खाते में) को यहाँ दर्शाया जाता है, क्योंकि ऐसी रकम को 'जमाशेष' या 'मांग मुद्रा', या 'अग्रिमों' के रूप में नहीं माना जा सकता ।

IV. भारत में नकदी (अर्थात् हाथ में नकदी)

हाथ में नकदी तिजोरी धन के रूप में बैंकों द्वारा धारित नोटों और सिक्कों का द्योतक होती है । इसमें विदेशी मुद्रा को शामिल नहीं किया जाता है ।

V. भारत में निवेश

निवेश (अ) सरकारी प्रतिभूतियों और (आ) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में कुल निवेश को इंगित करते हैं ।

अ. *सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश*

(i) केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ, जिनमें खजाना बिल शामिल हैं

(ii) कोषागार जमा रसीदें

(iii) कोषागार बचत जमा प्रमाणपत्र

(iv) डाकघर की देयताएँ, यथा, राष्ट्रीय योजना प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, आदि

(v) बी.आर.ऐक्ट, 1949 की धारा 11(2) के अंतर्गत विदेशी अनुसूचित बैंकों द्वारा जमा की गयी सरकारी प्रतिभूतियाँ ।

आ. *अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश :*

(i) राज्य से संबद्ध निकायों, यथा, बिजली बोर्ड, आवास बोर्ड की प्रतिभूतियाँ और निगम बांड

(ii) भूमि विकास बैंकों के डिबेंचर

(iii) यूटीआइ की यूनिटें

(iv) आरआरबी, आदि के शेयर, जिन्हें बी.आर.एक्ट, 1949 की धारा 5(क) के अंतर्गत अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में माना जाता है।

VI. भारत में बैंक ऋण (अंतर-बैंक अग्रिमों को छोड़कर)

भारत में बैंक ऋण तीन मदों, यथा, (क) ऋण, कैश क्रेडिट एवं ओवरड्राफ्ट, (ख) देशी बिल - खरीदे और भुनाये गये और (ग) विदेशी बिल - खरीदे और भुनाये गये, का जोड़ है। भारतीय रिज़र्व बैंक, आइडीबीआइ और अन्य वित्तीय संस्थाओं में पुनः भुनाये गये बिलों (देशी और विदेशी) को इस शीर्ष में शामिल नहीं किया जाता है ।

क) *ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट*

(i) मांग ऋण

(ii) मीयादी ऋण

(iii) कैश क्रेडिट

(iv) ओवरड्राफ्ट

(v) पैकिंग ऋण, आदि, जो घटकों (बैंकों से भिन्न) को दिये जाते हैं

(vi) किसी अन्य प्रकार की ऋण सुविधा, जो खरीदे और भुनाये गये बिल से भिन्न हो

ख) *देशी बिल - खरीदे और भुनाये गये*

भारत में आहरित और देय देशी बिल, जिनमें खरीदे गये मांग ड्राफ्ट और चेक शामिल हैं । खरीदे और भुनाये गये बिलों के लिए अलग-अलग विश्लेषित विवरण प्रस्तुत किये जाते हैं।

ग) *विदेशी बिल - खरीदे और भुनाये गये*

विदेशी बिलों में वे सभी प्रकार के निर्यात और आयात बिल शामिल होते हैं, जिन्हें भारत में खरीदा और भुनाया जाता है और इनमें विदेशी मुद्रा में आहरित

चेक, मांग ड्राफ्ट जिन्हें भारत में बैंकों के कार्यालय में अदा किया जाता है, शामिल होते हैं । खरीदे और भुनाये गये बिलों के लिए अलग-अलग विश्लेषित विवरण प्रस्तुत किये जाते हैं ।

कोर विवरणी के अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण मदों की रिपोर्ट की जाती है । इनमें शामिल होते हैं : (क) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के प्रयोजनार्थ निवल मांग और मीयादी देयताएँ = बैंकिंग प्रणाली के प्रति निवल देयताएँ + भारत में अन्य के प्रति देयताएँ, अर्थात् (I-III) + II, यदि (I-III) धन अंक हो या केवल II, यदि (I-III) ऋण अंक हो , (ख) अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखने के लिए अपेक्षित न्यूनतम जमा की राशि और (ग) बचत बैंक खाते के अंतर्गत देयताएँ -जिन्हें पुनः मांग देयताओं और मीयादी देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

इन मदों के अतिरिक्त, फार्म 'ए' में शामिल होते हैं ज्ञापन, अनुबंध ए और अनुबंध बी। इन अतिरिक्त आँकड़ों को रिपोर्ट किया जाना मुद्रा आपूर्ति:एनैलिटिक्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ कंपाइलेशन, 1998 के संबंध में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार 9 अक्तूबर 1998 से आरंभ किया गया ।

VII. ज्ञापन में निम्नलिखित के संबंध में आँकड़ों की रिपोर्ट की जाती है :

क. चुकता पूँजी

ख. आरक्षित निधियाँ (मुक्त और सांविधिक आरक्षित निधियाँ, जो अंतिम तुलन पत्र के अनुसार होती हैं और अगले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र के जारी किये जाने तक प्रत्येक पखवाड़े में इसकी रिपोर्ट की जाती है) ।

ग. मीयादी जमा, जिसमें बचत बैंक खाते का मीयादी देयताओं वाला भाग दिया जाता है (जिसे अल्पावधि और दीर्घावधि में विखंडित किया जाता है) ।

घ. जमा प्रमाणपत्र ।

ङ. निवल मांग और मीयादी देयताएँ

च. सीआरआर की वर्तमान दर के अनुसार बनाये रखी जाने वाली जमाराशि

छ. कोई अन्य देयता, जिसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) और 42 (1ए) के अंतर्गत सीआरआर रखना अपेक्षित होता है।

ज. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) और 42(1ए) के अंतर्गत बनाये रखने के लिए अपेक्षित कुल सीआरआर ।

फार्म ए के अनुबंध ए में बही मूल्य पर और पुनर्मूल्यन के बाद मूल्य पर विदेशी मुद्रा में बकाया देयताओं और आस्तियों के ब्यौरे ब्याज सहित दिये जाते हैं, जैसाकि नीचे बताया गया है :

देयताएँ :

भारत में अन्य के प्रति देयताएँ

I. अनिवासी जमा
- I.1 अनिवासी बाह्य रुपया खाता (एनआरई)
- I.2 अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय रुपया खाता (एनआरएनआर)
- I.3 विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक योजना [एफसीएनआर(बी)](I.3.1+I.3.2)
  - I.3.1 अल्पावधि
  - I.3.2 दीर्घावधि
- I.4 अन्य

II. अन्य जमा/योजनाएँ
- II.1 विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता
- II.2 निवासी विदेशी मुद्रा खाता
- II.3 भारतीय निर्यातकों द्वारा एस्क्रो[1] खाता

[1] एस्क्रो खाता : एक न्यासी खाता, जो उधारकर्ता के नाम में रखा जाता है और करों, बीमा, आदि जैसे दायित्वों का भुगतान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है ।

II.4 पोतलदानपूर्व ऋण खाते के लिए विदेशी ऋण की व्यवस्था और बिलों की समुद्रपार पुनर्भुनाई

II.5 एसीयू (अमरीकी डालर) खाते में जमाशेष

II.6 अन्य

III. भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति विदेशी मुद्रा देयताएँ

III.1 अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा जमाराशियाँ

III.2 अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा उधार

IV. समुद्रपार उधारों में सभी नोस्त्रो[2] खातों में कुल अधि आहरण शामिल होते हैं और उनका समायोजन अन्य नोस्त्रो खातों में जमाशेष के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसमें विदेशी बाजार या प्रधान कार्यालय (विदेशी बैंकों के मामले में) से लिये गये कोई अन्य उधार शामिल होते हैं।

आस्तियाँ:

V. भारत में बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियाँ

V.1 विदेशी मुद्रा में उधार देना

V.2 अन्य

VI. भारत में अन्य के पास आस्तियाँ

VI.1 भारत में विदेशी मुद्रा में बैंक ऋण

VI.2 अन्य

VII. समुद्रपार विदेशी मुद्रा आस्तियाँ : इनमें विदेशों में धारित जमाशेष, अर्थात् (i) नोस्त्रो खाते का नकदी घटक, एसीयू (अमरीकी डालर) खाते में नामे शेष और एसीयू देशों के वाणिज्यिक बैंकों में जमाशेष, (ii) अल्पावधि विदेशी जमाराशियाँ और पात्र प्रतिभूतियों में निवेश, (iii) विदेशी मुद्रा बाजार लिखत, जिसमें खजाना बिल शामिल हैं और (iv) विदेशी शेयर और बांड शामिल होते हैं।

विविध योजनाओं के अंतर्गत विदेशी मुद्राओं में देयताओं का पुनर्मूल्यन एफईडीएआई सांकेतिक दरों पर किया जाता है। जहाँ तक ब्याज का संबंध है, बैंक सभी देयताओं के संबंध में प्रोद्भूत ब्याज की रिपोर्ट करते हैं।

VIII. विभेदक/शून्य सीआरआर निर्धारण के अधीन अन्य के प्रति बाह्य देयताएँ (I+II)

IX. सीआरआर निर्धारण (IV) के पूर्णतया अधीन बाह्य देयताएँ

X. निवल अंतर-बैंक देयताएँ (फार्म ए का I-III)

XI. शून्य निर्धारण के क्षेत्र के अंदर आने वाली कोई अन्य देयताएँ

XII. शून्य सीआरआर निर्धारण (VIII+X+XI) के अधीन देयताएँ

फार्म ए के अनुबंध बी में निम्नलिखित की रिपोर्ट उनके बही मूल्य पर और पुनर्मूल्यन के बाद के मूल्य पर की जाती है :

अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश शामिल होते हैं, जिन्हें अल्पावधि (एक वर्ष या कम की संविदागत परिपक्वता वाली) और दीर्घावधि (एक वर्ष से अधिक संविदागत परिपक्वता वाली) में विखंडित किया जाता है।

गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश में वाणिज्यिक पत्र, यूटीआई और अन्य म्युचुअल फंडों की यूनिटें, शेयर और डिबेंचर शामिल होते हैं।

बैंकों को अनुमोदित प्रतिभूतियों में अपने निवेश का पुनर्मूल्यन तिमाही आधार पर करना होता है। जहाँ तक गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश के पुनर्मूल्यांकन का संबंध है, उनकी रिपोर्ट तब की जाती है, जैसे और

[2] नोस्त्रो खाता : ऐसा खाता होता है, जिसे एक बैंक विदेश में किसी बैंक के पास रखता है, जो सामान्यतः विदेश की मुद्रा में होता है।

जब बैंक वर्तमान प्रथा/अनुदेशों के अनुसार अपने निवेशों का पुनर्मूल्यन करते हैं ।

2.1.1.1.4. स्रोत और प्रणालियाँ

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से आँकड़े फार्म ए में भिन्न-भिन्न बैंक समूहों के सभी बैंकों से प्राप्त किये जाते हैं, यथा, (क) भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहायक बैंक, (ख) राष्ट्रीयकृत बैंक, (ग) अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक, (घ) विदेशी बैंक और (ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक । अनुसूचित सहकारी बैंकों से आँकड़े फार्म बी के फार्मेट में उन सभी बैंकों से लिये जाते हैं, जो दो कोटियों, यथा, (क) अनुसूचित राज्य सहकारी संस्थाओँ और (ख) अनुसूचित शहरी सहकारी संस्थाओँ के अंतर्गत आते हैं ।

अनुसूचित वाणिज्य बैंक (आरआरबी से भिन्न) फार्म 'ए' विवरणी ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं । क्षेत्रीय गामीण बैंकों के लिए आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग (ग्राआऋवि) द्वारा प्राप्त किये जाते हैं । अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों और अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के आँकड़े अंतिम फार्म 'बी' में भारतीय रिजर्व बैंक के क्रमशः ग्राआऋवि और शहरी बैंक विभाग (श.बैं.वि.) में प्राप्त किये जाते हैं । इन आँकड़ों को वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित आँकड़ों के साथ मिला दिया जाता है और सभी अनुसूचित बैंकों के लिए समेकित विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक के सांविकंसेवि द्वारा तैयार किये जाते हैं ।

2.1.1.1.5. गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करना

इन आँकड़ों को अंतिम रूप देने के पूर्व निम्नलिखित आँकड़ा-जाँच की जाती है :

(i) किसी खास पखवाड़े के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के मामले में प्रत्येक बैंक के संबंध में एक भूल रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें विवरणी की उन सभी मदों को सूचीबद्ध किया जाता है, जिनमें पिछले रिपोर्टिंग पखवाड़े के स्तर से या तो 20% से अधिक की घट-बढ़ होती है या 5 करोड़ रुपये से अधिक का अंतर होता है । इस सूची की जाँच फार्म 'ए' विवरणी की हार्ड कॉपी से की जाती है और पंचिंग में यदि भूल पायी गयी, तो उसे सुधारा जाता है ।

(ii) वाणिज्यिक बैंकों के मामले में प्रत्येक बैंक के संबंध में किसी खास पखवाड़े के लिए एक भूल रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें विवरणी की उन सभी मदों को सूचीबद्ध किया जाता है, जिनमें पिछले रिपोर्टिंग पखवाड़े के स्तर से या तो 20% से अधिक की घट-बढ़ होती है या 50 करोड़ रुपये से अधिक का अंतर होता है। अपेक्षित होने पर संबंधित बैंकों से स्पष्टीकरण के लिए संपर्क किया जाता है और भूल सुधार किये जाते हैं।

(iii) इन विवरणियों की विधिवत् जाँच सांख्यिकीय संगति के लिए भी की जाती है, जिसके लिए 3-सिगमा/5-सिगमा रिपोर्टें तैयार की जाती हैं।

(iv) अंत में, अनंतिम आंकड़ों से बैंक समूह स्तर के समुच्चयों की जाँच की जाती है।

2.1.1.2. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की वार्षिक रिपोर्टें

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की वार्षिक रिपोर्टों में आँकड़ा संबंधी मदों की रिपोर्टिंग करने की वर्तमान संरचना 1992-93 से बैंकों के वार्षिक लेखों के संबंध में घोष समिति रिपोर्ट (1985) की सिफारिशों के अनुसार है । मूल मदों को प्रारंभ में विविध ब्लॉकों (जिन्हें 'अनुसूची' कहते हैं) में वर्गीकृत किया जाता है और आँकड़ों की रिपोर्टिंग सांविधिक रूप से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के अंतर्गत की जाती है । विस्तृत बैंकवार आँकड़े, जो वार्षिक रिपोर्टों पर आधारित होते हैं, 'भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियाँ' में

प्रकाशित किये जाते हैं । वाणिज्यिक बैंकों के तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा की अनसूचियों में प्रत्येक मद की अलग-अलग परिभाषा अनुबंध 2.1 में दी गयी है । इस प्रकाशन की सारणीवार प्रमुख विषय-वस्तु अनुबंध 2.2 में प्रस्तुत की गयी है । 'भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियाँ' में प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट जानकारी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण अनुपातों की परिभाषाएँ/अवधारणाएँ निम्नानुसार हैं :

क) (i) नकदी - जमा अनुपात में *नकदी* में शामिल होती है हाथ में नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष ।

(ii) निवेश - जमा अनुपात में *निवेश* गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश सहित कुल निवेश का द्योतक होता है ।

(iii) *निवल ब्याज मार्जिन* को कुल अर्जित ब्याज घटाव कुल अदा ब्याज के रूप में परिभाषित किया जाता है ।

(iv) *मध्यस्थता लागत* को कुल परिचालन व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है ।

(v) *वेतन बिलों* को कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए किये गये प्रावधान के रूप में परिभाषित किया जाता है ।

(vi) *परिचालन लाभ* को कुल आमदनी घटाव कुल खर्च के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें प्रावधान और आकस्मिकताएँ शामिल नहीं होती हैं, और

(vii) *भार* को कुल ब्याजेतर व्यय घटाव कुल ब्याजेतर आय के रूप में परिभाषित किया जाता है ।

ख) पूँजी, आरक्षित निधियाँ, जमाराशियाँ,उधार, अग्रिम, निवेश और आस्तियों/देयताओं जैसी मदें, जिनका उपयोग विविध वित्तीय अर्जनों/व्ययों के अनुपातों की गणना करने के लिए किया जाता है, दो प्रासंगिक वर्षों का औसत होती हैं।

ग) (i) नकदी - जमा अनुपात = (हाथ में नकदी +भा.रि.बैंक में जमाशेष)/जमाराशियाँ ।

(ii) कुल अग्रिमों में प्रतिभूत अग्रिमों का अनुपात = (मूर्त आस्तियों की जमानत पर अग्रिम + बैंक या सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित अग्रिम)/अग्रिम ।

(iii) कुल आस्तियों में ब्याज-आय का अनुपात = अर्जित ब्याज/कुल आस्तियाँ ।

(iv) कुल आस्तियों में निवल ब्याज मार्जिन का अनुपात = (अर्जित ब्याज - अदा किया गया ब्याज)/कुल आस्तियाँ ।

(v) कुल आस्तियों में ब्याजेतर आय का अनुपात = अन्य आय/कुल आस्तियाँ ।

(vi) कुल आस्तियों में मध्यस्थता लागत का अनुपात = परिचालन व्यय/कुल आस्तियाँ।

(vii) मध्यस्थता लागत (परिचालन व्यय) में वेतन बिल का अनुपात = वेतन बिल/परिचालन व्यय ।

(viii) कुल व्यय में वेतन बिल का अनुपात = वेतन बिल/कुल व्यय ।

(ix) कुल आय में वेतन बिल का अनुपात = वेतन बिल/कुल आय ।

(x) कुल आस्तियों में भार का अनुपात = (परिचालन व्यय - अन्य आय)/कुल आस्तियाँ ।

(xi) ब्याज आय में भार का अनुपात = (परिचालन व्यय - अन्य आय)/ब्याज आय।

(xii) कुल आस्तियों में परिचालन लाभ का अनुपात = परिचालन लाभ/कुल आस्तियाँ ।

(xiii) किसी बैंक समूह के लिए आस्तियों पर प्रतिलाभ उस समूह में अलग-अलग

बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ के भारित औसत के रूप में प्राप्त किया जाता है, जिसमें भार तदनुरूपी बैंक समूह के सभी बैंकों की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उस बैंक की कुल आस्तियों का समानुपाती होता है ।

(xiv) इक्विटी पर प्रतिलाभ = निवल लाभ/(पूँजी + आरक्षित निधियाँ और अधिशेष) ।

(xv) जमाराशियों की लागत = जमाराशियों पर दिया गया ब्याज/जमाराशियाँ ।

(xvi) उधारों की लागत = भा.रि.बैंक और अन्य से उधार पर दिया गया ब्याज/उधार ।

(xvii) निधियों की लागत = जमाराशियों और उधारों पर दिया गया कुल ब्याज/(जमाराशियाँ+उधार) ।

(xviii) अग्रिमों पर प्रतिलाभ = अग्रिमों पर अर्जित ब्याज/अग्रिम ।

(xix) निवेशों पर प्रतिलाभ = निवेशों पर अर्जित ब्याज/निवेश ।

(xx) निधियों की लागत में समायोजित अग्रिमों पर प्रतिलाभ = अग्रिमों पर प्रतिलाभ - निधियों की लागत ।

(xxi) निधियों की लागत में समायोजित निवेशों पर प्रतिलाभ = निवेशों पर प्रतिलाभ - निधियों की लागत ।

2.1.1.2.1. स्रोत और प्रणालियाँ

तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा के आँकड़े, जो 'भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियाँ' में प्रकाशित किये जाते हैं, वे बैंकों की वार्षिक रिपोर्टों से लिये जाते हैं। तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा लेखापरीक्षित जानकारी पर आधारित होते हैं और इस प्रकार आँकड़ों की गुणवता स्वतः सुनिश्चित हो जाती है । आँकड़ों के प्रस्तुतीकरण की सांविधिक समय-सीमा संदर्भ तिथि, अर्थात् 30 जून से 3 महीनों की होती है ।

2.1.1.2.2. गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करना

गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जाते हैं :

(i) वार्षिक रिपोर्टें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त की जाती हैं।

(ii) अपेक्षित फील्ड में डाटा प्रविष्टि की जाती है और संबंधित सारणियों के लिए अपेक्षित गणना की जाती है ।

(iii) यदि कोई विसंगति पायी जाती है , तो आँकड़ों की पुनः जाँच मूल स्रोत, अर्थात् बैंकों की वार्षिक रिपोर्टों से की जाती है ।

(iv) संगति परीक्षण के लिए विविध सारणियों का प्रतिपरीक्षण किया जाता है ।

(v) आँकड़ों का पुनः मिलान पिछले वर्ष की रिपोर्ट के आँकड़ों से किया जाता है ।

2.1.2. विशेष विवरणियों पर आधारित सांख्यिकी

2.1.2.1. मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) प्रणाली

बीएसआर प्रणाली बैंकिंग सांख्यिकी से संबंधित समिति की सिफारिशों के अनुसरण में दिसंबर 1972 से आरंभ की गयी, जिसमें इसके पूर्व यूनिफॉर्म बैलेंस बुक (यूबीबी) के नाम से ज्ञात डेटा रिपोर्टिंग प्रणाली से अनुकूलन किया गया । यूनिफॉर्म बैलेंस बुक प्रणाली की डिजाइन बैंक ऋण के क्षेत्रीय और आंचलिक प्रवाह का विस्तृत एवं अद्यतन चित्र उपस्थित करने के लिए बनायी गयी थी और इसे दिसंबर 1968 में राष्ट्रीय ऋण परिषद की स्थापना के संदर्भ में लागू किया गया था । इसके दो उद्देश्य थे - सूचना का स्थिर गति से प्रवाह और शाखाओं की रिपोर्टिंग के बोझ को कम

करना । यूबीबी प्रोफार्मा प्रत्येक बैंक कार्यालय द्वारा प्रत्येक महीने प्रस्तुत किया जाना होता था और उसमें खाते के प्रकार , उधारकर्ता के प्रकार, पेशा, प्रयोजन, प्रतिभूति और लगाये गये ब्याज की दर के हिसाब से स्वीकृत ऋण सीमा और बकाया अग्रिमों के संबध में खातावार सूचना दी जाती थी । इसे नीतिगत और सूचना संबंधी प्रयोजनों के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक समझा जाता था । तथापि, यूनिफॉर्म बैलेंस बुक प्रणाली के प्रति प्रतिक्रिया और उसके माध्यम से प्राप्त आँकड़ों की परिशुद्धता को अपर्याप्त समझा जाता था । कुछ सर्वेक्षणों के बाद यह देखा गया कि शाखाओं की प्रतिक्रिया काफी उत्साहहीन है और रिपोर्टिंग की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं है । इसके अतिरिक्त, यूबीबी प्रायोगिक चरण से आगे भी नहीं गया था।

इस बीच प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किये जाने से और ऋण-पैटर्न को विविधीकृत करने की नयी नीति को निश्चित रूप दिये जाने से, ऋण विनियोजन के विविध पहलुओं के संबंध में जानकारी देने की मांग बढ़ती जा रही थी । उचित रूप से व्यापक जानकारी न्यूनतम समय सीमा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से बैंकिंग संबंधी आँकड़ों की क्रमबद्ध रिपोर्टिंग का सुनिश्चित प्रयास किया जाना आवश्यक हो गया था । तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 1972 में श्री ए.रमण, निदेशक, ऋण आयोजना कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक, की अध्यक्षता में 'बैंकिंग सांख्यिकी पर समिति' का गठन किया, जिसके सदस्य भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों और वाणिज्यिक बैंकों से लिये गये थे । इसका कार्य था बैंकों द्वारा आँकड़ों की सांख्यिकीय रिपोर्टिंग के विविध पहलुओं की जाँच-पड़ताल करना और युक्तियुक्त कदम उठाये जाने का सुझाव देना ।

समिति ने अगस्त 1972 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । समिति द्वारा परिकल्पित सांख्यिकीय रिपोर्टिंग प्रणाली का समग्र पैटर्न , जिसे मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) के रूप में नामित किया गया था और जो अपेक्षित आँकड़े स्थिर गति से प्रदान करने के लिए परिकल्पित की गयी थी, निम्नानुसार था :

1. बीएसआर 1 - अग्रिमों से संबंधित विवरणी - छमाही - जून और दिसंबर के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार - सभी शाखाओं से - दो भागों में - भाग ए उन खातों के लिए, जिनकी ऋण सीमा 10000 रुपये से ऊपर हो और भाग बी उन खातों के लिए, जिनकी ऋण सीमा 10000 रुपये और उससे कम हो ।
2. बीएसआर 2 - जमाराशियों की विवरणी - छमाही - जून और दिसंबर के अंतिम शुक्रवार को - सभी शाखाओं से ।
3. बीएसआर 3 - चुनिंदा अस्थिर भाव वाली वस्तुओं की जमानत पर दिये गये अग्रिमों की विवरणी - मासिक - प्रत्येक महीने के अंतिम शुक्रवार को - प्रधान कार्यालयों से ।
4. बीएसआर 4 - बैंक जमाराशियों के स्वामित्व से संबंधित विवरणी - दो वर्षों में एक बार - मार्च के अंतिम शुक्रवार को - सभी शाखाओं से (प्रधान कार्यालयों से वर्तमान वार्षिक सर्वेक्षणों के स्थान पर) ।
5. बीएसआर 5 - बैंक निवेशों के संबंध में विवरणी - वार्षिक - मार्च के अंतिम दिन - प्रधान कार्यालयों से (बैंक निवेशों के सर्वेक्षण की ही तरह)।

इसके अतिरिक्त, यह सिफारिश की गयी कि सर्वे ऑफ डेबिट्स टू डिपॉजिट्स, जो वार्षिक रूप से किया जाता था, उसे तीन वर्षों में एक बार किया जाये।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने समिति की सिफारिशों को मान लिया और तदनुसार कार्यान्वयन की निम्नलिखित कार्रवाई की गयी:

1. एक ''बैंकिंग सांख्यिकी निदेश समिति (सीडीबीएस)'' भारतीय रिज़र्व बैंक में गठित की गयी,जिसे मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियों का समग्र प्रभार दिया गया । इसके सदस्य भारतीय

रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों से लिये गये अधिकारी और विविध बैंकों के अधिकारी थे ।

2. यूबीबी विवरणियाँ जुलाई 1972 के महीने से बंद कर दी गयी ।

3. बीएसआर प्रणाली, बीएसआर 1, 2 और 3 के साथ दिसंबर 1972 से कार्यान्वित की गयी ।

4. बीएसआर 4 विवरणी मार्च 1976 से कार्यान्वित की गयी, जो सभी शाखाओं से संगृहीत की जाती थी । मार्च 1976 सर्वेक्षण से स्वामित्व वर्गीकरण में भी परिवर्तन किया गया । बीएसआर 4 नमूना आधार पर 1978 और 1980 के लिए और जनगणना आधार पर 1982 सर्वेक्षण के लिए संगृहीत किया गया। 1984 से इसे द्विवार्षिक नमूना सर्वेक्षण बना दिया गया।

5. बीएसआर 5 विवरणी मार्च 1973 से आरंभ हुई।

6. डेबिट्स टू डिपॉजिट्स खाते का सर्वेक्षण, जो 1971-72 तक वार्षिक आधार पर किया जाता था, अगली बार 1974-75 से जनगणना आधार पर किया गया और इसे द्विवार्षिक नमूना सर्वेक्षण के रूप में 1985-86 से बीएसआर 6 के रूप में पुनर्नामित किया गया । वर्ष 2000 से यह सर्वेक्षण पंचवार्षिक कर दिया गया है ।

7. बीएसआर 7 विवरणी मूल रूप से अगस्त 1974 से सकल बैंक ऋण और सकल जमाराशियों के संबंध में शाखावार जानकारी एकत्र करने के लिए मासिक विवरणी के रूप में लागू की गयी थी। विवरणी की आवधिकता मार्च 1984 में समाप्त तिमाही से तिमाही रूप में बदल दी गयी।

8. बैंकों की संविभाग प्रबंधन योजना से संबंधित बीएसआर 8, जो पाक्षिक आधार पर प्राप्त की जाती है, 1992 में लागू की गयी। इस विवरणी को सीडीबीएस की सिफारिशों के अनुसरण में 1999 से बंद कर दिया गया।

2.1.2.1.1. मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी 1 और 2

मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) 1 और 2 बीएसआर प्रणाली का प्रमुख भाग बनती है । अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों और ऋण के संबंध में व्यापक आँकड़े और बैंकों के कर्मचारियों की संख्या के संबंध में जानकारी इस समय वार्षिक सांख्यिकीय सर्वेक्षणों, मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) 1 और 2 के माध्यम से एकत्र की जाती है, जिनकी संदर्भ तिथि 31 मार्च है, और इन्हें भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों से प्राप्त किया जाता है ।

1972 से 1990 तक ये सर्वेक्षण छमाही अधार पर जून और दिसंबर के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार किये जाते थे । वर्ष 1990 से ये सर्वेक्षण वार्षिक आधार पर किये जाते हैं और इनकी संदर्भ तिथि होती है 31 मार्च । बीएसआर 1 और 2 विवरणियाँ भरने में मार्गदर्शन के लिए रिज़र्व बैंक ने सितंबर 1972 में पहली अनुदेश पुस्तिका का प्रकाशन किया । बीएसआर प्रणाली में सुधार के परिणामस्वरूप इस पुस्तिका को समय-समय पर संशोधित किया गया । पिछले दो वर्षों में बैंकिंग परिदृश्य की गतिविधियों के अनुसरण में और राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआइसी) , 1998 के अनुरूप, जो स्वयं अंतरराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण 1990 पर आधारित है, पेशा / क्रियाकलाप के वर्गीकरण के लिए एक समान कोडिंग प्रणाली बनाये रखने के लिए मार्च 2002 सर्वेक्षण से कुछ संशोधन लागू किये गये । नवीनतम संस्करण, जो इसका छठा संस्करण है, में प्रणाली में इन संशोधनों को समाविष्ट किया गया है । जैसाकि भारत सरकार ने सुझाव दिया है कि आँकड़ों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रूप से तुलनीय बनाये रखने के लिए एक समान वर्गीकरण प्रणाली का अंगीकार किया जाये, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग सांख्यिकी के लिए कूटलेखन प्रणाली के संबंध में एक अनौपचारिक दल को नियुक्त किया है, जो बैंकों में बीएसआर और तत्समान सूचना प्रणाली के लिए एनआइसी 1998 की साध्यता और अनुकूलनशीलता

की जाँच-पड़ताल करेगा । बीएसआर में नयी कार्यकलाप कूटलेखन प्रणाली इस अनौपचारिक दल की सिफारिशों पर आधारित है ।

बीएसआर 1 का संबंध सकल बैंक ऋण से होता है और इसमें मीयादी ऋण, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, खरीदे और भुनाये गये बिल, न्यू बिल मार्केट स्कीम के अंतर्गत पुनः भुनाये गये बिल और बैंकों से प्राप्त राशियाँ भी समाविष्ट होती हैं, जबकि बैंक ऋण के आँकड़ों में, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत दी गयी विवरणी पर आधारित होते हैं, बैंकों से प्राप्त राशि और न्यू बिल मार्केट स्कीम के अंतर्गत पुनः भुनाये गये बिल शामिल नहीं होते हैं । बीएसआर-1 विवरणी को दो भागों में बाँटा जाता है - भाग ए और भाग बी (जिसे बीएसआर 1ए और 1बी नाम दिया जाता है)। बीएसआर 1ए में शामिल किये जाने के लिए 1972 में इसे लागू किये जाने के समय किसी खाते में ऋण की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये निर्धारित की गयी थी । वर्ष 1984 में ऋण की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गयी और मार्च 1999 सर्वेक्षण से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से भिन्न अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए बीएसआर 1ए विवरणी हेतु ऋण की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपये कर दी गयी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में बीएसआर 1ए में खातों का वर्गीकरण करने के लिए ऋण की अधिकतम सीमा मार्च 2002 और उसके बाद से 2 लाख रुपये की गयी । बीएसआर 1ए में प्रत्येक उधार खाते के संबंध में जानकारी विविध लक्षणों के आधार पर एकत्र की जाती है, यथा, ऋण के उपयोग का स्थान (जिला और आबादी समूह), खाते का प्रकार, संगठन का प्रकार, पेशागत कोटि, उधार खाते का स्वरूप, ब्याज दर, ऋण सीमा और बकाया राशि । बीएसआर 1बी में उन खातों के संबंध में, जिनकी अलग-अलग ऋण सीमा 2 लाख रुपये तक होती है (जिन्हें लघु उधार खाता नाम दिया जाता है), व्यापक पेशागत कोटियों के लिए जानकारी समेकित रूप में प्राप्त की जाती है । बीएसआर 1बी विवरणी का दो अलग-अलग ऋण सीमा आकार समूह होता है, अर्थात्, '25,000 रुपये तक' और '25,000 रुपये से अधिक और 2 लाख रुपये तक' । लघु उधार खातों के संबंध में जानकारी बीएसआर 1बी विवरणी में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) से प्राप्त की जाती है ।

बीएसआर 2 में प्रत्येक बैंक कार्यालय जमाराशियों के संबंध में जानकारी उनके चालू, बचत और मीयादी जमाराशियों के अलग-अलग विवरण के साथ देता है । महिलाओं के जमा खातों के संबंध में अलग से जानकारी दी जाती है । भिन्न-भिन्न परिपक्वता अवधियों वाली मीयादी जमाराशियों की जानकारी भी इस विवरणी में दी जाती है । इसके अतिरिक्त बीएसआर 2 स्टाफ की संख्या, जिसका वर्गीकरण लिंग और कोटि (अर्थात्, अधिकारी, लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारी) के अनुसार अलग-अलग बैंक कार्यालयों में विवरणी की संदर्भ तिथि के अनुसार दिया जाता है, के संबंध में जानकारी देता है । जमाराशियों में अंतर-बैंक जमाराशियों को शामिल नहीं किया जाता है । चालू जमाराशियों में (i) जमाराशियाँ, जो मांग पर (बचत खाते से भिन्न) या 14 दिनों से कम की सूचना पर आहरण के अधीन होती हैं, या मीयादी जमाराशियाँ, जिनकी परिपक्वता अवधि 7 दिनों से कम होती है (ii) मांग जमाराशियाँ, जो 14 दिनों के भीतर आहरण योग्य होती हैं; (iii) दावा नहीं की गयी जमाराशियाँ; (iv) अतिदेय सावधि जमा; (v) कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट खातों में जमाशेष तथा (vi) आकस्मिकता असमायोजित खाता, यदि वे जमाराशियों के स्वरूप के हों, समाविष्ट होती हैं।, बचत जमाराशियाँ वे जमाराशियाँ होती हैं, जो बैंकों द्वारा उनके बचत बैंक जमा नियमों के अंतर्गत स्वीकार की जाती हैं । मीयादी जमाराशियाँ वे जमाराशियाँ होती हैं, जिनकी नियत परिपक्वता कम से कम 7 दिनों की और उससे अधिक या कम से कम 14 दिनों की नोटिस के अधीन होती है । इनमें (क) 14 दिनों की नोटिस के बाद देय जमाराशि; (ख) नकदी

प्रमाणपत्र; (ग) संचयी या आवर्ती जमा; (घ) कुरी या चिट जमाराशि और (ङ) मीयादी जमाराशियों के स्वरूप की विशेष जमाराशियाँ शामिल होती हैं । वैचारिक रूप से बीएसआर 2 में जमाराशि के आँकड़े और धारा 42(2) विवरणी में सकल जमाराशियाँ एकसमान होती हैं । तथापि, इन जमाराशियों में रिसर्जेंट इंडिया बांड्स (आरआइबी) और इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट्स (आइएमडी) की आगम राशि शामिल नहीं होती है । बीएसआर 2 में बैंक शाखाएँ मीयादी जमाराशियों का वर्गीकरण भी दिखाती हैं, जो व्यापक ब्याज दर सीमा और जमाराशियों के आकार के अनुसार किया जाता है । मीयादी जमाराशियों की अवशिष्ट परिपक्वता के संबंध में, जो मार्च 2003 में लागू की गयी थी, आँकड़े क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कंप्यूटरीकृत शाखाओं के संबंध में इस विवरणी के भाग V के माध्यम से संगृहीत किये जाते हैं।

2.1.2.1.1.1. आँकड़ों का प्रसार

बीएसआर 1 और बीएसआर 2 जानकारी का प्रसार रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित विविध प्रकाशनों के माध्यम से किया जाता है । मुख्य प्रकाशन होते हैं 'बैंकिंग सांख्यिकी-मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ' के विविध खंड, जिनका नाम बदलकर खंड 29, मार्च 2000 में 'भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ' कर दिया गया । यह प्रकाशन भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर भी वर्ष 1996 से उपलब्ध है । वार्षिक प्रकाशन भी वर्ष 2002 से सीडी रोम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें आँकड़े एक्सेल सारणी में दिये जाते हैं । सीडी रोम पर एक विशेष प्रकाशन, जिसका शीर्षक है 'बैंकिंग सांख्यिकी : मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ 1 और 2, खंड 1 से 31 : 1972 से 2002' प्रदर्शित किया गया, जिसमें एक ही स्थान पर पीडीएफ फार्मेट में तीन दशकों के आँकड़े , जो विविध खंडों में प्रकाशित किये गये थे, प्रस्तुत किये गये हैं । यह प्रकाशन भी भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध है । इस प्रकाशन में भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के विविध लक्षणों/मानदंडों पर ऋण और जमा के वितरण को प्रस्तुत किया गया है।

ऋण और जमा के संबंध में आँकड़े विविध लक्षणों पर सकल आधार पर प्रकाशित किये जाते हैं ।

1. बैंक समूहवार - भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहायक बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक (निजी क्षेत्र के बैंक)
   - राष्ट्रीयकृत बैंक, जिनमें 2005 से आइडीबीआइ लि. शामिल है ।
2. स्थानिक वितरण - क्षेत्र, राज्य और जिला
   - ऋण से संबंधित आँकड़े स्वीकृति-स्थल के अनुसार और उपयोग-स्थल के अनुसार भी प्रस्तुत किये जाते हैं । ब्यौरे बीएसआर खंडों में दिये गये हैं ।
   - बीएसआर 1ए विवरणी जिला और उस स्थान के आबादी समूह की पहचान करती है, जहाँ ऋण का उपयोग किया जाता है। तथापि, बीएसआर 1बी विवरणी में ऐसी जानकारी एकत्र नहीं की जाती है । यह मान लिया जाता है कि इन खातों के संबंध में ऋण का उपयोग उसी स्थान पर किया जाता है, जहाँ इसे स्वीकृत किया जाता है।
3. आबादी समूह - ग्रामीण, अर्ध शहरी, शहरी, मेट्रोपालिटन
   - ऋण के संबंध में आँकड़े ऋण स्वीकृति स्थल और ऋण उपयोग स्थल के अनुसार प्रस्तुत किये जाते हैं ।
4. ऋण-संबंधी आँकड़े विविध मानदंडों के आधार पर प्रस्तुत किये जाते हैं
   - पेशा - बीएसआर 1ए और 1बी के लिए उपलब्ध । ऋण संबंधी आँकड़े उधारकर्ता के पेशे के अनुसार प्रस्तुत किये जाते हैं।

  - आँकड़ों को क्षेत्रों और उप क्षेत्रों के आधार पर मिलाया जाता है ।

- ➢ ऋण सीमा का आकार - बीएसआर 1ए और बीएसआर 1बी, दोनों में शामिल किया जाता है ।
- ➢ ब्याज दर सीमा - केवल बीएसआर 1 के आँकड़े पर आधारित, जिसे 'ऋणों और अग्रिमों' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जिसमें बिल शामिल नहीं हैं ।
- ➢ खातों का प्रकार - केवल बीएसआर 1ए पर आधारित आँकड़े । क्रेडिट कार्डों की जमानत पर लिये गये ऋणों के आँकड़े मांग ऋण में शामिल किये जाते हैं । देशी बिलों में व्यापारिक और अन्य बिल, दोनों ही शामिल होते हैं ।
- ➢ संगठन - उधार खाते के धारक की संगठनात्मक कोटि केवल बीएसआर 1ए पर आधारित होती है ।
- ➢ लघु उद्योगों के संबंध में आँकड़े बीएसआर 1ए और बीएसआर 1बी विवरणियों, दोनों पर आधारित होते हैं । इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :
  - 'कारीगर और ग्रामीण एवं अत्यंत लघु उद्योग', जिसमें कारीगर/शिल्पी, ग्राम/कुटीर उद्योग और अत्यंत लघु उद्योग समाविष्ट हैं ।
  - अन्य लघु उद्योग।

5. जमाराशियों से संबंधित आँकड़ों का वितरण विविध लक्षणों के आधार किया जाता है

- ➢ जमा का प्रकार - चालू, बचत, मीयादी
- ➢ व्यापक स्वामित्व पैटर्न - आँकड़े व्यक्तियों (पुरुष एवं महिला) और अन्य (अंतर-बैंक को छोड़कर) के संबंध में प्रकाशित किये जाते हैं ।
- ➢ परिपक्वता की मूल अवधि
- ➢ परिपक्वता की अवशिष्ट अवधि का प्रतिशत वितरण
- ➢ ब्याज दर समूह का प्रतिशत वितरण
- ➢ जमाराशियों के आकार का प्रतिशत वितरण

6. बैंकों में रोजगार - कुल और महिला (अधिकारी, लिपिक, अधीनस्थ)

बीएसआर आँकड़ों की काफी और बहुविध उपयोगिता होती है । इसकी जानकारी का उपयोग न केवल भारतीय रिज़र्व बैंक में नीति-निर्माण के लिए किया जाता है, वरन् इसका उपयोग संसद सदस्यों द्वारा पूछे गये विविध प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी किया जाता है । ये आँकड़े केंद्र सरकार के विविध मंत्रालयों और विभागों, यथा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, को दिये जाते हैं । राज्य सरकारों को भी इन आँकड़ों की जरूरत अपने-अपने राज्यों की प्रगति और आर्थिक विकास का अनुश्रवण करने के लिए और राज्य स्तरीय प्रकाशनों के लिए होती है । इन आँकड़ों का उपयोग व्यापक रूप से व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा भी शोध संबंधी प्रयोजनों के लिए किया जाता है ।

2.1.2.1.1.2.अवधारणा, परिभाषा और वर्गीकरण

बीएसआर 1 : बीएसआर 1 विवरणी का संबंध बैंक ऋण से होता है । किसी बैंक की प्रत्येक शाखा/कार्यालय को यह विवरणी प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास प्रस्तुत करनी होती है । यदि 31 मार्च को अवकाश हो, तो ये आँकड़े उसके ठीक एक दिन पहले तक के होते हैं ।

इस विवरणी में रिपोर्ट किये गये बैंक ऋण में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं :

(क) ऋण, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट

(ख) खरीदे और भुनाये गये देशी बिल

(ग) खरीदे ओर भुनाये गये विदेशी बिल

बीएसआर 1 में रिपोर्ट की गयी उपर्युक्त मदें निम्नलिखित को हिसाब में लेती हैं -

(क) बैंकों से प्राप्य राशि, जो बैंकों को दिये गये ऋणों और अग्रिमों का द्योतक होती है (जिसमें जोखिम बँटाई के बिना सहभागिता शामिल है)।

(ख) वित्तीय संस्थाओं में पुनः भुनाये गये बिल

(ग) क्रेडिट कार्डों के माध्यम से दिये गये अग्रिम

(घ) अशोध्य ऋण (बट्टे खाते नहीं डाले गये) और प्रतिवादित बिल

(ङ) जोख़िम बँटाई के साथ अंतर-बैंक सहभागिता

तथापि, मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल नहीं की जाती है ।

तुलना करने पर बीएसआर 1 विवरणी में रिपोर्ट किये गये ऋण में समाविष्ट होते हैं (i) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत पाक्षिक विवरणी के अर्थान्तर्गत 'बैंकों से प्राप्य राशि' सहित ऋण और (ii) वित्तीय संस्थाओं में पुनः भुनाये गये. बिल।

बीएसआर 1 के दो भाग होते हैं । विवरणी के भाग ए (बीएसआर 1ए) का संबंध उन खातों से होता है, जिनकी अलग-अलग ऋण सीमा 2,00,000 रुपये से अधिक होती है । इनमें से प्रत्येक खाते के संबंध में विवरण अलग से एकत्र किये जाते हैं । बीएसआर 1ए में खाते का विवरण, यथा, पार्टी का नाम, उधार देने वाले बैंक कार्यालय द्वारा पहचान के लिए दी गयी खाता संख्या, जिला और उस स्थान का आबादी समूह कूट, जहाँ ऋण का उपयोग किया जाना है, खाते का प्रकार, संगठन, पेशा, उधार खाते का स्वरूप, उधार खाते का आस्ति वर्गीकरण, ब्याज दर, ऋण सीमा और बकाया राशि, ऐसे प्रत्येक खाते के लिए अलग से रिकार्ड किये जाते हैं, जिसकी ऋण सीमा 2,00,000 रुपये से अधिक होती है।

बीएसआर विवरणी के भाग बी (बीएसआर 1बी) में खातावार जानकारी नहीं एकत्र की जाती है । इसमें 2,00,000 रुपये और उससे कम की अलग-अलग ऋण सीमा वाले खातों के व्यवसायवार कुल जोड़ के संबंध में समेकित जानकारी माँगी जाती है । यह जानकारी उन ऋणों के लिए अलग से दी जाती है, जिनकी अलग-अलग ऋण सीमा 25,000 रुपये या उससे कम और 25,000 रुपये से अधिक और 2,00,000 रुपये तक होती है ।

प्रत्येक वैयक्तिक खाते के लिए 2,00,000 रुपये की अधिकतम सीमा का संबंध विवरणी की तिथि को प्रवृत्त ऋण सीमा से होता है, न कि खाते में बकाया राशि से । यदि कोई विनिर्दिष्ट ऋण सीमा स्वीकृत नहीं की जाती है, तो बकाया राशि को ही ऋण सीमा के रूप में माना जाता है ।

बीएसआर 1 (भाग ए और भाग बी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग खातावार की जाती है न कि पार्टीवार । प्रत्येक खाते की ऋण सीमा का आकार ही वह कारक होता है, जो यह निश्चय करता है कि इसे बीएसआर 1ए में अलग से रिपोर्ट किया जाये या उसी व्यवसायगत कोटि के अन्य खातों के साथ बीएसआर 1बी में समेकित कर दिया जाये।

क. एकसमान शाखा कूट : भारतीय रिज़र्व बैंक के सांविकंसेवि द्वारा प्रत्येक शाखा/कार्यालय को आवंटित किये गये एकसमान शाखा कूट का उपयोग किसी शाखा की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है । इस समय शाखा कूट के दो भाग होते हैं, यथा, भाग I और भाग II और प्रत्येक भाग में सात अंक होते हैं ।

बीएसआर 1ए विवरणी में संगृहीत किसी खाते की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं :

ख. *ऋण के उपयोग का स्थान* : ऋण के उपयोग के स्थान के संबंध में जानकारी दो शीर्षकों, यथा, जिला और आबादी समूह, के अंतर्गत एकत्र की जा रही है ।

(i) *जिला* : जिला कूट उस जिले को इंगित करता है, जहाँ उधारकर्ता द्वारा वास्तविक ऋण का उपयोग किया गया है या किया जायेगा।

(i) *आबादी समूह :* यह कूट ऋण के उपयोग के स्थान पर आबादी समूह की स्थिति बताता है । संबंधित कूट अनुबंध 2.3 (सूची 'ए') में दिये गये हैं । इन स्तंभों में दी गयी जानकारी राज्य और जिला/आबादी समूहवार ऋण प्रवाह को अभिनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है । किसी शाखा/कार्यालय द्वारा दिये गये ऋण का उपयोग हमेशा उसी जिले/आबादी समूह और राज्य में नहीं किया जाता, जहाँ शाखा/कार्यालय स्थित है। अनेक प्रमुख शहरी और मेट्रोपालिटन शाखा में दिये गये ऋण का उपयोग अन्यत्र किया जाता है । उदाहरणार्थ, यदि किसी कंपनी को, जिसका प्रधान कार्यालय मुम्बई में है, पेण (रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र) में स्थित इसके कारखाने में उपयोग के लिए कोई अग्रिम दिया जाता है, तो युक्तियुक्त जिला कूट रायगढ़ होगा और चूँकि पेण की आबादी 10,000 और 1,00,000 के बीच है, इसलिए खाते के लिए अर्धशहरी क्षेत्र के लिए युक्तियुक्त आबादी समूह कूट 2 का उपयोग किया जाता है ।

हमेशा यह संभव नहीं हो सकता है कि उस जिले और आबादी समूह को इंगित किया जाये, जहाँ कतिपय अग्रिमों का उपयोग किया जाता है ; उदाहरण के लिए , किसी सरकारी निगम (जैसेकि भारतीय खाद्य निगम) या सांविधिक निकाय (जैसेकि बिजली बोर्ड) या निजी स्वामित्व वाली कंपनी को, जिनका परिचालन एक से अधिक जिले, आबादी समूह या राज्य में होता है, दिये गये अग्रिम । ऐसे मामलों में उस जिला और आबादी समूह के कूट को रिकार्ड किया जाता है, जहाँ अग्रिम के अधिकांश हिस्से का उपयोग किया जाता है । यदि इन पहलुओं की पहचान कर पाना कठिन हो, तो जिस स्थान पर शाखा स्थित है, उसके संबंध में जानकारी का उपयोग किया जाता है ।

ग. *खाते का प्रकार :* विविध प्रकार के खातों को आबंटित की गयी कूट संख्या अनुबंध 2.3 (सूची 'बी') में दी गयी है । किसी शाखा/कार्यालय की बहियों में सभी खातों को एक या दूसरे प्रकार में युक्तियुक्त रूप से वर्गीकृत किया जाता है । यदि किसी पार्टी को भिन्न-भिन्न प्रकार के खातों के अंतर्गत उधार की सुविधा दी जाती है, तो प्रत्येक खाते को अलग से सूचीबद्ध किया जाता है । ऐसे खातों को एक साथ नहीं मिलाया जाता है । किसी प्रकार की सुविधा, यथा, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट या मांग ऋणों के अंतर्गत पोतलदानपूर्व वित्त को पैकिंग क्रेडिट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । अन्य पार्टी के बिलों की पुनर्भुनाई के जरिये दिये ग़ये अग्रिमों की रिपोर्ट 'भुनाये गये बिलों' के रूप में युक्तियुक्त व्यवसाय कोटि के साथ की जाती है ।

घ. *संगठन का प्रकार :* उधारकर्ता के संगठन के प्रकार से संबंधित कूट संख्या भी रिकार्ड की जाती है। अनुबंध 2.3 (सूची 'सी') में भिन्न-भिन्न प्रकार के संगठनों को आबंटित कूट संख्या दी जाती है । संगठन कूट दो अंकों का होता है। सूची में स्वयं प्रत्येक कोटि के संगठन का संक्षिप्त स्पष्टीकरण दिया जाता है । कुछ और स्पष्टीकरण नीचे दिये गये हैं :

भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के तहत सरकारी कंपनियों को ऐसी कंपनियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसकी प्रदत्त पूँजी का कम-से-कम 51 प्रतिशत हिस्सा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अकेले या संयुक्त रूप में रखा गया हो।

केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले सांविधिक निगमों और उन कंपनियों को, जो सरकारी कंपनियों की सहयोगी होती हैं, भी सरकारी कंपनियों के रूप में माना जाता है। यदि किसी कंपनी का स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकार के पास 50:50 आधार पर हो, तो उसे इस विवरणी के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार उपक्रम के रूप में माना जाता है । किसी राज्य सरकार या इसके विभागों को स्वीकृत ऋण, उदाहरणार्थ खाद्यान्न खरीद परिचालनों के लिए, कूट 'राज्य सरकार' (कूट 12) के रूप में कूटबद्ध किया जाता है ।

तथापि, सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न खरीद परिचालनों के लिए और अन्य प्रयोजनों के लिए भी दिये गये अग्रिमों का कूट 'को-ऑपरेटिव्स' (कूट 20) के रूप में लिखा जाता है । सभी प्रकार की सहकारी संस्थाओं को संगठन कूट 20 दिया जाता है । सहकारी संस्थाओं के कार्यकलाप प्रासंगिक नहीं होते हैं। इस प्रकार, संगठन कूट 20 में सहकारी विपणन और अन्य संघ, सहकारी गृह निर्माण समितियाँ, सहकारी खुदरा बिक्री भंडार, आदि शामिल होते हैं । जहाँ सहकारी संस्था किसी सरकारी निकाय द्वारा प्रायोजित होती है, वहाँ भी सही संगठन कूट 20 होता है, न कि 14 । सहकारी समिति के कार्यकलाप (खेती, प्रसंस्करण, विपणन, व्यापार, गृह-निर्माण, आदि) अलग स्तंभ में दिये जाते हैं ।

सरकारी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का वर्गीकरण निजी कंपनी क्षेत्र (कूट 31 और 32) के रूप में किया जाता है और अन्य निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, यथा, सहभागिता, स्वामित्व प्रतिष्ठान, संयुक्त परिवार, स्वयं सहायता समूह, एनजीओ संघ, क्लब, न्यास और समूहों, आदि को निजी क्षेत्र-अन्य के रूप में लिया जाता है (कूट 33, 34 और 35)। लाभरहित संस्थाओं, जो कारोबार में सहायक होती हैं, और निजी रूप से धन-प्रदत्त अर्ध कंपनी संस्थाओं को निजी कंपनी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । व्यक्तियों को दिये गये ऋण, या तो एकल या संयुक्त रूप से एक या अधिक व्यक्तियों के साथ, को कूट संख्या 41 (व्यक्ति-पुरुष) या 42 (व्यक्ति-महिला) आबंटित की जाती है, जो एकल/ प्रथम खाताधारक के लिंग पर निर्भर करती है ।

(ङ) *उधार खाते का स्वरूप :* उधार खाते का स्वरूप प्रत्येक वैयक्तिक खाते के सामने रिकार्ड किया जाता है । उधार खाते के स्वरूप से संबंधित कूट अनुबंध 2.3 (सूची 'डी') में दिये गये हैं। अत्यंत लघु उद्योगों को ग्राम और कुटीर उद्योगों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । उद्योग को दिये गये ऋणों के लिए उधार खाते का स्वरूप 1 या 2 या 3 हो सकता है और अन्य सभी ऋणों के लिए यह 3 होता है ।

(च) *उधार खाते का आस्ति वर्गीकरण :* 2,00,000 रुपये की ऋण सीमा वाले प्रत्येक खाते के आस्ति वर्गीकरण के संबंध में जानकारी की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग/बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को रिपोर्ट किये जाने के लिए किसी उधार खाते को दिये गये आस्ति वर्गीकरण कूट के अनुसार की जाती है । संबंधित कूट अनुबंध 2.3 (सूची 'ई') में दी गयी है । खातों का वर्गीकरण 'मानक', 'अवमानक', 'संदिग्ध' और 'हानि' आस्तियों के रूप में किया जाता है । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों में परिवर्तन को ध्यान में रखा जाता है, जब इस स्तंभ के अंतर्गत रिपोर्ट की जाती है । आस्ति वर्गीकरण के संबंध में जानकारी आंतरिक संगति के लिए एकत्र की जाती है और इन आँकड़ों का प्रसार नहीं किया जाता है।

(छ) *कार्यकलाप/व्यवसाय :* इस स्तंभ में दी गयी जानकारी क्षेत्रवार ऋण प्रवाह को प्रदर्शित करती है। अनुबंध 2.3 (सूची 'एफ') में भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यवसाय या कार्यकलापों के 5 अंकीय कूट संख्याओं का सारांश प्रस्तुत किया जाता है । ब्योरे अनुबंध 2.4 में प्रस्तुत किये जाते हैं । प्रत्येक खाते के लिए उधारकर्ता के व्यवसाय या कार्यकलाप के लिए युक्तियुक्त कूट संख्या इस स्तंभ में बतायी जाती है । यदि उधारकर्ता एक से अधिक प्रकार के कार्यकलाप में लगा हो और यदि बैंक द्वारा भिन्न-भिन्न कार्यकलापों के लिए अलग-अलग सीमाएँ/उप-सीमाएँ स्वीकृत की जाती हैं, तो प्रत्येक कार्यकलाप के लिए ऋण सीमा और बकाया राशि को अलग किया जाता है और उसकी अलग से रिपोर्ट की जाती है । उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी सूती कपड़ों और रसायनों के निर्माण कार्य में लगी है और उसे बैंक द्वारा ऋण सीमा स्वीकृत की जाती है, तो दोनों इकाइयों के लिए ऋण सीमा और बकाया राशि की रिपोर्ट अलग से की जाती है, यदि अलग-अलग ऋण सीमाएँ स्वीकृत की गयी हों । तथापि, यदि अलग-अलग ऋण सीमाएँ स्वीकृत नहीं की जाती हैं, तो उधारकर्ता के प्रमुख कार्यकलाप को वर्गीकरण के आधार के रूप में लिया जाता है । अधिकांश मामलों में व्यवसाय कूट का निर्धारण उधारकर्ता के कार्यकलाप के आधार पर किया जा सकता है। तथापि, उपभोग और वैयक्तिक ऋण के मामले में, यथा, आवास ऋण, शिक्षा ऋण, आदि, उपभोक्ता का कार्यकलाप स्वयं ही व्यवसाय कूट का निर्धारण नहीं कर सकता है । उदाहरण के लिए, वैयक्तिक ऋणों (कूट 94003, 94004, 94006, 94007, 94008 और 94009), आवास ऋणों (कूट 94001 और 94002), शिक्षा ऋण (कूट 94005), आदि, के मामले में । तथापि, उधारकर्ता के कार्यकलाप के आधार पर व्यवसाय कूट का निर्धारण करना उचित नहीं है । ऐसे मामलों में, जिस प्रयोजन के लिए ऋण दिया जाता है (चाहे शिक्षा, आवास या उपभोग के लिए हो) वही सही व्यवसाय कूट के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश होता है ।

(ज) *ब्याज दर*

किसी खाते के संबंध में लगाये गये ब्याज की दर (प्रतिशत प्रतिवर्ष) की रिपोर्ट दो दशमलव अंकों तक की जाती है और इसमें ब्याज कर को शामिल नहीं किया जाता है।

i) जहाँ अग्रिमों पर ब्याज की खंड दर लगायी जाती है, वहाँ अग्रिम के सबसे बड़े हिस्से के लिए तदनुरूपी दर रिकार्ड की जानी चाहिए । यदि दो प्रकार की दरें लगायी जाती हैं, तो बकाया राशि के बड़े हिस्से पर लागू दर की रिपोर्ट की जानी चाहिए ।

ii) देशी और विदेशी खरीदे और भुनाये गये बिलों के मामले में, ब्याज दर स्तंभ को नहीं भरा जाता है ।

i. *ऋण सीमा :* विवरणी की तिथि को प्रवृत्त स्वीकृत ऋण सीमा को ऋण सीमा के रूप में माना जाता है। एजेंटों/प्रबंधकों और सक्षम अधिकारियों द्वारा अल्प अवधि के लिए अस्थायी रूप से स्वीकृत किसी अतिरिक्त ऋण सीमा को शामिल किया जाता है, यदि वे रिपोर्टिंग के समय प्रवृत्त हों । 'आहरण सीमा', जिसे दृष्टिबंधक या गिरवी रखे गये स्टॉक के मूल्य से और निर्धारित मार्जिन जोड़ा जाता है, को ऋण सीमा के रूप में लिया जाता है ।

मीयादी ऋणों के संबंध में ऋण सीमाओं को रिकार्ड करते समय यह केवल परिचालन सीमा को दर्शाती है, अर्थात् स्वीकृत सीमा घटाव अदा किया गया मूलधन। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी को 25 लाख रुपये का मीयादी ऋण कुछ संयंत्रों की स्थापना करने के लिए स्वीकृत किया गया है, जिसे दस बराबर छमाही किस्तों में अदा किया जाना है । मान लिया कि कंपनी ने 5 लाख रुपये (अर्थात्, 2.5 लाख रुपये की दो छमाही किस्तें) अदा कर दिये हैं। इसलिए इस स्तंभ के अंतर्गत केवल सक्रिय ऋण सीमा, अर्थात् 20 लाख रुपये को दर्शाया जायेगा, न कि 25 लाख रुपये को । यदि किसी खाते की सक्रिय ऋण सीमा घटकर 2,00,000 रुपये या उससे कम रह जाती है, तो इसकी रिपोर्ट बीएसआर 1बी में समेकित ढंग से की जायेगी ।

अन्य ऋणों के मामले में, जिन्हें पूरा का पूरा आहरित नहीं किया गया है, स्वीकृत सीमा बतायी जाती है । अदत्त या अतिदेय किस्तों के लिए ऋण सीमा समायोजित नहीं की जाती है। यदि किसी उधारकर्ता को एक से अधिक खातों के लिए संमिश्र ऋण सीमा स्वीकृत की जाती है, तो सीमा को बकाया राशि के अनुपात में विभक्त किया जाता है और संबंधित खातों के सामने दर्शाया जाता है । जहाँ कोई विनिर्दिष्ट ऋण सीमा स्वीकृत नहीं की जाती है, वहाँ बकाया राशि को ऋण सीमा माना जाता है ।

(ज) *बकाया राशि :* प्रत्येक खाते में रिपोर्टिंग तिथि को कारोबार समाप्ति पर बकाया वास्तविक राशि (नामे), जिसे निकटतम हजार रुपये तक पूर्णांकित किया जाता है, की रिपोर्ट की जाती है । यदि खाते में जमाशेष हो, तो बकाया राशि की रिपोर्ट 'शून्य' के रूप में की जाती है । जमाशेष की वास्तविक राशि की रिपोर्ट नहीं की जाती है ।

भिन्न-भिन्न लक्षणों के आधार पर मिलाये गये खातों के संबंध में बीएसआर 1बी विवरणी में एकत्र जानकारी निम्नानुसार होती है :

बीएसआर 1बी विवरणी में 2,00,000 रुपये या उससे कम की ऋण सीमा वाले खातों के संबंध में जानकारी समेकित रूप में संगृहीत की जाती है । इन खातों को पुनः दो ऋण सीमा आकार समूह, उदाहरणार्थ, '25,000 रुपये या कम' और '25,000 रुपये से अधिक और 2,00,000 रुपये तक', में वर्गीकृत किया जाता है । खातों का समूहन फार्मैट में विनिर्दिष्ट व्यवसाय कोटियों के अनुसार किया जाता है । खातों की संख्या, ऋण सीमा और बकाया राशि को इनमें से प्रत्येक व्यवसाय कोटि के लिए जोड़ा जाता है और दो ऋण सीमा आकार समूहों के लिए अलग से दिया जाता है । बीएसआर 1बी में प्रत्येक व्यवसाय का उल्लेख आइटम कोड के रूप में किया जाता है । विविध व्यवसायगत कोटियों को वर्गीकृत करने के लिए बीएसआर 1बी के फार्मैट में आइटम कोड संख्याओं को 2 अंक वाले कूट आबंटित किये गये हैं । पुस्तिका* में दी गयी एक सारणी बीएसआर 1ए व्यवसाय कूट (5 अंक) और बीएसआर 1बी आइटम कोड के बीच संबंध को दर्शाती है ।

बीएसआर 1बी में रिपोर्ट किये गये उधार खातों के आस्ति वर्गीकरण को सभी व्यवसाय कोटियों के लिए समेकित किया जाता है और आइटम कोड 81 से 84 तक के सामने प्रत्येक आकार समूह, यथा, '25000 रुपये या कम' और '25000 रुपये से अधिक और 2,00,000 रुपये

* बीएसआर 1 और 2 के संबंध में अनुदेश पुस्तिका मार्च 2002

तक' के लिए अलग-अलग रिकार्ड किया जाता है । आस्ति वर्गीकरण के संबंध में जानकारी आंतरिक संगति के लिए एकत्र की जाती है और इस आँकड़े का प्रसार नहीं किया जाता है।

बीएसआर 1बी में रिपोर्ट किये गये व्यक्तियों के उधार खातों के संबंध में लिंग-वर्गीकरण से संबंधित जानकारी को आइटम कोड 86 और 87 के सामने प्रत्येक आकार समूह के लिए अलग-अलग समेकित किया जाता है । लिंग वर्गीकरण के संबंध में जानकारी सभी शाखाओं द्वारा एकसमान रूप से रिपोर्ट नहीं की जाती है और इसीलिए केवल प्रतिशत वितरण का प्रसार किया जाता है ।

मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ (बीएसआर) 2 - जमाखातों का प्रकार

यह विवरणी जमाराशियों से संबंधित होती है । भारत में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएँ/ कार्यालय प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या, खातों की संख्या और जमाराशियों के प्रकार के अनुसार बकाया राशि और परिपक्वता, व्यापक ब्याज दर सीमा और जमाराशि के आकार के अनुसार मीयादी जमा के वर्गीकरण के संबंध में जानकारी देते हैं । सभी प्रशासनिक कार्यालय, आंचलिक और क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाएँ/कार्यालय, जिनके पास कोई जमाराशि नहीं होती है, यथा, प्रशिक्षण महाविद्यालय, अग्रणी बैंक कार्यालय, सेवा शाखाएँ, आदि इस विवरणी में रोजगार के ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं, भले ही उनके पास जमाराशियाँ न हों।

क. *रोजगार संबंधी ब्यौरे*

विवरणी की तिथि को शाखा/कार्यालय के सभी स्थायी और अस्थायी पूर्णकालिक स्टाफ को शामिल किया जाता है । यह शाखा की वास्तविक कर्मचारी संख्या से संबंधित होता है, न कि स्वीकृत संख्या से। अंशकालिक और अनियत कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाता है । कोटिवार स्टाफ-स्थिति को रोजगार संबंधी ब्यौरे के खंड में संगृहीत किया जाता है । महिला कर्मचारियों की कोटिवार संख्या भी आइटम कोड 101 के सामने रिपोर्ट की जाती है ।

ख. *भाग I : जमाराशियों का वर्गीकरण उनके प्रकार के अनुसार*

विवरणी के इस भाग के माध्यम से प्रत्येक कार्यालय से उनकी जमाराशियों के संबंध में, जिन्हें उनके प्रकार, यथा, चालू, बचत और मीयादी जमाराशियाँ, के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जानकारी प्राप्त की जाती है । खाताधारक के लिंग के संबंध में अतिरिक्त जानकारी भी विवरणी के इस भाग में संगृहीत की जाती है । भिन्न-भिन्न प्रकार की जमाराशियों के संबंध में दो व्यापक स्वामित्व कोटियों, अर्थात् 1) व्यक्ति और 2) अन्य के अंतर्गत जानकारी संगृहीत की जाती है। व्यक्तियों में हिन्दू अविभक्त परिवार शामिल होते हैं। अनिवासी व्यक्तियों, किसानों, कारोबारियों, व्यापारियों, पेशेवर लोगों, स्व-नियोजित व्यक्तियों, मजदूरी एवं वेतन अर्जकों, आदि जैसी कोटियों के संबंध में आँकड़े इस कोटि के अंतर्गत रिपोर्ट किये जाते हैं । 'व्यक्ति' कोटि के अंतर्गत संयुक्त खातों के मामले में प्रथम खाताधारक का लिंग ही 'महिला' कोटि के अंतर्गत खाते का वर्गीकरण करने के लिए निर्णायक कारक होता है । अंतर-बैंक जमाराशियों को कुल जमाराशियों में शामिल नहीं किया जाता है । तीन प्रकार के जमा खातों की परिभाषा निम्नलिखित रूप में दी जाती है :

(1) विवरणी के इस भाग में रिपोर्ट की गयी जमाराशि का क्षेत्र-विस्तार वही होता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अधीन प्रस्तुत पाक्षिक विवरणी में रिपोर्ट की गयी

जमाराशियों का होता है । जमाराशियों पर प्रोद्भूत और देय ब्याज को 'अन्य देयताओं' के रूप में माना जाना चाहिए और बीएसआर 2 में शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

(2) बचत जमा का अर्थ होगा मांग जमा का एक रूप, जो एक जमा खाता होता है, चाहे उसे ''बचत खाता'', ''बचत बैंक खाता'', ''बचत जमा खाता'' या अन्य खाते के नाम से पुकारा जाये, जो किसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान बैंक द्वारा उनके बचत खाता नियमों के अंतर्गत अनुमत आहरणों की संख्या और आहरण की राशि पर भी प्रतिबंधों के अधीन होता है और इसमें विशेष बचत राशियाँ शामिल होंगी ।

(3) मीयादी जमा का अर्थ होगा कोई ऐसी जमाराशि, जो बैंक द्वारा एक नियत अवधि के लिए प्राप्त की जाती है और जो उक्त नियत अवधि के समाप्त होने पर ही आहरण योग्य होती है । इस समय मीयादी जमाराशियाँ ऐसी जमाराशियाँ होती हैं, जो कम से कम किसी विनिर्दिष्ट अवधि (जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है) की नियत परिपक्वता के लिए होती है । इनमें (क) अंतर-बैंक जमाराशियों सहित 14 दिनों की नोटिस के बाद देय जमाराशियाँ, (ख) नकदी प्रमाणपत्र, (ग) संचयी, आवर्ती, वार्षिकी या पुनर्निवेश जमाराशियाँ, (घ) कुरी* और चिट जमाराशियाँ, (ङ) जमा प्रमाणपत्र, (च) मीयादी जमा के स्वरूप की अनिवासी जमाराशियाँ और (छ) मीयादी जमा के स्वरूप की कोई अन्य विशेष जमाराशियाँ शामिल होंगी। इन जमाराशियों पर प्रोद्भूत और देय ब्याज 'अन्य देयताएँ' माने जाते हैं और इसलिए विवरणी के इस भाग में शामिल नहीं किये जाते हैं ।

* कुरी या चिट का अर्थ होता है ऐसा लेनदेन, जिसके द्वारा फोरमैन अनेक अभिदाताओं के साथ करार करता है । प्रत्येक अभिदाता कुछ निश्चित राशि कुछ निश्चत अवधि के लिए जमा करेगा । प्रत्येक अभिदाता अपनी बारी आने पर एक इनामी राशि पाने का हकदार होगा ।

(4) चालू खाता का अर्थ होगा मांग जमा का एक रूप, जिसमें से कितनी ही बार आहरण की अनुमति खाते में शेष के रहने या किसी खास सहमत राशि तक के लिए दी जाती है और इसमें उन जमा खातों को भी शामिल किया जायेगा, जो न तो बचत जमा और न ही मीयादी जमा खाता हैं ; इस समय चालू खाता में (क) मांग पर आहरण के अधीन जमा (बचत जमा से भिन्न) या किसी विनिर्दिष्ट अवधि (जो समय-समय पर संशोधित की जाये) से कम परिपक्वता की जमाराशि, अथवा एक विनिर्दिष्ट अवधि (जिसे समय - समय पर संशोधित किया जाता है) से कम सूचना की जमाराशि, (ख) मांग जमा, जो किसी विनिर्दिष्ट अवधि (जो समय-समय पर संशोधित की जाये) तक आहरण योग्य होता है , (ग) दावा नहीं की गयी जमाराशियाँ, (घ) अतिदेय सावधि जमाराशियाँ, (ङ) कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट खातों में जमाशेष और (च) आकस्मिकता असमायोजित खाते, यदि जमा के स्वरूप के हों, समाविष्ट होते हैं । यह नोट किया जाना चाहिए कि बैंकों, यूटीआई, एलआइसी, आदि से 14 दिनों से अनधिक अवधि के लिए प्राप्त मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशियाँ उधार के रूप में मानी जाती हैं और इस विवरणी में शामिल नहीं की जाती हैं ।

(5) स्टाफ प्रतिभूति जमा, मार्जिन जमा और स्टाफ भविष्य निधि जमा को चालू या सावधि जमा के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए , जो ऐसी जमाराशियों पर ब्याज के भुगतान पर निर्भर करेगा।

ग. *भाग II : परिपक्वता के अनुसार मीयादी जमाराशियों का वर्गीकरण*

विवरणी की तिथि को मीयादी जमा की बकाया राशियों, जिनका वर्गीकरण परिपक्वता की उस मूल अवधि

के अनुसार किया जाता है, जिसके लिए जमाकर्ताओं द्वारा शाखा में जमाराशियाँ रखी गयी हैं, के संबंध में जानकारी इस भाग में संगृहीत की जाती है।

घ. *भाग III : ब्याज दर सीमा के अनुसार मीयादी जमाराशियों का वर्गीकरण*

भाग III में, मीयादी जमा की बकाया राशियों का वर्गीकरण उस ब्याज दर के अनुसार किया जाता है, जिसके लिए जमाकर्ताओं द्वारा शाखा में जमाराशियाँ रखी गयी हैं और संदर्भ अवधि में बकाया हैं । इन जमाराशियों का भिन्न-भिन्न ब्याज दर सीमाओं के अंतर्गत समूहन किया जाता है ।

ङ *भाग IV : आकार के अनुसार मीयादी जमाराशियों का वर्गीकरण*

भाग IV में, मीयादी जमा की बकाया राशियों का वर्गीकरण उन जमाराशियों के आकार के अनुसार किया जाता है, जो जमाकर्ताओं द्वारा शाखा में रखी जाती हैं और संदर्भ अवधि में बकाया हैं। इन जमाराशियों का मूल जमाराशि के भिन्न-भिन्न आकारों के अंतर्गत समूहन किया जाता है ।

च. *भाग - V : अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार मीयादी जमाराशियों का वर्गीकरण (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)*

विवरणी की तिथि को मीयादी जमा की बकाया राशि, जिसका वर्गीकरण परिपक्वता की अवशिष्ट अवधि के अनुसार कया जाता है, के संबंध में जानकारी इस भाग में संगृहीत की जाती है ।

2.1.2.1.1.3. स्रोत और प्रणालियाँ

बीएसआर 1 एवं 2 विवरणियों के संबंध में आँकड़े भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रत्येक शाखा/कार्यालय से संगृहीत किये जाते हैं, चूँकि सर्वेक्षण जनगणना आधार पर किया जाता है । भारतीय रिज़र्व बैंक के सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग का बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग बीएसआर 1 और 2 आँकड़ों के संग्रहण, संकलन और प्रसार के लिए नोडल कार्यालय होता है । अधिकांश बैंकों द्वारा, सिवाय कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के, आँकड़े सॉफ्ट रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं । कुछ बैंकों, खासकर कुछ सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा निजी क्षेत्र के कुछ नए बैंकों, ने अपने एमआईएस के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन किया है, जिसके माध्यम से बीएसआर 1 और 2 के आँकड़े सीधे तैयार किये जाते हैं । बैंकों से आँकड़े निम्नलिखित मोड में प्राप्त किये जाते हैं : कागजी विवरणी (अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से), फ्लॉपी, सीडी और ई-मेल। अधिक से अधिक बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं का कंप्यूटरीकरण किये जाने और एकीकृत सॉफ्टवेयर कार्यान्वित करने तथा इंटरनेट का उपयोग बढ़ाये जाने से आँकड़े ई-मेल के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं ।

2.1.2.1.2 मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी -4 : जमाराशियों के स्वामित्व का सर्वेक्षण

मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर)-4: मार्च 31 को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों के स्वामित्व का सर्वेक्षण बीएसआर प्रणाली के अंतर्गत एक वार्षिक विवरणी है, जो नमूना शाखाओं से प्राप्त की जाती है, जिसका चयन वैज्ञानिक रूप से संदर्भाधीन वर्ष के लिए किया जाता है । बीएसआर-4 का आशय होता है समूहन के भिन्न-भिन्न स्तरों पर जमाराशियों के विन्यास और स्वामित्व पैटर्न के संबंध में अनुमान लगाने के उद्देश्य से जमाराशियों के विन्यास और स्वामित्व के संबंध में जानकारी प्राप्त करना । 1972 तक जमाराशियों के स्वामित्व का वार्षिक सर्वेक्षण इसलिए किया जाता था, ताकि बैंकों के प्रधान कार्यालय

से आँकड़े प्राप्त किये जायें । इसके स्थान पर मार्च 1976 से बीएसआर 4 विवरणी लागू की गयी, जो सभी शाखाओं से प्राप्त की जाती थी । स्वामित्व वर्गीकरण में भी मार्च 1976 सर्वेक्षण से पविर्तन किया गया । बीएसआर 4 नमूना आधार पर 1978 और 1980 के लिए और जनगणना आधार पर 1982 के लिए संगृहीत किया गया । 1984 से इसे द्विवार्षिक नमूना सर्वेक्षण बना दिया गया। यह सर्वेक्षण 1990 से वार्षिक कर दिया गया है ।

2.1.2.1.2.1 क्षेत्र की मापन संबंधी आवश्यकताएँ

इस सर्वेक्षण के माध्यम से किये गये अनुमान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) के पास रखी जमाराशियों की प्रोफाइल में परिवर्तन और विन्यास एवं स्वामित्व पैटर्न में संरचनात्मक बदलाव के संबंध में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं । इनका उपयोग राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस), भारतीय अर्थव्यवस्था के निधि प्रवाह लेखा, घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत, आदि के संकलन में किया जाता है । सर्वेक्षण परिणामों के प्रमुख उपयोगकर्ता हैं, सीएसओ, आरबीआई, वाणिज्यिक बैंक और अन्य, उदाहरणार्थ, अनुसंधानकर्ता और अन्य ।

बीएसआर 4 सर्वेक्षण के परिणामों की प्रमुख विशेषताओं को प्रस्तुत करते हुए एक लेख वर्ष में एक बार आरबीआई बुलेटिन में प्रकाशित किया जाता है । अन्य विविध प्रकाशनों में भी बीएसआर 4 सर्वेक्षण के परिणामों पर आधारित आँकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं।

2.1.2.1.2.2. अवधारणाएँ, परिभाषाएँ और वर्गीकरण

मार्च 2005 के सर्वेक्षण के लिए प्रयुक्त नमूना डिजाइन: इस सर्वेक्षण के लिए बैंकों की शाखाओं का चयन करने के लिए एक स्तरित नमूना चयन डिजाइन का प्रयोग किया गया था । राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, उस केंद्र का आबादी समूह, जहाँ बैंक शाखा स्थित थी और बैंक समूह के आधार पर देश के सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) को 379 मूल स्तरों में वर्गीकृत किया गया । आबादी समूह हैं (i) ग्रामीण; (ii) अर्ध शहरी; (iii) शहरी और मेट्रोपालिटन समूह, जिन्हें पुनः दो समूहों में उप-विभाजित किया गया (iv) चार प्रमुख मेट्रोपोलिटन केंद्र (यथा, मुम्बई, दिल्ली, चेन्नै और कोलकाता) और (v) अन्य मेट्रोपालिटन केंद्र । पाँच बैंक समूह, यथा, (i) भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक; (ii) राष्ट्रीयकृत बैंक; (iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; (iv) अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक और (v) विदेशी बैंक, को इस प्रयोजन के लिए चुना गया । यदि किसी मूल स्तर में शाखाओं की संख्या 7 या उससे कम थी, तो निश्चय के साथ उस स्तर में सभी शाखाओं को चुना गया । अपवाद के रूप में लक्षद्वीप में परिचालनरत सभी 9 शाखाओं को नमूने में शामिल किया गया, ताकि इस संघ राज्य क्षेत्र को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाये । शेष बचे मूल स्तर में प्रत्येक स्तर को पुनः 2 या 3 उप-स्तर में स्तरित किया गया, जिसके लिए स्तर में शाखाओं की कुल जमाराशियों में सीमा और जमा खातों की संख्या को ध्यान में रखा गया था। इसके प्रयोजनार्थ, प्रत्येक मूल स्तर के लिए प्रारंभिक मूल्यों का निर्धारण उक्त दो लक्षणों को ध्यान में रखते हुए किया गया ।

ऐसे मूल स्तर में, आकार श्रेणी स्तर (एससीएस) का निर्माण जमाराशियों के अवरोही क्रम में किया गया । जिन शाखाओं की सकल जमाराशि प्रारंभिक मूल्य-I से अधिक थी, उन्हें एससीएस-I में शामिल किया गया । एससीएस-II में उन शाखाओं को शामिल किया गया, जिनकी सकल जमाराशि प्रारंभिक मूल्य-I और प्रारंभिक मूल्य-II के बीच थी तथा एससीएस-III में वे सभी शाखाएं शामिल थीं, जिनकी कुल जमाराशि प्रारंभिक मूल्य II तक थी। इस प्रकार 912 आकार श्रेणी स्तर (अंतिम स्तर) का निर्माण किया गया ।

एससीएस-I के अंतर्गत शाखाओं को निश्चितता के साथ नमूने में शामिल किया गया । प्रत्येक मूल स्तर के एससीएस-II और एससीएस-III में नमूना शाखाओं का चयन वृत्ताकार क्रमबद्ध नमूना चयन द्वारा, एससीएस में शाखाओं को उनकी कुल जमाराशियों के अवरोही क्रम से व्यवस्थित करने के बाद किया गया, लेकिन शर्त यह थी कि प्रत्येक एससीएस से कम से कम 2 शाखाओं को चुना जाये। एससीएस-II के मामले में लगभग 20 से 50 प्रतिशत शाखाओं के नमूना आकार में परिवर्तन होता था (जो एससीएस के कुल आकार पर निर्भर था) । यदि यूनिटों (शाखाओं) की संख्या 200 से अधिक होती थी, तो 15 प्रतिशत शाखाओं को नमूना चयन इकाई के रूप में लिया जाता था । एससीएस-III के मामले में 10 प्रतिशत नमूने को चुना गया।

उक्त क्रियाविधि के आधार पर मार्च 2005 सर्वेक्षण के लिए 9,933 शाखाओं को चुना गया। कुल मिलाकर, 2,292 बैंक शाखाओं को निश्चितता के साथ चुना गया । शेष बची 63,778 बैंक शाखाओं में से 7,641 शाखाओं का चयन उप-स्तर एससीएस-II और एससीएस-III से उक्त नमूना चयन डिजाइन का प्रयोग करते हुए किया गया ।

जमाराशियों का वर्गीकरण चालू जमाराशि, बचत जमाराशि और मीयादी जमाराशि-जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और अन्य मीयादी जमाराशियों में किया जाता है, जबकि प्रमख आर्थिक क्षेत्र, जिसके अनुसार स्वामित्व का वर्गीकरण किया जाता है, सरकारी क्षेत्र, निजी कंपनी क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र होते हैं। विस्तृत परिभाषाएँ, जैसाकि बीएसआर 4 विवरणी, मार्च 2005 के साथ संलग्न मार्गदर्शी सिद्धांतों में दी गयी हैं, निम्नलिखित हैं :

चालू जमाराशि में समाविष्ट होते हैं : (क) मांग पर आहरण के अधीन (बचत जमाराशि से भिन्न) या 15 दिनों से कम की परिपक्वता अवधि (15 लाख रुपये और उससे अधिक के मामले में 7 दिन) वाली जमाराशि, (ख) मांग जमा, जो अधिक से अधिक 14 दिनों तक आहरणयोग्य हो, (ग) दावा नहीं की गयी जमाराशि, (घ) अतिदेय मीयादी जमा, (ङ) कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट खातों में जमाशेष और (च) आकस्मिकता असमायोजित खाते, यदि जमाराशि के स्वरूप के हों । 14 दिनों से अनधिक अवधि के लिए मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय अंतर-बैंक जमाराशि को अंतर-बैंक उधार के रूप में माना जाता है और इस विवरणी में शामिल नहीं किया जाता है । चालू खाते में अंतर-बैंक जमाराशियों को शामिल किया जाता है । बचत जमाराशियाँ वे जमाराशियाँ होती हैं, जो बैंकों द्वारा उनके बचत बैंक जमा नियमों के अंतर्गत स्वीकार की जाती हैं और इनमें विशेष बचत योजना के अंतर्गत जमाराशि शामिल होती है। मीयादी जमाराशियाँ वे जमाराशियाँ होती हैं, जो कम से कम 15 दिनों की परिपक्वता अवधि के लिए जमा की जाती हैं (15 लाख रुपये और उससे अधिक के लिए 7 दिन) । इनमें (क) 14 दिनों की नोटिस के बाद देय अंतर-बैंक जमाराशि सहित जमाराशियाँ, (ख) नकदी प्रमाणपत्र, (ग) संचयी या आवर्ती जमा, (घ) कुरी या चिट जमा और (ङ) विशेष जमा और जमा प्रमाणपत्र (सीडी) भी शामिल होते हैं। इन जमाराशियों पर प्रोद्भूत लेकिन अदा नहीं किया गया ब्याज अन्य देयताओं के रूप में माना जाता है और इसलिए इस विवरणी में शामिल नहीं किया जाता है। जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) के आँकड़े अलग से मीयादी जमा में शामिल किये जाते हैं । कोई भी जमाराशि, जिसे धारा 42(2) के अंतर्गत पाक्षिक/विशेष विवरणी के प्रयोजनार्थ ‘अन्य मांग और मीयादी देयताओं’ के रूप में माना जाता है, इस विवरणी में रिपोर्ट नहीं की जाती है।

इस विवरणी में वर्गीकृत क्षेत्रों की व्याप्ति सारणी 2.1 में प्रस्तुत की गयी है ।

सारणी 2.1 : बीएसआर - 4 विवरणी के अंतर्गत क्षेत्र की व्याप्ति		
प्रमुख क्षेत्र	**उपक्षेत्र**	**ब्यौरे/दृष्टांत**
1 सरकारी क्षेत्र	केंद्र सरकार	केंद्र सरकार के विभाग, विभागीय उपक्रम, यथा, रेलवे, डाक एवं तार
	राज्य सरकारें	राज्य सरकार के विभाग, विभागीय उपक्रम, यथा, सड़क परिवहन उपक्रम, आदि
	स्थानीय प्राधिकरण	नगरपालिकाएँ, पंचायती राज संस्थाएँ, पत्तन न्यास
	अर्ध सरकारी निकाय	आवास बोर्ड, एसईबी, आइसीएआर, आइसीएसएसआर
	गैर विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, एसटीसी, एफसीआई, राज्य भांडागार निगम
	अन्य	
2 निजी कंपनी क्षेत्र	वित्तीय कंपनियाँ	
	आवास वित्त कंपनियाँ	एचडीएफसी, दीवान हाउसिंग फाइनैंस, आदि
	ऑटो फाइनैंस कंपनियाँ	बजाज ऑटो फाइनैंस, अशोक लेलैंड फाइनैंस, आदि
	म्युचुअल फंड - निजी क्षेत्र	कोठारी पायनियर, एपल म्युचुअल फंड, आदि
	वित्तीय सेवा कंपनियाँ	निर्गम प्रबंधन, संविभाग प्रबंधन कंपनियाँ, यथा, डीएसपी फाइनैंशियल कंसल्टैंट्स, आदि
	अन्य वित्तीय कंपनियाँ	पट्टादायी कंपनियाँ, किराया खरीद, आदि
	गैर वित्तीय कंपनियाँ	गैर सरकारी कंपनियाँ, वैसी कंपनियाँ, जिनका प्रबंधन सरकार के पास है (लेकिन जिनका स्वामित्व सरकार के पास नहीं है) और जो विनिर्माण, व्यापार, आदि कार्यकलापों में लगी हैं और कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हैं
	ऋणेतर सहकारी संस्थाएँ	विपणन, आवास, औद्योगिक, आदि सहकारी समितियाँ
	अन्य, जिनमें अर्ध कंपनी संस्थाएँ, यथा, बड़ी शिक्षण संस्थाएँ, जिन्हें निजी तौर पर निधियाँ दी जाती हैं, शामिल हैं।	निर्लाभ संस्थाएँ, शिक्षण संस्थाएँ, जिन्हें निजी तौर पर निधियाँ दी जाती हैं, यथा, सीआइआइ, एफआइसीसीआइ, आदि
3 वित्तीय क्षेत्र	बैंक	भारतीय वाणिज्यिक बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी बैंक और ऋण समितियाँ, जैसेकि पीएसीएस
	अन्य वित्तीय संस्थाएँ	
	भारतीय यूनिट ट्रस्ट	
	म्युचुअल फंड	वित्तीय संस्थाओं एवं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी
	बीमा कंपनियाँ	इनमें जीवन बीमा और गैर-जीवन बीमा, दोनों प्रकार की कंपनियाँ शामिल हैं
	मीयादी उधारदात्री संस्थाएँ	उदाहरणार्थ आइएफसीआइ, एसएफसी, एनएचबी
	भविष्य निधि संस्थाएँ	भविष्य निधि आयुक्त, भविष्य निधियों के न्यासी, बैंक की कर्मचारी भविष्य निधि
	अन्य	

सारणी 2.1 : बीएसआर - 4 विवरणी के अंतर्गत क्षेत्र की व्याप्ति *(समाप्त)*		
प्रमुख क्षेत्र	**उपक्षेत्र**	**ब्यौरे/दृष्टांत**
4 घरेलू क्षेत्र	व्यक्ति - – किसान – कारोबार, व्यापारी, व्यवसायी और स्वनियोजित – मजदूरी व वेतन अर्जक, सर्राफ, साहूकार, आदि – अन्य न्यास, एसोसिएशन, क्लब	इसमें हिन्दू अविभक्त परिवार और व्यक्तियों के संयुक्त खाते शामिल हैं
	स्वामित्व प्रतिष्ठान और भागीदारी प्रतिष्ठान	
	शिक्षण संस्थाएँ	
	धार्मिक संस्थाएँ	
	अन्य	
5 विदेशी क्षेत्र	विदेशी वाणिज्य दूतावास, राजदूतावास, व्यापारिक मिशन, सूचना सेवाएँ, आदि	
	अनिवासी	व्यक्ति और समुद्रपार कंपनियाँ, फर्में, समितियाँ, ओसीबी, ट्रस्ट, आदि, भी, जिन पर एनआरआई या पीआईओ का कम से कम 60 प्रतिशत स्वामित्व है
	अन्य	इसमें अनिवासी बैंक भी शामिल हैं

2.1.2.1.2.3. स्रोत और प्रणालियाँ

सर्वेक्षण के लिए मूलभूत आँकड़े उन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से प्राप्त होते हैं, जिन्हें सर्वेक्षण के लिए नमूने में चुना जाता है । बीएसआर 4 विवरणी के लिए फार्मैट के साथ-साथ विवरणी भरने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बैंकों के रिपोर्टिंग और नियंत्रक कार्यालयों को दिये जाते हैं । बैंकों के प्रधान/नियंत्रक कार्यालय विवरणी (हार्ड कॉपी) सॉफ्ट कॉपी में आँकड़ों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करते हैं । तथापि, जो बैंक या उनकी शाखाएँ अपनी कंप्यूटर प्रणालियों से सीधे आँकड़े निकाल सकते हैं, उन्हें फाइल स्ट्रक्चर दिया जाता है, ताकि वे हमारे डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर का प्रयोग किये बिना आँकड़े प्रस्तुत कर सकें । पुनः, कतिपय कारणों से जो बैंक डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उन्हें अनुमति दी जाती है कि वे आँकड़ों को या तो किसी भी स्वीकार्य रूप में भेजें या केवल हार्ड कॉपी प्रस्तुत करें । इस प्रकार प्राप्त आँकड़ों को सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई में संसाधित किया जाता है, जिसके लिए वह अपने यहाँ विकसित सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है । आँकड़ों का संपादन परिशुद्ध कंप्यूटर प्रोग्रामों के माध्यम से किया जाता है, ताकि उनकी संगति, वैधता और सत्यता की जाँच की जा सके और जहाँ जरूरी होता है, वहाँ आवश्यक सुधार किये जाते हैं ।

2.1.2.1.3. मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी-5 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेशों का सर्वेक्षण

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेशों का सर्वेक्षण, जो बीएसआर-5 के माध्यम से किया जाता है, भारत और विदेश में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के निवेशों की स्थिति का प्रत्येक

वर्ष मार्च के अंत में विश्लेषण करता है । निवेश संविभाग में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश, निजी क्षेत्र की कंपनियों, वित्तीय कंपनियों, बैंकों में निवेश जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत निवेशों के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किये गये हों; अन्य घरेलू प्रतिभूतियां और निवेश; विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश और अन्य विदेशी निवेश शामिल होते हैं । निवेशों का विश्लेषण बैंक समूहों, यथा, भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक (एसबीआई एंड एसोसिएट्स), राष्ट्रीयकृत बैंकों, अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (ओएससीबी) और विदेशी बैंकों के अनुसार और लिखतों, परिपक्वता, ब्याज दर (कूपन) और राज्यों के अनुसार किया जाता है । बीएसआर-5 विवरणी मार्च 1973 से आरंभ की गयी और इसने बैंक निवेशों के पूर्व के सर्वेक्षणों को प्रतिस्थापित किया। राज्यवार निवेशों की रिपोर्टिंग करने के लिए प्रोफार्मा भी संशोधित सर्वेक्षण में लागू किया गया ।

2.1.2.1.3.1. क्षेत्र की मापन संबंधी आवश्यकताएँ

सर्वेक्षण के परिणामों से एससीबी के निवेश पैटर्न में हुए परिवर्तनों का पता चलता है और इस प्रकार वे बैंकों के निवेशों के संबंध में उनके प्रकार, परिपक्वता प्रोफाइल, ब्याज/कूपन दरों के अनुसार और राज्यों के अनुसार महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं । ऐसी जानकारी नीति-निर्माताओं, विश्लेषकों, बैंकरों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपयोगी होती है ।

बीएसआर-5 सर्वेक्षण के परिणामों की प्रमुख विशेषताओं को प्रस्तुत करते हुए एक लेख वर्ष में एक बार आरबीआई बुलेटिन में प्रकाशित किया जाता है । अन्य विविध प्रकाशनों में भी बीएसआर-5 सर्वेक्षण के परिणामों पर आधारित आँकड़े प्रकाशित किये जाते हैं।

2.1.2.1.3.2. अवधारणाएँ, परिभाषाएँ और वर्गीकरण

बीएसआर सर्वेक्षण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को शामिल किया जाता है और बैंकों के प्रधान कार्यालय विवरणी प्रस्तुत करते हैं । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सभी एससीबी के कुल निवेशों में उनके न्यून हिस्से (मार्च 2005 के अंत में लगभग 2.8 प्रतिशत) के कारण शामिल नहीं किया जाता है । इस विवरणी में बैंकों के केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, केंद्र और राज्य सरकार प्रतिभूतियों से भिन्न प्रतिभूतियों, जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत निवेश के प्रयोजनार्थ अनुमोदित हों; अन्य घरेलू प्रतिभूतियों; विदेशी प्रतिभूतियों और अन्य विदेशी निवेशों में निवेश के संबंध में जानकारी माँगी जाती है । प्रत्येक कोटि के संबंध में बैंक अपने निवेशों की रिपोर्ट उनके अंकित मूल्य, बही मूल्य और जहाँ लागू हो, बाजार मूल्य और बाजार दर के अनुसार करते हैं । शेयरों, डिबेंचरों में निवेश के ब्यौरे उद्धृत और अनुद्धृत लिखतों के लिए अलग से माँगे जाते हैं । सर्वेक्षण में शामिल की गयी प्रतिभूतियों और अन्य निवेशों की पूरी सूची विवरणी में दी जाती है । इस सूची को वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाता है । सर्वेक्षण के लिए उपयोग की गयी अवधारणाएँ व्यापक रूप से निवेश संविभागों, जैसाकि एससीबी पर लागू होते हैं, के मूल्यन, वर्गीकरण और परिचालन के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों/अनुदेश से संबंधित होती हैं ।

2.1.2.1.3.3. स्रोत और प्रणालियाँ

बीएसआर-5 में आँकड़ों की आपूर्ति के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के प्रधान कार्यालय मूलभूत स्रोत होते हैं । विवरणी का फार्मेट, विवरणी को भरे जाने के दिशानिर्देशों के साथ बैंकों के प्रधान कार्यालयों को मुहैया कराये जाते हैं, जो भरी हुई विवरणियाँ केंद्रीय कार्यालय, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करते हैं । बैंकों के प्रधान कार्यालय कागज पर विवरणी सॉफ्ट रूप में आँकड़ों के साथ प्रस्तुत करते हैं । इस प्रयोजन के लिए विकसित सॉफ्टवेयर डाटा एंट्री के लिए बैंकों को दिया जाता है । इसके अतिरिक्त जो बैंक कतिपय कारणों से डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर पाते उन्हें आँकड़े या तो किसी स्वीकार्य रूप में या केवल हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने की अनुमति दी

जाती है। बैंक 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपने वार्षिक लेखों/तुलन पत्र की एक प्रति भी प्रस्तुत करते हैं।

विवरणी की प्रारंभिक संवीक्षा 31 मार्च की स्थिति के अनुसार वार्षिक लेखे के साथ की जाती है, ताकि आँकड़ा-मिलान के दो सेट सुनिश्चित हों और उनके समाधान के बाद आँकड़ों का संसाधन सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई में किया जाता है । आँकड़ा संसाधन के पूर्व बैंकों से स्पष्टीकरण माँगने के लिए आवश्यक पत्र भेजे जाते हैं । आँकड़ों का संपादन परिशुद्ध कंप्यूटर प्रोग्रामों के माध्यम से किया जाता है, ताकि उनकी संगति, वैधता और सत्यता की जाँच की जा सके और जहाँ जरूरी होता है, वहाँ आवश्यक सुधार किये जाते हैं।

2.1.2.1.4. मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी-6 : जमा खातों में नामे का सर्वेक्षण

मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर)-6, जिसका प्रचार अनुसूचित वाणिज्य बैंक में जमा खातों में नामे का सर्वेक्षण करने के लिए किया जाता है, बीएसआर प्रणाली के अंतर्गत पंचवार्षिक विवरणी होती है । यह विवरणी उन शाखाओं द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जिन्हें संदर्भाधीन वर्ष के लिए नमूने में चुना जाता है। बीएसआर-6 का आशय होता है जमाखातों मे नामे के मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ताकि जमाराशियों के पण्यावर्त की दर का हिसाब लगाया जाये, जो पूरे देश के लिए आर्थिक कार्यकलाप का महत्वपूर्ण माप होती है । जमा खातों के नामे का सर्वेक्षण (फार्म टी-1), जो 1971-72 तक वार्षिक रूप से किया जाता था, अगली बार 1974-75 में जनगणना आधार पर किया गया और 1985-86 से बैंकिंग सांख्यिकी के संबंध में निदेश के लिए गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार द्विवार्षिक नमूना सर्वेक्षण के रूप में बीएसआर- 6 विवरणी के रूप में पुनः नामित किया गया । बाद में इस सर्वेक्षण को वर्ष 2000 से पंचवार्षिक बना दिया गया है । बीएसआर-6 सर्वेक्षण में उन्हीं शाखाओं को शामिल किया जाता है, जो उस वर्ष के बीएसआर-4 सर्वेक्षण के लिए चुनी गयी हैं, जिसमें बीएसआर-6 सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

2.1.2.1.4.1. क्षेत्र की मापन संबंधी आवश्यकताएँ

बैंकों के जमा खातों में नामे जमाकर्ताओं द्वारा किये गये चेक से या नकद रूप में किये गये आहरणों का द्योतक होता है । किसी निश्चित अवधि में किये गये ऐसे कुल आहरणों की तुलना ऐसे खातों में जमाकर्ताओं द्वारा रखे गये औसत शेष से करने से यह पता चलता है कि जमाकर्ता भुगतान करने के लिए अपने बैंक खाते की रकम का किस सीमा तक उपयोग करता है और इस प्रकार यह जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत होता है । सर्वेक्षण के परिणामों के प्रमुख उपयोगकर्ता होते हैं सरकारी विभाग/संगठन, भारतीय रिज़र्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक और अन्य, उदाहरणार्थ अनुसंधानकर्ता और अन्य । नकद नामे (जिनमें एटीएम के माध्यम से नामे शामिल है) के संबंध में जानकारी भी वर्ष 2004-05 के लिए सर्वेक्षण में संगृहीत की जा रही है और यह उम्मीद है कि यह नीति संबंधी प्रयोजनों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए आँकड़े का उपयोगी स्रोत होगी ।

बीएसआर-6 सर्वेक्षण के परिणामों की प्रमुख विशेषताओं को प्रस्तुत करते हुए एक लेख वर्ष में एक बार आबीआई बुलेटिन में प्रकाशित किया जाता है । अन्य विविध प्रकाशनों में भी बीएसआर-6 सर्वेक्षण के परिणामों पर आधारित आँकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं ।

2.1.2.1.4.2. अवधारणाएँ, परिभाषाएँ और वर्गीकरण

जो आँकड़े शामिल किये जाते हैं, वे चालू और बचत जमा खातों में तिमाही बकाया शेष के और कैश क्रेडिट एवं ओवरड्राफ्ट खातों में अनुमोदित ऋण सीमाओं तथा कुल नामे (तिमाहीवार) एवं उपर्युक्त प्रकार के खातों में नकदी नामे (तिमाहीवार) के होते हैं। बकाया शेष/अनुमोदित ऋण सीमाएँ जून, सितंबर और दिसंबर के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार होती हैं और मार्च तिमाही के मामले में 31 मार्च की स्थिति के अनुसार

होती हैं । विस्तृत परिभाषाएँ बीएसआर-6 विवरणी से संलग्न दिशानिर्देशों में दी गयी हैं । बीएसआर-6 में 2004-05 विवरणी के लिए प्रयोग की गयी परिभाषाएँ/ अवधारणाएँ निम्नलिखित हैंः

बैंकों (चाहे वाणिज्यिक, सहकारी, अनुसूचित या गैर अनुसूचित हों) की अंतर-बैंक जमाराशियाँ/क्रेडिट खाते रिपोर्ट किये गये आँकड़ों में बिलकुल शामिल नहीं किये जाते हैं । कुल नामे (आहरण), जो चालू जमा खातों, बचत जमा खातों, कैश क्रेडिट खातों और ओवरड्राफ्ट खातों में अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर, अक्तूबर-दिसंबर और जनवरी-मार्च तिमाहियों में दिये जाते हैं, उनकी रिपोर्ट की जाती है । सभी प्रकार से किये गये आहरणों की रिपोर्ट की जाती है । इनमें वे सभी आहरण शामिल होते हैं, जो चेकों के माध्यम से, नकद किये जाते हैं और इनमें ईसीएस, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सरणियों से किये गये आहरण भी शामिल होते हैं । एटीएम से किये गये आहरण उन सभी आहरणों का उप-सेट होते हैं, जो इस भाग में कुल आहरणों में रिपोर्ट किये जाते हैं । बचत और चालू जमा में जमाकर्ताओं को देय ब्याज की राशि शामिल की जाती है । चालू खातों में कैश क्रेडिट खातों के जमाशेष, मांग और 15 दिनों से कम की अवधि की सूचना पर प्रतिदेय राशि (15 लाख रुपये से अधिक की जमाराशि के लिए 7 दिन) , दावा नहीं की गयी जमाराशियाँ और परिपक्व हो गयी लेकिन अदा नहीं की गयी सावधि जमाराशि शामिल होती है। आकस्मिकता और असमायोजित खाते, यदि वे जमाराशियों के स्वरूप के हों, को भी चालू जमाराशियों में शामिल किया जाता है । मार्जिन जमा, स्टाफ भविष्य निधि और प्रतिभूति जमा तथा इन पर देय ब्याज को प्रस्तुत किये गये आँकड़ों में शामिल नहीं किया जाता है । कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट के संबंध में अनुमोदित सीमाएं प्रभावी सीमा (आहरण अधिकार) को निर्दिष्ट करती हैं, जो अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर, अक्तूबर-दिसंबर और जनवरी-मार्च तिमाही के लिए 31 मार्च की स्थिति के अनुसार होती हैं, भले ही ऐसी सीमाओं का उपयोग नहीं किया गया हो । निर्बंध ओवरड्राफ्टों के मामले में पूर्ण स्वीकृत सीमाओं को लिया जाता है । जैसाकि ऊपर बताया गया है, जब कभी यह सर्वेक्षण किया जाता है, तब सर्वेक्षण के लिए बीएसआर 4 में वर्णित नमूना चयन योजना का अनुसरण करते हुए सर्वेक्षण के लिए नमूना शाखाओं का चयन किया जाता है ।

2.1.2.1.4.3. स्रोत और प्रणालियाँ

सर्वेक्षण के लिए मूलभूत आँकडे उन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से प्राप्त किये जाते है, जिन्हें सर्वेक्षण के लिए नमूने में चुना जाता है । बीएसआर-6 विवरणी के फार्मैट के साथ-साथ विवरणी भरने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत चुनी गयी सभी शाखाओं को उनके प्रधान/नियंत्रक कार्यालयों के माध्यम से किसी खास वर्ष के सर्वेक्षण के लिए दिया जाता है। विवरणी के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने वाले आँकड़े शाखाओं द्वारा अपनी कंप्यूटर प्रणालियों से निकाले जाते हैं । बैंकों के प्रधान/ नियंत्रक कार्यालय कागज पर विवरणी के साथ सॉफ्ट कॉपी में आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करते हैं । डाटा एंट्री के प्रयोजनार्थ फॉक्सप्रो में विकसित सॉफ्टवेयर बैंकों को दिये जाते हैं । तथापि, इन बैंकों या इनकी शाखाओं को, जो अपने कंप्यूटरों से सीधे आँकड़ा प्राप्त कर सकती हैं, फाइल-स्ट्रक्चर दिया जाता है, ताकि वे सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग के डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर का प्रयोग किये बिना आँकड़े प्रस्तुत कर सकें। पुनः कतिपय कारणों से जो बैंक डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं कर सकते उन्हें अनुमति दी जाती है कि वे आँकड़ों को या तो किसी स्वीकार्य रूप में भेजें या केवल हार्ड कॉपी प्रस्तुत करें । इस प्रकार प्राप्त आँकड़ों को सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई में संसाधित किया जाता है, जिसके लिए वह अपने यहाँ विकसित सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है । आँकड़ों का संपादन परिशुद्ध कंप्यूटर प्रोग्रामों के माध्यम से किया जाता है, ताकि उनकी संगति, वैधता और सत्यता की जाँच की जा सके ।

2.1.2.1.5. मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी -7 :सकल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण के संबंध में तिमाही विवरणी

भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) की सकल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण के संबंध में मासिक आधार पर मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) 7 के माध्यम से, जो अगस्त 1974 में आरंभ की गयी थी, जानकारी संगृहीत करता था । इस विवरणी की आवधिकता मार्च 1984 में समाप्त तिमाही से बदलकर तिमाही कर दी गयी । सकल बैंक जमाराशियों और सकल बैंक ऋण के संबंध में इन आँकड़ों का प्रसार 1981 से ''बैंकिंग सांख्यिकी - सकल जमाराशियाँ और सकल बैंक ऋण के संबध में मासिक विवरणी'' शीर्षक प्रकाशन के माध्यम से किया जाता था । बाद में इन आँकड़ों को ''बैंकिंग सांख्यिकी -तिमाही हैंडआउट'' शीर्षक के अंतर्गत मार्च 1984 से प्रकाशित किया जाने लगा । इस प्रकाशन का नाम पुनः बदलकर सितंबर 2003 से ''अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के जमा और ऋण के संबंध में तिमाही सांख्यिकी'' कर दिया गया है । इन प्रकाशनों में जमा और ऋण के आँकड़े, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यों/जिलों/केंद्रों/आबादी समूहों/बैंक समूहों के अनुसार दिये जाते हैं ।

2.1.2.1.5.1. क्षेत्र की मापन संबंधी आवश्यकताएँ

बीएसआर-7 विवरणी पर आधारित सकल जमाराशियों और सकल बैंक ऋण के भौगोलिक वितरण के संबंध में जानकारी मौद्रिक नीति और क्षेत्रीय विकास प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण निविष्टि के रूप में काम करती है । इसके अतिरिक्त, यह भिन्न-भिन्न क्षेत्रों/केंद्रों की बैंकिंग संभाव्यता के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण निविष्टि के रूप में काम करती है । रिज़र्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक तथा अनुसंधानकर्ताओं द्वारा बीएसआर-7 आँकड़ों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है । ये आँकड़े संसद में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर तैयार करने के लिए भी महत्वपूर्ण निविष्टि का काम करते हैं और इनका उपयोग विविध आर्थिक मुद्दों के संबंध में सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित भिन्न-भिन्न समितियों द्वारा किया जाता है । इन आँकड़ों का प्रसार तिमाही प्रकाशन के माध्यम से किया जाता है, जिसे रिज़र्व बैंक के इंटरनेट साइट पर भी देखा जा सकता है।

2.1.2.1.5.2. अवधारणाएँ, परिभाषा और वर्गीकरण

बीएसआर-7 विवरणी एक सरल विवरणी होती है, जिसमें बैंकों के प्रधान/नियंत्रक कार्यालय सकल जमाराशियों एवं सकल बैंक ऋण के संबंध में शाखा/कार्यालयवार तिमाही आँकड़े संदर्भ तिथि की स्थिति के अनुसार , जो जून, सितंबर, दिसंबर तिमाहियों के मामले में अंतिम शुक्रवार और मार्च तिमाही के मामले में 31 मार्च होती है, देते हैं । सकल जमाराशियाँ किसी बैंक की मांग और मीयादी देयताओं (अंतर-बैंक जमाराशियों और इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट्स को छोड़कर) का द्योतक होती हैं । सकल बैंक ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत फार्म ए विवरणी के अनुसार बैंक ऋण (अंतर-बैंक अग्रिमों को छोड़कर) के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्तीय संस्थाओं में पुनः भुनाये गये बिलों की बकाया राशि का द्योतक होता है । एक केंद्र की परिभाषा संबंधित राज्य सरकार द्वारा वर्गीकृत और अंकित राजस्व इकाई, अर्थात् एक राजस्व ग्राम/शहर/नगर/नगरपालिका/नगर निगम, आदि, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में दी जाती है, जिसमें शाखा स्थित होती है। बैंक सुविधायुक्त केंद्रों का आबादी समूह वर्गीकरण 1991 की जनगणना पर आधारित है। आबादी समूहों की परिभाषा निम्नानुसार दी जाती हैः

i) 'ग्रामीण' समूह में 10,000 से कम आबादी वाले केंद्र शामिल होते हैं ।

ii) 'अर्ध शहरी' समूह में 10,000 और उससे अधिक लेकिन 1 लाख से कम आबादी वाले केंद्र शामिल होते हैं ।

iii) 'शहरी' समूह में 1 लाख और उससे अधिक लेकिन 10 लाख से कम आबादी वाले केंद्र शामिल होते हैं तथा

iv) 'मेट्रोपॉलिटन' समूह में 10 लाख और उससे अधिक आबादी वाले सभी केंद्र शामिल होते हैं।

2.1.2.1.5.3. *स्रोत और प्रणालियाँ*

सर्वेक्षण के लिए मूलभूत आँकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाओं/कार्यालयों से प्राप्त होते हैं। बैंकों के प्रधान/नियंत्रक कार्यालय अपनी शाखाओं/कार्यालयों से आँकड़े प्राप्त करने की व्यवस्था करते हैं और प्रारंभिक संवीक्षा के बाद उसे सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करते हैं । डाटा एंट्री के प्रयोजनार्थ फॉक्सप्रो में विकसित सॉफ्टवेयर बैंकों को दिये जाते हैं । तथापि, कुछ बैंकों या इनकी शाखाओं को अपने कंप्यूटरों से आँकड़े निकालने की अनुमति दी जाती है और उन्हें फाइल-स्ट्रक्चर दिया जाता है, ताकि वे सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग के डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर का प्रयोग किये बिना आँकड़े प्रस्तुत कर सकें। पुनः यदि बैंक कतिपय कारणों से डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें अनुमति दी जाती है कि वे आँकड़ों को या तो किसी स्वीकार्य रूप में भेजें या उनकी हार्ड कॉपी भेजें ।

इस प्रकार प्राप्त आँकड़ों को सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई में संसाधित किया जाता है, जिसके लिए वह अपने यहाँ विकसित सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है। आँकड़ों का संपादन परिशुद्ध कंप्यूटर प्रोग्रामों के माध्यम से किया जाता है, ताकि उनकी संगति, वैधता और सत्यता की जाँच की जा सके और जहाँ भी जरूरत होती है, बैंकों से पूछताछ की जाती है और उनके उत्तर प्राप्त होने पर आवश्यक सुधार किये जाते हैं।

2.1.2.1.6. *बीएसआर आँकड़ों का गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करना*

बीएसआर 1 और बीएसआर 2 विवरणियों के अंतर्गत रिपोर्ट किये गये संसाधित आँकड़ों पर विविध प्रकार के कूट वैधीकरण और अंतर-संगति जाँच किये जाते हैं, यथा (i) शाखावार कुल जोड़ को बीएसआर-7 के आँकड़ों से मिलान किया जाता है, ताकि बड़ी आयामी भिन्नता की जाँच की जा सके ; (ii) पिछले वर्ष के आँकड़ों की तुलना में आँकड़ों में अधिक वृद्धि/ह्रास की जाँच करना; (iii) बाहरी (सीमा के बाहर) - बहुत अधिक/कम मूल्यों का परीक्षण करना; (iv) तार्किक असंगतियों का (कूटों/लक्षणों को एक साथ दिया जाना) का पता लगाना; और (v) बैंकवार कुल जोड़ का मिलान धारा 42(2) और बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के आँकड़ों से करना । असंगति संबंधी रिपोर्ट बैंकों को वापस भेजी जाती है, ताकि उनका स्पष्टीकरण/प्रतिसूचना/सुधारे गये/संशोधित आँकड़े प्राप्त हो सकें। अंतिम परिणामों की जाँच भी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित अन्य स्रोतों के आँकड़ों से की जाती है।

बीएसआर विवरणियों में प्राप्त आँकड़ों की उत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, पुरजोर अनुवर्ती कार्रवाई के अलावा , समय-समय पर कार्यशालाएँ एवं बैठकें आयोजित की जाती हैं , ताकि बैंक-कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा सके और उन्हें समझाया जा सके कि पूर्ण, परिशुद्ध और समय पर आँकड़ों को प्रस्तुत किया जाना कितना आवश्यक है । कार्यशालाओं में पूर्व के सर्वेक्षणों में पायी गयी सामान्य भूलों/विसंगतियों पर भी विचार किया जाता है और डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर के प्रदर्शन/हैंड्स ऑन सत्र भी आयोजित किये जाते हैं। सही-सही डाटा एंट्री सुनिश्चित करने के लिए विविध प्रकार के वैधीकरण और संगति जाँच की व्यवस्था डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर में ही कर दी जाती है। आँकड़ों का परिमार्जन विभाग में ही किया जाता है और इसकी संगति का प्रति-परीक्षण विभिन्न स्तरों पर अन्य विवरणियों से

प्राप्त होने वाले आँकड़ों के समुच्चय के विभिन्न स्तरों के साथ किया जाता है। पुनः, प्रारंभिक सारणीकरण की जाँच अन्य समष्टि आर्थिक गतिविधियों के आलोक में की जाती है, ताकि सर्वेक्षण के परिणाम में संगति सुनिश्चित हो सके।

2.1.2.2. अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी

वैश्विक वित्तीय प्रणाली के कारगर ढंग से कार्य करने के लिए बाह्य लेनदेनों के संबंध में आँकड़ों की गुणवत्ता और पर्याप्तता को बनाये रखने और समय पर उनका प्रसार करने के महत्व को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों ही प्रकार के विनियामक प्राधिकारियों द्वारा बहुत आवश्यक समझा गया है । इससे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अंतर्धाराओं की पहचान और विश्लेषण करने में मदद मिलती है। इस प्रकार, उच्च गुणवत्ता के युक्तियुक्त आँकड़ों का विकास और उनका प्रबंधन सभी केंद्रीय बैंक प्राधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है । खासकर, पूर्व एशिया के संकट ने बैंकों के अंतरराष्ट्रीय निवेशों और अंतरराष्ट्रीय ऋण संबंधी स्थिति के आकार और विन्यास के संबंध में समय पर व्यापक आँकड़ों के संग्रहण पर अधिक ध्यान दिलाया ।

भारत में, बाह्य क्षेत्र के बढ़ते उदारीकरण से सीमापार से निधियों के प्रवाह पर निरंतर निकट निगरानी रखना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है । इससे बैंकिंग क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय दावों और देयताओं के संबंध में आँकड़ा संग्रहण करने के लिए एकजुट प्रयास करने की आवश्यकता है । वर्तमान में भारत में बैंक भारत और विदेश में अपने परिचालनों के ब्यौरे भारतीय रिजर्व बैंक के भिन्न-भिन्न विभागों को देते हैं , जो संबंधित विभागों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं । जबकि बहुत सी जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक के भिन्न-भिन्न विभागों में प्राप्त होती है, जो उनकी विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होती हैं, यह जानकारी अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) द्वारा संगृहीत और प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी (आईबीएस) में सहभागिता के लिए पर्याप्त नहीं होती है। बीआईएस की आईबीएस प्रणाली की डिजाइन (क) किसी भी मुद्रा में अनिवासियों और (ख) विदेशी मुद्रा में निवासियों की तुलना में बैंक की बाह्य/अंतरराष्ट्रीय देयताओं और आस्तियों के संबंध में जानकारी संग्रह/संकलन/प्रदान करने के लिए बनायी जाती है । इस प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से भिन्न-भिन्न किस्म की मदों, यथा, ऋण, जमा, निवेश, उधार, अन्य आस्तियों और अन्य देयताओं के संबंध में मुद्रा के ब्यौरे के साथ (देशी एवं विदेशी मुद्रा), क्षेत्र (बैंक, बैंकेतर और सरकारी एवं गैर-बैंक निजी) तथा देश (अलग-अलग देश, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं एवं मौद्रिक प्राधिकारी) के संबंध में जानकारी का तिमाही आधार पर संकलन किया जाता है ।

उपर्युक्त के प्रयोजनार्थ भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी के संबंध में एक कार्यकारी दल का गठन किया, ताकि वह , अन्य बातों के साथ-साथ, एक व्यापक रिपोर्टिंग तंत्र का सुझाव दे सके, जो बीआईएस की आईबीएस प्रणाली में भारत को सहभागिता के लिए समर्थ बना सके । कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों और अंतरराष्ट्रीय देयताओं के संबंध में अपेक्षित विस्तृत आँकड़े दिसंबर 1999 से तिमाही आधार पर बैंकों से संगृहीत किये जा रहे हैं । एक स्थायी अनुश्रवण दल (एसएमजी), जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी के संबंध में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करता रहा है । एसएमजी एक निरंतर काम करने वाला दल है और इसका दो वर्षों में एक बार पुनर्गठन किया जाता है ।

मार्च 2001 तिमाही से भारत में बैंकों से 23 विवरणों (18 स्थानीकृत बैंकिंग सांख्यिकी (एलबीएस) और 4 (मार्च 2006 से 5) समेकित बैंकिंग सांख्यिकी (सीबीएस), के रूप में समेकित आँकड़े नियमित रूप से बीआईएस को भेजे जा रहे हैं। बीआईएस ने दिसंबर 2001 तिमाही से भारत के आईबीएस आँकड़ों को समाविष्ट करना आरंभ किया और इसके परिणामस्वरूप भारत दुनिया के उन सभी विकासशील देशों में तीसरे स्थान पर आ गया, जो आईबीएस के संकलन के लिए बीआईएस की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं । जबकि बीआईएस (www.bis.org) रिपोर्ट करने वाले सभी देशों के समेकित आँकड़ों का प्रकाशन करता है, भारतीय रिज़र्व बैंक एक लेख के रूप में आईबीएस के आँकड़े समेकित रूप में आरबीआई बुलेटिन (www.rbi.org.in) में प्रकाशित करता है । बीआईएस रिपोर्ट करने वाले सभी देशों की समेकित सांख्यिकी का प्रकाशन नियमित रूप से ''बीआईएस क्वार्टरली रिव्यू-इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फाइनैंशियल मार्केट डेवलपमेंट्स'' और ''दिबीआईएस कंसोलिडेटेड बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स'' में करता है । बीआईएस के अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय संगठन और अन्य देशों के केंद्रीय बैंक आगे की जाँच के लिए देश-विशिष्ट विस्तृत आँकड़ों का प्रयोग करते रहे हैं ।

आँकड़ों की व्याप्ति को उन्नत करने की दृष्टि से, बीआईएस ने समेकित बैंकिंग सांख्यिकी (सीबीएस) के लिए अपने मार्गदर्शी सिद्धांतों को संशोधित किया, जिसके लिए उत्पादनों/ लिखतों, यथा, डेरिवेटिव संविदाओं, गारंटियों, ऋण वायदों, आदि की व्याप्ति बढ़ायी गयी और इसके रिपोर्टिंग फार्मैट को संशोधित किया गया और सीबीएस विवरणों की संख्या बढ़ायी गयी (4 से 5 की गयी) । नवीन रूप में आरंभ किये गये सीबीएस विवरण में निम्नलिखित को प्रस्तुत किया जाता है - (i) अंतिम जोखिम वाले देश और क्षेत्र द्वारा समेकित अंतरराष्ट्रीय दावा, और (ii) अंतिम जोखिम वाले देश द्वारा लिखतवार (यथा, डेरिवेटिव संविदा, गारंटियाँ, ऋण वायदे) बकाया राशियाँ । भारत में केवल एक विवरणी , अर्थात् आईबीएस विवरणी, दोनों प्रकार की सांख्यिकी, यथा, एलबीएस और सीबीएस, को मिलाने के लिए होती है । बीआईएस के संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों और रिकार्ड की गयी कुछ टिप्पणियों के आलोक में प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए भारत में बीआईस की आईबीएस प्रणाली के कार्यान्वयन के दौरान भारत में बैंकों और विदेशों में भारतीय बैंकों के कार्यालयों के आईबीएस गाइड को संशोधित/ आशोधित किया गया । संशोधित प्रणाली का कार्यान्वयन मार्च 2005 की रिपोर्टिंग तिमाही से किया गया है। प्रमुख संशोधन/आशोधन निम्नलिखित हैं :

i) आस्ति/देयता कूट को आशोधित किया गया है, ताकि वित्तीय लिखतों, यथा, डेरिवेटिव, साख पत्र, गारंटियों, और ऋण वायदों के संबंध में आँकड़े प्राप्त किये जा सकें ।

ii) बैंक/शाखाएँ बकाया 'राशि/जमाशेष' तथा 'प्रोद्भूत ब्याज' की रुपये में रिपोर्ट करते रहे थे । अब बकाया राशि/जमाशेष तथा प्रोद्भूत ब्याज की रिपोर्ट खाते की मुद्रा में भी की जाती है ।

iii) क्षेत्रीय वर्गीकरण को भी आशोधित किया गया है, जिसके लिए कोटियों की संख्या घटाकर 8 [दो बैंकों के लिए, यथा, बैंक का अपना कार्यालय और बैंक का अन्य कार्यालय, एक आधिकारिक मौद्रिक प्राधिकारियों के लिए और एक सरकार, तीन बैंकेतर और एक नकद संपार्श्विक (केवल अंतिम जोखिम वाले क्षेत्र के लिए लागू)] कर दी गयी है, जबकि पहले क्षेत्र का वर्गीकरण 12 कोटियों में (8 कूट बैंकों के लिए, जो विविध मानदंडों, यथा, स्वामित्व, प्रधान कार्यालय की अवस्थिति और अपने/अन्य बैंक के कार्यालय

पर आधरित था, एक कूट आधिकारिक मौद्रिक प्राधिकारियों के लिए और तीन कूट गैर-बैंकों के लिए, यथा, बैंकेतर सरकारी क्षेत्र, बैंकेतर निजी क्षेत्र और बैंकेतर अन्य के लिए) किया जाता था ।

iv) वर्तमान समय में छह मुद्राओं, यथा, अमरीकी डालर, यूरो, जापानी येन, स्विस फ्रैंक, पाउंड स्टर्लिंग और देशी मुद्रा (भारतीय रुपया), तथा अन्य सभी मुद्राओं को अवशिष्ट कोटि 'ओटीएच' में जोड़कर जानकारी दिये जाने की तुलना में संशोधित प्रणाली में डेरिवेटिव से भिन्न मदों के लिए खाते/लेनदेन की मुद्रा की रिपोर्ट आइएसओ करेंसी कूट में करना आवश्यक होता है । इसमें भारतीय करेंसी सहित 25 करेंसियों तथा शेष विदेशी करेंसियों के लिए अवशिष्ट करेंसी कोटि 'ओटीएच' के अंतर्गत जानकारी देने के लिए कहा जाता है। तथापि, शाखाओं से उनके आरओ/जेडओ/एलएचओ/एचओ को डेरिवेटिव की रिपोर्ट करने के लिए डेरिवेटिव संविदाओं के निपटान की मुद्रा की रिपोर्ट आईएसओ करेंसी कोड के रूप में की जाती है। लगभग 161 करेंसियों और उनके आईएसओ कूटों की एक सूची अनुबंध 2.5 में दी गयी है । निपटान की मुद्रा के साथ काउंटर पार्टी के देश की रिपोर्ट प्रधान कार्यालय में निवल राशि प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ, यदि लागू हो, की जाती है ।

2.1.2.2.1. क्षेत्र की मापन संबंधी आवश्यकताएँ

आईबीएस बैंकिंग प्रणाली की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों और देयताओं के कुल परिमाण और मुख्यतः क्षेत्र (बैंक, बैंकेतर), अवशिष्ट परिपक्वता, मुद्रा और निवास के देश के संदर्भ में उनके संघटन के प्रति समझदारी मुहैया कराता है । अंतरराष्ट्रीय आस्तियों/देयताओं में रिपोर्ट करने वाले बैंक की अनिवासियों के लिए किसी भी मुद्रा में और निवासियों के लिए विदेशी मुद्रा में दावों/देयताओं को शामिल किया जाता है ।

आईबीएस आँकड़ों का प्रमुख रूप से संकलन बीआईएस की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है । बीआईएस (www.bis.org) सदस्य देशों के बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं और आस्तियों की स्थिति तिमाही आधार पर अपने प्रकाशन, यथा (i) कंसोलिडेटेड बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स, और (ii) बीआईएस क्वार्टरली रिव्यू :इंटरनेशनल बैंकिंग और फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट्स में प्रकाशित करता है । बीआईएस द्वारा संकलित आईबीएस आँकड़े सदस्य देशों के केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, यथा, आईएमएफ, आदि द्वारा उपयोग किये जाते हैं । एलबीएस/सीबीएस का संकलन करने की विधि और आईबीएस में प्रयुक्त विविध पदों के स्पष्टीकरण अनुबंध 2.6 में दिये गये हैं ।

2.1.2.2.2. अवधारणाएँ, परिभाषाएँ और वर्गीकरण

आईबीएस में प्रयुक्त विविध मदों की परिभाषाएँ नीचे दी गयी हैं :

रिपोर्ट करने वाला देश : ''रिपोर्ट करने वाला देश'' पद उस देश को विनिर्दिष्ट करता है, जो बीआईएस के लिए आईबीएस आँकड़ों का संकलन करता है और प्रदान करता है । यहाँ, भारत रिपोर्ट करने वाला देश है और भारत से भिन्न कोई देश विदेश है ।

स्थानीय मुद्रा और गैर-स्थानीय मुद्रा : स्थानीय या घरेलू मुद्रा उस देश की मुद्रा होती है, जहाँ बैंकिंग कार्यालय स्थित होता है । घरेलू से भिन्न मुद्रा को गैर-स्थानीय या विदेशी मुद्रा कहा जाता है । यहाँ, भारत में, भारतीय रुपया (आईएनआर) स्थानीय या घरेलू मुद्रा है और अन्य सभी मुद्रा विदेशी मुद्रा है ।

अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ और अंतरराष्ट्रीय देयताएँ : शाखा में रखे गये बही खातों में शेष, जो

(i) अनिवासियों के लिए किसी मुद्रा में (अर्थात्, विदेशी मुद्रा और घरेलू मुद्रा में); और (ii) निवासियों के लिए विदेशी मुद्रा में आस्तियों (अथवा दावों) और देयताओं के द्योतक होते हैं, क्रमशः अंतरराष्ट्रीय आस्तियों और अंतरराष्ट्रीय देयताओं के रूप में माने जाते हैं ।

अनिवासी किसे माना जाता है : इस सांख्यिकी के प्रयोजनार्थ अनिवासी से अभिप्रेत होता है:

i) कोई व्यक्ति जो स्थायी रूप से भारत से बाहर रहता हो,

ii) कोई व्यक्ति जो भारत से बाहर रहा है या फेरा के दिशानिर्देशों या फेमा के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों में अनुबद्ध अवधि के लिए भारत से बाहर रहना चाहता है,

iii) कोई व्यक्ति, जो सामान्यतः भारत से बाहर रहता है, लेकिन जो अस्थायी रूप से भारत में निवास करता है,

iv) छात्र या कोई व्यक्ति, जो इलाज करा रहा हो, जो विदेशी राष्ट्रिक हो, भले ही भारत में उसके ठहरने की अवधि कितनी भी हो,

v) कोई कंपनी/फर्म/संस्था, जो भारत से बाहर स्थित हो,

vi) राजनयिक मिशन और कार्मिक, भले ही भारत में उनके ठहरने की अवधि कितनी भी हो।

आईबीएस में प्राप्त जानकारी की मदें : भारत में बैंकों की शाखाएँ अपने मुख्य प्रधान/कार्यालयों को अंतरराष्ट्रीय आस्तियों/देयताओं के सबंध में निम्नलिखित मदों की रिपोर्ट करती हैं :

रिपोर्ट करने वाली शाखा का निवास देश (कूट) (भारत में स्थित शाखाओं के लिए 'आईएन')

आस्ति/देयता की व्यापक कोटि

कोटि के अंतर्गत आस्ति/देयता का प्रकार

आईएसओ करेंसी कूट के रूप में खाता/लेनदेन/ निपटान की मुद्रा

आईएसओ देश कूट के रूप में उधारकर्ता/ग्राहक का देश

क्षेत्र कूट के रूप में उधारकर्ता/ग्राहक का क्षेत्र

परिपक्वता कूट के रूप में अवशिष्ट परिपक्वता

आईएसओ देश कूट के रूप में अंतिम जोखिम का देश

क्षेत्र कूट के रूप में अंतिम जोखिम का क्षेत्र

खाता/लेनदेन की मुद्रा में जमाशेष (डेरिवेटिवों का एमटीएम मूल्य अमरीकी डालर में, भले ही निपटान की मुद्रा कोई भी हो)

खाता/लेनदेन की मुद्रा में प्रोद्भूत ब्याज (यदि प्रोद्भूत ब्याज पहले ही जमाशेष की राशि में प्रदर्शित हो, तो यह शून्य होगा)

खातों में जमाशेष/समतुल्य भारतीय रुपये में डेरिवेटिवों का एमटीएम मूल्य, और

समतुल्य भारतीय रुपये में प्रोद्भूत ब्याज (यदि प्रोद्भूत ब्याज पहले ही जमाशेष की राशि में प्रदर्शित हो, तो यह शून्य होगा) ।

रिपोर्ट करने वाली शाखा का निवास का देश : रिपोर्ट करने वाली शाखा/कार्यालय के निवास के देश से अभिप्रेत है वह देश, जहाँ रिपोर्ट करने वाली शाखा स्थित है । विदेशी बैंकों की शाखाओं सहित भारत में रिपोर्ट करने वाली सभी शाखाओं को चाहिए कि वे मूल्य ''आईएन'' के रूप में दें ('आईएन' भारत के लिए आईएसओ कूट है) । आईएसओ देश कूट अनुबंध 2.7 में दिये गये हैं ।

विभिन्न कोटियों और प्रकार के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय आस्तियों/देयताओं का वर्गीकरण

ए. अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ

आस्ति कोटि	कोटि कूट (एएलसीडी)	आस्ति प्रकार वर्णन	प्रकार कूट (टाइपसीडी)
अंतरराष्ट्रीय ऋण और जमाराशियाँ	11	अनिवासियों को ऋण	11
		निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण	12
		बकाया निर्यात बिल	21
		हाथ में विदेशी मुद्रा, यात्री चेक, आदि	41
		नोस्त्रो जमाशेष और विदेश में प्लेसमेंट	51
ऋण प्रतिभूतियों का अंतरराष्ट्रीय धारण	21	विदेशी सरकार प्रतिभूतियों में निवेश	11
		विदेश में अन्य ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	12
अंतरराष्ट्रीय अन्य आस्तियाँ	31	विदेश में इक्विटियों में निवेश	11
		अन्य अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ	21

बी. अंतरराष्ट्रीय देयताएँ

देयता कोटि	कोटि कूट (एएलसीडी)	देयता प्रकार वर्णन	प्रकार कूट (टाइपसीडी)
अंतरराष्ट्रीय जमाराशियाँ और ऋण	51	एफसीएनआर(बी)	11
		निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) जमाराशियाँ	12
		विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाता	13
		अन्य एफसी जमाराशियाँ	14
		उधार	41
		वोस्त्रो खाते में जमाशेष	51
		अनिवासी बाह्य (एनआरई) रुपया खाता	52
		अनिवासी साधारण (एनआरओ) रुपया खाता	55
		दूतावास खाता	57
		विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ) खाता	58
		एस्क्रो खाता	59
अंतरराष्ट्रीय ऋण प्रतिभूतियों का अपना निर्गम	61	अंतरराष्ट्रीय बांड (एसबीआई का आइएमबी, आदि)	11
		एफआरएन (फ्लोटिंग रेट नोट्स)	12
		अंतरराष्ट्रीय ऋण लिखतों का अपना अन्य निर्गम, यदि हो	13
अंतरराष्ट्रीय अन्य देयताएँ	71	जीडीआर/एडीआर (रिपोर्टिंग बैंकों द्वारा जारी)	11
		एनआरआई/ओसीबी द्वारा धारित बैंकों की रुपया इक्विटियाँ	12
		अन्य अंतरराष्ट्रीय देयताएँ	13

सी. डेरिवेटिव, साखपत्र, गारंटियाँ और ऋण वायदे

डेरिवेटिव, साखपत्र, गारंटियाँ और ऋण वायदे	81		
		डेरिवेटिव	11
		साखपत्र	21
		गारंटियाँ	31
		ऋण वायदे	41

खाता/लेनदेन/निपटान की मुद्रा (सीयूआरसीडी) : बैंक/शाखाएँ डेरिवेटिवों से भिन्न मदों के लिए खाता/लेनदेन की मुद्रा की रिपोर्ट नीचे दिये गये आईएसओ मुद्रा कूट के रूप में करते हैं । शाखाओं से उनके आरओ/जेडओ/एलएचओ/एचओ को डेरिवेटिवों की रिपोर्ट किये जाने के लिए, डेरिवेटिव संविदाओं की निपटान मुद्रा की रिपोर्ट आईएसओ मुद्रा कूट के रूप में की जाती है, जैसाकि अनुबंध 2.5 में दिया गया है। यद्यपि डेरिवेटिव संविदाओं का एमटीएम मूल्य समतुल्य अमरीकी डालर और भारतीय रुपये में रिपोर्ट किया जाता है, फिर भी निपटान की मुद्रा, काउंटर पार्टी के देश के साथ, प्रधान कार्यालय में नेटिंग के प्रयोजनार्थ रिपोर्ट की जाती है ।

विदेशी मुद्रा खातों/लेनदेनों के लिए रुपये में समतुल्य राशि रिकार्ड करते समय, भारत के बैंक विविध मुद्राओं के लिए कल्पित विनिमय दरों का प्रयोग करते हैं। कल्पित विनिमय दर एक बैंक से दूसरे बैंक में बदलती रहती है और कुछ मुद्राओं के लिए बाजार दर और कल्पित दर में अंतर बहुत अधिक होता है । तदनुसार, खातों/लेनदेन की मुद्रा के साथ-साथ खाता/लेनदेन की मुद्रा में राशियों/जमाशेषों/ब्याजों (यदि खाता/लेनदेन की मुद्रा 'ओटीएच' हो, तो राशियों/जमाशेषों/ब्याजों की अमरीकी डालर में समतुल्य राशि) और कल्पित दरों पर परिगणित रुपया समतुल्य राशि/जमाशेष/ब्याज की रिपोर्ट आईबीएस में की जाती है । जबकि सांकेतिक दरों पर परिगणित रुपया समतुल्य राशि बैंकों को अपनी खाताबहियों का मिलान करने में मदद करेगी, बीआईएस में रिपोर्ट करने के लिए विदेशी मुद्रा राशि को बाजार दर पर अमरीकी डालर में बदल दिया जायेगा ।

उधारकर्ता/ग्राहक का निवास का देश (सीओसीयूएनसीडी): व्यक्ति/संस्था (बैंक, कंपनी, व्यक्ति, संस्था, आदि), जिसके पास बैंक की आस्तियाँ हैं या जिसके प्रति बैंक की देयताएँ हैं, के निवास के देश का देश कूट आईएसओ देश कूट के रूप में रिपोर्ट किया जाता है । दूसरे शब्दो में, उधारकर्ता/ग्राहक के देश से अभिप्रेत है उस व्यक्ति/संस्था का देश, जिसके नाम में बैंक/शाखा की बहियों में खाता रखा जाता है । उधारकर्ता/ग्राहक के निवासी देश को ''आसन्न जोखिम का देश'' भी कहा जाता है । देश संबंधी जानकारी अनुबंध 2.9 सूचीबद्ध आईएसओ देश कूट के अनुसार रिपोर्ट की जाती है ।

उधारकर्ता/ग्राहक का क्षेत्र (एसईसीटीसीडी) : उधारकर्ता/ग्राहक, जिसके पास/जिसके प्रति बैंक/शाखा की आस्ति/देयता है, के क्षेत्र की रिपोर्ट नीचे दिये गये क्षेत्र कूट के रूप में की जाती है। यह भी कि, कूटों का वही सेट ''गारंटीकर्ता (अंतिम जोखिम) के क्षेत्र'' (एस_यू_सी_डी) आबंटित किये जाने के लिए भी लागू होता है । इन कूटों के अतिरिक्त कूट ''35'' का प्रयोग ''नकदी संपार्श्विक'' के लिए अंतिम जोखिम के रूप में किया जाता है ।

क्षेत्र का वर्गीकरण	**क्षेत्र कूट (एसईसी टीसीडी)**
बैंक - अपनी शाखा कार्यालय (अर्थात् रिपोर्ट करने वाले बैंक की अपनी ही शाखा/कार्यालय के पास/के प्रति आस्ति/देयता)	11
बैंक - दूसरे बैंक की शाखा/कार्यालय (अर्थात् रिपोर्ट करने वाले बैंक की दूसरे बैंक की शाखा/कार्यालय के पास/के प्रति आस्ति/ देयता । इसमें कतिपय अंतरराष्ट्रीय संगठनों के पास/के प्रति आस्ति/देयता शामिल होती है) । अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए देश कूट जेडजेड के रूप में किया जाना चाहिए, न कि संगठन के देश के स्थान के अनुसार । अंतरराष्ट्रीय संगठनों की एक सूची अनुबंध 2.10 में दी गयी है ।	12
आधिकारिक मौद्रिक प्राधिकारी (अर्थात्, रिपोर्ट करने वाले बैंक की विविध देशों के केंद्रीय बैंकों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, आदि के पास/के प्रति आस्ति/देयता) । आधिकारिक मौद्रिक प्राधिकारियों की एक सूची अनुबंध 2.9 में दी गयी है ।	21

क्षेत्र का वर्गीकरण	**क्षेत्र कूट (एसईसी टीसीडी)**
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस), यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) (अर्थात् रिपोर्ट करने वाले बैंकों की अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस), यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) आदि के पास आस्तियाँ/देयताएँ)	22
सरकारें (अर्थात्, रिपोर्ट करने वाले बैंकों की केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकार, सरकारी विभागों के पास/के प्रति आस्ति/देयता)	25
गैर-बैंक - सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (अर्थात् , रिपोर्ट करने वाले बैंकों की बैंकों से भिन्न कंपनियों/संस्थाओं के पास/के प्रति आस्ति/ देयता, जिनमें राज्य/केंद्र सरकार की कम से कम 51 प्रतिशत शेयर धारिता हो)। इसमें कतिपय अंतरराष्ट्रीय संगठनों के पास/के प्रति आस्ति/देयता शामिल है । अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए देश कूट जेडजेड के रूप में दिया जाना चाहिए, न कि संगठन के देश के स्थान के अनुसार ।	30
गैर-बैंक - निजी क्षेत्र (अर्थात्, रिपोर्ट करने वाले बैंकों की संयुक्त स्टॉक और प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के पास/के प्रति आस्ति/देयता)	31
गैर-बैंक - अन्य (अर्थात्, रिपोर्ट करने वाले बैंकों की व्यक्तियों, हिन्दू अविभक्त परिवारों, आदि के पास/के प्रति आस्ति/देयता)	32
नकदी संपार्श्विक (इसे अंतिम जोखिम के क्षेत्र के रूप में दिया जा सकता है, यदि बैंकों का एक्सपोजर निवेश नकदी संपार्श्विक की जमानत पर हो)	35
अनाबंटित (अचल आस्तियों के मामले में, जहाँ क्षेत्र का निश्चय नहीं किया जा सकता, क्षेत्र को इस अवशिष्ट कोटि को आबंटित किया जाना चाहिए)	40

अंतिम जोखिम का देश ((सी_यू_सीडी) : यह केवल आस्ति मदों, डेरिवेटिवों, साखपत्रों, गारंटियों और ऋण वायदों के लिए लागू होता है । अंतिम जोखिम का देश वह देश होता है, जिसमें किसी वित्तीय दावे का गारंटीकर्ता निवास करता है (व्यक्तियों के लिए) और/या वह देश होता है, जिसमें गारंटीकर्ता संस्था (बैंक, सरकारी/निजी संगठन आदि) का प्रधान कार्यालय स्थित होता है । आईएसओ देश कूट का वही सेट अंतिम जोखिम देश कूट का आबंटन करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए ।

अंतिम जोखिम कूट का क्षेत्र (एस_यू_सी_डी): अंतिम जोखिम क्षेत्र की परिभाषा वित्तीय दावे के गारंटीकर्ता के क्षेत्र के रूप में दी जाती है । यह केवल आस्ति मदों, डेरिवेटिवों, साखपत्रों, गारंटियों और ऋण वायदों के लिए लागू होता है । क्षेत्र कूट का वही सेट अंतिम जोखिम क्षेत्र कूट का आबंटन करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए ।

अवशिष्ट परिपक्वता कूट (एमएटीसीडी) : रिपोर्टिंग तिथि को अवशिष्ट परिपक्वता से अभिप्रेत है शेष बची परिपक्वता अवधि, जिसकी गणना अंतरराष्ट्रीय आस्तियों/देयताओं की परिपक्वता तिथि और आईबीएस आँकड़ों की रिपोर्टिंग तिथि के बीच अंतर को ध्यान में रखते हुए की जाती है । आस्ति/देयता की अवशिष्ट परिपक्वता की रिपोर्ट निम्नलिखित वर्गीकरण के अनुसार की जाती है :

अवशिष्ट परिपक्वता का वर्गीकरण	**अवशिष्ट परिपक्वता कूट (एमएटीसीडी)**
छह महीनों तक और उसे शामिल करते हुए [इसमें खाता/लेनदेन (बचत, चालू जमा, आदि) शामिल हैं, जहाँ राशियाँ प्राप्त की जाती हैं/मांग पर भुगतान की जाती हैं]	1
छह माह से अधिक, लेकिन एक वर्ष तक और उसे शामिल करते हुए	2
एक वर्ष से अधिक, लेकिन दो वर्षों तक और उसे शामिल करते हुए	3
दो वर्षों से अधिक	4
अनाबंटित [कुछ मामलों, यथा, इक्विटी शेयरों में निवेश (एफसी/विदेश में), सहभागिता, विदेश में अचल आस्ति, आदि में अवशिष्ट परिपक्वता का निश्चय नहीं किया जा सकता और इनकी रिपोर्ट अनाबंटित के रूप में की जानी चाहिए]	5

खाते की मुद्रा में बकाया राशि (एफसी_बीएएल): खाते की मुद्रा में खाते की बकाया

राशि या अमरीकी डालर में डेरिवेटिव संविदाओं का मार्क्ड टू मार्केट (एमटीएम) मूल्य, जो रिपोर्ट की जानेवाली तिमाही के अंत में हो, इस मद के सामने रिपोर्ट किया जाता है ।

खाते की मुद्रा में प्रोद्भूत ब्याज (एफसी_आइएनटी) : यदि रिपोर्टिंग तिमाही के अंत तक प्रोद्भूत ब्याज खाते के बकाया शेष में पहले ही नामे/जमा किया जा चुका हो, तब '0' (शून्य), अन्यथा, प्रोद्भूत ब्याज की गणना खाते/लेनदेन की मुद्रा में की जाती है और इस मद के अंतर्गत अलग से रिपोर्ट की जाती है ।

भारतीय रुपयों में बकाया राशि (आरएस_बीएएल) : खाते में बकाया शेष (जो कि खाता बही में भारतीय रुपये में उल्लिखित होता है) या भारतीय रुपयों (आईएनआर) में डेरिवेटिव संविदाओं का मार्क्ड टू मार्केट मूल्य (एमटीएम), जो रिपोर्ट की जाने वाली तिमाही के अंत में हो, रुपये में पूर्णांकित किये जाने के बाद इस मद के सामने रिपोर्ट किया जाता है ।

भारतीय रुपयों में प्रोद्भूत ब्याज (आरएस_आइएनटी) :यदि रिपोर्टिंग तिमाही के अंत तक प्रोद्भूत ब्याज खाते के बकाया शेष में पहले ही नामे/जमा किया जा चुका हो, तब '0' (शून्य), अन्यथा, प्रोद्भूत ब्याज की रुपये में पूर्णांकित किये जाने के बाद भारतीय रुपयों (आईएनआर) में रिपोर्ट की जाती है ।

रिपोर्टिंग परम्पराएँ :

तुलनपत्र की मदों में आने वाली और न आने वाली आस्तियों और देयताओं के अंतर्गत सभी राशियों की रिपोर्ट धनात्मक चिह्न के साथ की जाती है, सिवाय मिरर नोस्त्रो खातों में जमाशेष, वोस्त्रो खातों, ऋण/कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट खातों में नामे शेष के और डेरिवेटिव संविदाओं के ऋणात्मक एमटीएम मूल्यों के।

नोस्त्रो खातों में शेष राशि की रिपोर्टिंग : नोस्त्रो खातों में जमाशेष की रिपोर्ट स्थानीय बहियों के अनुसार, अर्थात्, नोस्त्रो खातों की मिरर बही के अनुसार की जाती है । जमाशेष की रिपोर्ट - (ऋणात्मक) चिह्न के साथ की जाती है, जिसे समुद्रपार उधारों (अर्थात्, देयताओं) के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जाता है ।

वोस्त्रो खातों में शेष राशि की रिपोर्टिंग : वोस्त्रो खातों में नामे शेष की रिपोर्ट (-) (ऋणात्मक) चिह्न के साथ की जाती है, जिन्हें अनिवासियों को उधार देना (अर्थात्, आस्तियाँ) के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है । इस मामले में अंतिम जोखिम कूट (अर्थात्, (सी_यू_सीडी एवं एस_यू_सीडी) के देश और क्षेत्र बताये जाते हैं ।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अनुसरण की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी (आईबीएस) प्रणाली से यह उम्मीद की जाती है कि यह आँकड़ों की अपर्याप्तता और भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों और देयताओं में आँकड़ा अंतर को घटायेगी । रिपोर्टिंग की आईबीएस प्रणाली में सारणीयन के दो सेट समाविष्ट होते हैं, यथा स्थानीकृत बैंकिंग सांख्यिकी (एलबीएस) और समेकित बैंकिंग सांख्यिकी (सीबीएस)। एलबीएस और सीबीएस के लक्षणों को नीचे दिया गया है :

स्थानीकृत बैंकिंग सांख्यिकी (एलबीएस) : स्थानीकृत बैंकिंग सांख्यिकी में रिपोर्टिंग क्षेत्र के भीतर स्थित सभी बैंकिंग कार्यालयों की स्थिति के संबंध में आँकड़ों का संग्रहण करने की व्यवस्था की जाती है । 'रिपोर्टिंग क्षेत्र' का प्रयोग उन देशों को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है, जो बीआईएस को आईबीएस आँकड़े प्रस्तुत करते हैं । ऐसे कार्यालय केवल अपने (असमेकित) कारोबार की रिपोर्ट करते हैं, जिसमें इस प्रकार से उनके अपने ही संबद्ध किसी कार्यालय (शाखाएँ, सहकारी संस्थाएँ, संयुक्त उपक्रम) के साथ , जो रिपोर्टिंग क्षेत्र के भीतर या बाहर स्थित हों,अंतरराष्ट्रीय लेनदेन शामिल होता है । रिपोर्टिंग प्रणाली में अंतर्निहित मूलभूत सांगठनिक सिद्धांत होता है बैंकिंग कार्यालय का निवास।

यह भुगतान संतुलन और बाह्य ऋण पद्धति के अनुरूप होता है । इसके अतिरिक्त, स्वामित्व या राष्ट्रीयता आधार पर भी आँकड़ों की गणना की जाती है, जिसके लिए उद्गम देश के अनुसार निवास आधारित आँकड़ों का पुनः समूहन किया जाता है ।

एलबीएस में 18 विवरण समाविष्ट होते हैं, जिनमें से 8 विवरण लिखतवार (यथा, अंतरराष्ट्रीय ऋण और जमाराशि, अंतरराष्ट्रीय धारिताएं/ऋण प्रतिभूतियों के अपने निर्गम और अंतरराष्ट्रीय अन्य आस्तियाँ/देयताएँ) बैंकिंग क्षेत्र की देश तथा उधारकर्ता के क्षेत्र एवं मुद्रा की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय आस्तियों एवं देयताओं के द्योतक होते हैं , तथा 10 विवरण निगमन देश और उधारकर्ता के क्षेत्र के अनुसार रिपोर्टिंग बैंकों की प्रमुख मुद्रावार अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों एवं देयताओं को दर्शाते हैं।

समेकित बैंकिंग सांख्यिकी (सीबीएस) : समेकित बैंकिंग सांख्यिकी की डिजाइन इस प्रकार बनायी गयी है कि यह बैंकों के अन्य देशों पर वित्तीय दावों, अर्थात्, तुलनपत्र का आस्ति-पक्ष, के दो आधारों पर व्यापक एवं सुसंगत तिमाही आँकड़े प्रदान करती है । जबकि सांख्यिकी का पहला सेट अंतिम जोखिम आधार पर आँकड़ों का संग्रहण करता है, अर्थात् देश-ऋण-जोखिम एक्सपोजर के आकलन के लिए उस देश को आबंटित आँकड़ों के आधार पर करता है, जहाँ अंतिम जोखिम होता है, सांख्यिकी का दूसरा सेट आसन्न उधारकर्ता के आधार पर आँकड़ा-संग्रहण देश अंतरण जोखिम के मापन के लिए करता है, अर्थात् उस देश को आबंटित आँकड़ों के आधार पर करता है, जहाँ प्रारंभिक जोखिम होता है । ये आँकड़े मुख्यतः घरेलू बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गयी तुलनपत्र में आने वाली और न आने वाली मदों पर दावों को शामिल करते हैं, जिसमें उनके विदेशी कार्यालयों (अर्थात्, उनके सहयोगी और शाखाएँ) के एक्सपोजर के आकलन शामिल होते हैं और ये वैश्विक रूप से समेकित आधार पर अंतर-कार्यालय स्थितियों की नेटिंग करते हुए संगृहीत किये जाते हैं।

सीबीएस में 5 विवरण समाविष्ट होते हैं, जिनमें से 4 विवरण उधारकर्ता के देश (आसन्न जोखिम आधार पर) और क्षेत्र तथा रिपोर्टिंग बैंकों (यथा, घरेलू बैंक, भीतरी क्षेत्र वाले बैंकों [(बीआईएस को आईबीएस प्रस्तुत करने वाले देशों में समाविष्ट निगमित विदेशी बैंक), बाहरी क्षेत्र वाले बैंक (बीआईएस को आईबीएस नहीं प्रस्तुत करने वाले देशों में निगमित बैंक)] के प्रकार के अनुसार अवशिष्ट परिपक्वतावार अंतरराष्ट्रीय/विदेशी दावों के द्योतक होते हैं, जबकि अंतिम विवरण देश (अंतिम जोखिम वाला देश) और क्षेत्रवार विदेशी दावों तथा डेरिवेटिवों, गारंटियों और ऋण वायदों से उत्पन्न दावों का द्योतक होता है।

आसन्न/अंतिम जोखिम का आबंटन और रिपोर्टिंग :रिपोर्टिंग घरेलू बैंक अपने सीमापार वित्तीय दावों के परिमाण और उनके विदेशी कार्यालयों के किसी भी मुद्रा में स्थानीय दावों के संबंध में जानकारी देते हैं, जो आसन्न उधारकर्ता के देश से अंतिम जोखिम वाले देश को गारंटियों, संपार्श्विक और उन ऋण डेरिवेटिवों के, जो बैंकिंग बहियों के भाग होते हैं, परिणामस्वरूप पुनः आबंटित किये गये हैं । जोखिम पुनः आबंटन में उसी देश में भिन्न-भिन्न आर्थिक क्षेत्रों (बैंकों, सरकारी क्षेत्र और बैंकेतर निजी क्षेत्र) के बीच किये गये आबंटन शामिल होते हैं । जोखिम के पुनः आबंटन में घरेलू उधारकर्ताओं को दिये गये ऋणों को भी शामिल किया जाता है, जिन्हें विदेशी कंपनियों द्वारा गारंटीकृत किया गया होता है और इसलिए वे आभ्यंतर जोखिम अंतरण के द्योतक होते हैं, जो गारंटीकर्ता के देश के प्रति जोखिम को बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार, विदेशी उधार, जिसकी गारंटी घरेलू कंपनियाँ (अर्थात्, घरेलू निर्यात ऋण एजेंसी) देती हैं, की रिपोर्ट बाह्य जोखिम अंतरण के रूप में की जाती है, जो विदेशी उधारकर्ता के देश के प्रति एक्सपोजर को घटा देता है।

यदि सभी बाहरी और भीतरी जोखिम अंतरणों की रिपोर्ट की जानी होती,तो वे उसी जोड़ में जोड़े जाते । तथापि, किसी बैंक के देश से या देश को जोखिम के पुनः आबंटन के मामले में चूँकि विदेशी काउंटर पार्टी देश से संबंधित भाग की ही रिपोर्ट की जाती है, इसलिए बाहरी और भीतरी जोखिम अंतरण आवश्यक रूप से उसी जोड़ में नहीं जोड़ा जाता। इसी प्रकार, ऋण सहबद्ध नोटों और अन्य संपार्श्विक ऋण वायदों एवं आस्ति-समर्थित प्रतिभूतियों का जारीकर्ता (या सुरक्षित क्रेता) केवल बाहरी जोखिम अंतरण की रिपोर्ट करता है, न कि भीतरी जोखिम अंतरण की, क्योंकि यह माना जाता है कि उसने नकदी संपार्श्विक प्राप्त कर लिया होगा, जो उसके मूल दावे के प्रति जोखिम को समाप्त कर देता है।

घरेलू बैंकों के विदेशी संबद्ध कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा में स्थानीय आस्तियाँ और देयताएँ : रिपोर्टिंग क्षेत्र में आने वाले बैंकों के प्रधान कार्यालय दूसरे देशों में अपने संबद्ध कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा में स्थानीय आस्तियों एवं देयताओं के संबंध में आँकड़े सकल आधार पर देते हैं । संशोधित प्रणाली में, जबकि स्थानीय मुद्रा में स्थानीय देयताओं के संबंध में आँकड़े सकल आधार पर (अर्थात् केवल एक रिकार्ड) रिपोर्ट किये जाते हैं स्थानीय मुद्रा में स्थानीय आस्तियों के संबंध में आँकडे उधारकर्ता के देश एवं क्षेत्र, मुद्रा, अवशिष्ट परिपक्वता, आदि के ब्यौरों के साथ दिये जाते हैं । समेकित बैंकिंग सांख्यिकी में, हालाँकि केवल दावा का मापन किया जाता है, उधारकर्ता देश की देयताओं का प्रतिरूप होती है और इस प्रकार उसे बैंकों के प्रति देय अंतरराष्ट्रीय ऋण का मापन निर्मित करने के लिए मिलाया जा सकता है ।

डेरिवेटिव संविदाएँ : रिपोर्ट करने वाले घरेलू बैंक उन सीमापार वित्तीय दावों (अर्थात्, धनात्मक बाजार मूल्य) के संबंध में समेकित आँकड़े देते हैं, जो दुनिया भर में उनके सभी कार्यालयों की डेरिवेटिव संविदाओं के परिणामस्वरूप और उन देशों के, जहाँ कार्यालय स्थित हों, निवासियों की तुलना में अपने विदेशी कार्यालयों की डेरिवेटिव संविदाओं से उत्पन्न वित्तीय दावों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जो इस बात से स्वतंत्र होते हैं कि डेरिवेटिव संविदाओं को तुलनपत्र या तुलनपत्र बाह्य मदों के रूप में बुक किया जाता है । ये आँकड़े समेकित अंतिम जोखिम आधार पर रिपोर्ट किये जाते हैं, अर्थात्, अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा क्रय-विक्रय स्थिति की नेटिंग की जाती है और इसका आबंटन उस देश को किया जाता है, जहाँ अंतिम जोखिम होता है।

इन आँकड़ों में सिद्धांत रूप से उन सभी डेरिवेटिव संविदाओं को शामिल किया जाता है, जो बीआईएस नियमित ओटीसी डेरिवेटिव सांख्यिकी के संदर्भ में रिपोर्ट किये जाते हैं । इस प्रकार इन आँकड़ों में मुख्यतः विदेशी मुद्रा से संबंधित वायदा, स्वैप और ऑप्शन्स, ब्याज दर, इक्विटी, वस्तु एवं ऋण डेरिवेटिव संविदाएँ समाविष्ट होती हैं । तथापि, ऋण डेरिवेटिव, यथा, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप और कुल रिटर्न स्वैप, को केवल ''डेरिवेटिव संविदाएँ'' मद के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाना है, यदि वे संरक्षित क्रय रिपोर्टिंग बैंक द्वारा व्यापार के लिए धारित हों। ऋण डेरिवेटिव, जो व्यापार के लिए धारित न हों, उनकी रिपोर्ट ''जोखिम अंतरण'' के रूप में संरक्षण क्रेता द्वारा की जाती है और सभी ऋण डेरिवेटिवों को संरक्षण विक्रेता द्वारा ''गारंटियों'' के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

गारंटियाँ और ऋण वायदे : रिपोर्ट करने वाले घरेलू बैंक दुनिया भर में अपने सभी कार्यालयों के अनिवासियों की तुलना में बकाया गारंटियों तथा उन देशों के निवासियों के, जहाँ ये कार्यालय स्थित होते हैं, क़ी तुलना में गारंटियों से अपने विदेशी कार्यालयों के एक्सपोजर आँकड़े देते हैं । इसी प्रकार के आँकड़े बकाया ऋण वायदों के लिए भी अलग से दिये जाने चाहिए। दोनों प्रकार के आँकड़ो की रिपोर्ट समेकित और अंतिम जोखिम आधार पर की जाती है, अर्थात्, अंतर-कार्यालय स्थिति की नेटिंग की जाती है और - सिवाय जब

एक्सपोजर का शमन नकदी संपार्श्विक द्वारा या किसी निवासी (अर्थात्, अपना देश) अन्य पक्ष को एक्सपोजर द्वारा कर दिया जाता है, जिस मामले में किसी विदेशी एक्सपोजर की रिपोर्ट नहीं की जाती है - विदेशी मुद्रा क्रय-विक्रय स्थिति का आबंटन उस देश को किया जाता है, जहाँ अंतिम जोखिम होता है।

गारंटियों और ऋण वायदों की रिपोर्ट उस सीमा तक की जाती है, जहाँ तक वे बंधनकारी संविदागत दायित्वों और किसी अन्य अप्रतिसंहरणीय वायदों, दोनों के उपयोग नहीं किये गये हिस्से के द्योतक होते हैं । इनमें केवल वे दायित्व सम्मिलित होते हैं, जो यदि उपयोग किये जाते, तो किसी भी मुद्रा में कुल सीमापार दावों और विदेशी कार्यालयों के स्थानीय दावों में रिपोर्ट किये जाते । निष्पादन बांडों और गारंटियों के अन्य रूपों की रिपोर्ट तभी की जाती है, जब कोई आकस्मिकता होती है और उसके परिणामी दावे का प्रभाव कुल सीमापार दावों पर और किसी मुद्रा में विदेशी कार्यालयों के स्थानीय दावों पर होता है । गारंटियों और ऋण वायदों की अधिक विस्तृत परिभाषा और उन विशिष्ट लिखतों की एक असंपूर्ण सूची, जो गारंटियों एवं ऋण वायदों के रूप में अर्ह होते हैं, नीचे दी गयी है ।

गारंटियाँ : गारंटियाँ आकस्मिक देयताएँ होती हैं, जो किसी अन्य पक्ष हिताधिकारी को भुगतान करने के लिए किसी अप्रतिसंहरणीय दायित्व से उत्पन्न होती हैं, जब कोई ग्राहक कुछ संविदागत दायित्व को पूरा नहीं करता है । इनमें जमानती, बोली एवं निष्पादन बांड, वारंट और क्षतिपूर्ति गारंटी , संपुष्ट दस्तावेजी ऋण, अप्रतिसंहरणीय एवं आपाती साखपत्र, स्वीकृत बिल और बेचान शामिल होते हैं । गारंटियों में ऋण डेरिवेटिव संविदाओं के संरक्षण विक्रेता की आकस्मिक देयताएँ शामिल होती हैं ।

ऋण वायदे : ऋण वायदे ऐसी व्यवस्था होती है, जिसमें किसी संस्था को किसी ग्राहक के अनुरोध पर अप्रतिसंहरणीय रूप से बाध्य किया जाता है कि वह ऋणों, सहभागिता ऋणों, प्राप्य पट्टा-वित्त, बंधकों, ओवरड्राफ्टों या अन्य ऋण प्रतिस्थानी के रूप में ऋण दे या ऋणों, प्रतिभूतियों या अन्य आस्तियों यथा, नोट निर्गमन सुविधा (एनआइएफ) एवं परिक्रामी हामीदारी सुविधा (आरयूएफ), सहित सहायक सुविधाओं की खरीद के रूप में ऋण देने का वायदा करे ।

अन्य रिपोर्टिंग परिभाषाएँ

आस्तियों की नेटिंग : अंतरराष्ट्रीय आस्तियों और देयताओं की रिपोर्ट सिद्धांत रूप में सकल आधार पर की जाती है, अर्थात् उसी काउंटर पार्टी की तुलना में बैंक की आस्तियों एवं देयताओं की रिपोर्ट अलग से की जाती है, एक के विरुद्ध दूसरे की नेटिंग नहीं की जाती है । तथापि, डेरिवेटिवों की रिपोर्ट करने के लिए, जबकि शाखाएँ अपने एचओ/पीओ को सकल आधार पर काउंटरपार्टी और संविदावार मार्क्ड टू मार्केट (एमटीएम) मूल्य प्रस्तुत करते हैं, बैंकों के एचओ/पीओ किसी काउंटर पार्टी के लिए नेटिंग करते हैं, जहाँ विनिर्दिष्ट विधिसम्मत प्रवर्तनीय द्विपक्षीय नेटिंग सुविधा, यथा, इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन (आईएसडीए) मास्टर एग्रीमेंट आदि, डेरिवेटिवों के संबंध में आँकड़ों का सार प्रस्तुत करने के पहले से विद्यमान होती है ।

मूल्य निर्धारण : बैंक द्वारा प्रवर्तित ऋण और प्राप्य राशियों के रूप में, जो व्यापार के लिए और परिपक्वता निवेशों के लिए धारित नहीं होते हैं, अंतरराष्ट्रीय दावों का मूल्य निर्धारण सिद्धांत रूप में अंकित मूल्य पर या परिशोधित लागत मूल्य पर किया जायेगा । वित्तीय आस्तियाँ, जो विक्रय के लिए उपलब्ध हैं और व्यापार के लिए धारित हैं, उनका मूल्य निर्धारण बाजार या उचित मूल्यों पर किया जाता है । आकस्मिक देयताएँ, जो गारंटियों एवं ऋण वायदों के परिणामस्वरूप

होती हैं, उनका मूल्य निर्धारण अंकित मूल्य पर या अधिकतम संभव एक्सपोजर पर किया जाता है । डेरिवेटिवों के मूल्य निर्धारण और रिपोर्टिंग की क्रियाविधि अनुबंध 2.10 में दी गयी है ।

ब्याज और मूलधन का बकाया : जब तक इन्हें बट्टेखाते नहीं डाला जाता, अंतरराष्ट्रीय दावों पर ब्याज का बकाया और मूलधन का बकाया (पूँजीकृत ब्याज सहित) की रिपोर्ट की जाती है/अंतरराष्ट्रीय आस्तियों/दावों के संबंध में आँकड़ों में शामिल किया जाता है ।

प्रावधान : वित्तीय दावे, जिनके लिए प्रावधान किये गये हैं, सामान्यतः सकल मूल्य पर विदेशी आस्तियों के रूप में रिपोर्ट किये जाते हैं । तथापि, लेखाकरण नियमों में कुछ उदाहरणों में यह अपेक्षित हो सकता है कि इन दावों की निवल आधार पर रिपोर्ट की जाये, यदि हानि का पता लगा हो ।

दावों को बट्टेखाते लिखना और ऋण माफी : यद्यपि कोई आस्ति, जिसे बट्टेखाते लिखा गया है, कानूनी रूप से प्रवर्तनीय दावा हो सकती है, इसे रिपोर्टिंग में शामिल नहीं किया जाता है।

मुद्रा रूपांतरण : बैंक/शाखाएँ डेरिवेटिवों से भिन्न मदों के लिए बकाया राशियों/ जमाशेषों और प्रोद्भूत ब्याज की रिपोर्ट खाते/लेनदेन की मुद्रा में और समतुल्य रुपये में करते हैं । बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गयी खाते/लेनदेन की मुद्रा में विदेशी मुद्रा की क्रय-विक्रय स्थिति का रूपांतरण बीआईएस को रिपोर्ट किये जाने के प्रयोजनार्थ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रिपोर्टिंग तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर अमरीकी डालर में किया जाता है । डेरिवेटिवों के लिए कोई रूपांतरण अपेक्षित नहीं होता है, क्योंकि बैंक/शाखाएँ डेरिवेटिव संविदाओं का एमटीएम मूल्य समतुल्य अमरीकी डालर और भारतीय रुपये में रिपोर्ट करते हैं, भले ही निपटान की मुद्रा कोई भी हो ।

2.1.2.2.3. स्रोत और प्रणालियाँ

आँकड़ों का स्रोत : अपेक्षित/संगत आँकड़ा मदें शाखा की खाता बही में आस्तियाँ और देयताएँ शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध होती हैं, जिन्हें पुनः भिन्न-भिन्न बही खातों में विभाजित किया जाता है । किसी खाते के पहले पन्ने में खाताधारक के संबंध में जानकारी, यथा, नाम, पता, परिपक्वता तिथि, आदि और खाते का स्वरूप अभिलिखित किया जाता है । इसके अतिरिक्त किसी दी हुई तिथि को खाते में जमाशेष भी शेष के स्तंभ में उपलब्ध होता है ।

रिपोर्टिंग प्रणाली : आईबीएस के अंतर्गत रिपोर्टिंग प्रणाली में बैंकों की शाखाएँ, मुख्य/प्रधान कार्यालय (एचओ/पीओ) और भारतीय रिज़र्व बैंक शामिल होते हैं । रिपोर्टिंग प्रणाली में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं :

बैंकों की शाखाएँ/कार्यालय : बैंकों की शाखाएँ/कार्यालय (भारतीय बैंक और विदेशी बैंक), जो भारत में उस स्रोत से परिचालन करते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय आस्तियों, अंतरराष्ट्रीय देयताओं और डेरिवेटिवों, गारंटियों तथा ऋण वायदों से उत्पन्न दावों के संबंध में खातावार आँकड़ों की रिपोर्ट करते हैं; और एचओ/पीओ को आँकड़ों का सारांश देते हैं । रिपोर्टिंग शाखाएँ/कार्यालय अपने आरओ/जेडओ/एलएचओ को सारांश आँकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं या सीधे एचओ/पीओ को प्रस्तुत कर सकते हैं, जो संबंधित बैंकों द्वारा की गयी व्यवस्था पर निर्भर करता है । यह भी कि भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएँ अंतरराष्ट्रीय आस्तियों और डेरिवेटिवों, गारंटियों तथा ऋण वायदों से उत्पन्न दावों के संबंध में खातावार आँकड़े तैयार करती हैं और एचओ/पीओ को सारांश आँकड़े प्रस्तुत करती हैं।

बैंकों के मुख्य/प्रधान कार्यालय : एचओ/पीओ शाखाओं के आँकड़ों का संसाधन और समेकन करते हैं और बैंकस्तरीय सारांशीकृत आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजते हैं ।

भारतीय रिज़र्व बैंक : बैंकों के एचओ/पीओ से प्राप्त आईबीएस आँकड़ों को संसाधित किया जाता है, ताकि भारत में सभी रिपोर्टिंग बैंकों के लिए समेकित स्थिति का पता लगे। भारत में सभी रिपोर्टिंग बैंकों के अंतिम समेकित आईबीएस आँकड़ों के आधार पर एलबीएस और सीबीएस के विवरण तैयार किये जाते हैं और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) को भेजे जाते हैं।

भारत में स्थित बैंकों से बैंकस्तरीय आईबीएस आँकड़े प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ संबंधित बैंकों में से प्रत्येक बैंक से एक उच्च स्तर का अधिकारी, जिसे बैंकों द्वारा नामित किया जाता है, नोडल अधिकारी के रूप में काम करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग) बैंक स्तर पर नोडल अधिकारियों के लिए आइबीएस पर कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। बदले में बैंक अपने-अपने स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालयों में आईबीएस पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं । बैंकों/शाखाओं द्वारा आँकड़ों की तैयारी/संकलन करने में सुविधा के लिए विंडोज पर आधारित सॉफ्टवेयर उन्हें दिये गये हैं । बैंक रिपोर्टिंग तिथि के एक महीने के भीतर बैंक स्तरीय समेकित आँकड़े एक विनिर्दिष्ट फार्मैट में (टेक्स्ट फाइल) भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करते हैं । आँकड़ा संचरण केवल इलेक्ट्रानिक माध्यम से किया जाता है। बैंकों के एचओ/पीओ भारतीय रिज़र्व बैंक के पास आँकड़े ई-मेल/ फ्लापी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं ।

आईबीएस विवरणी सांविधिक नहीं होती है, तथापि, यह अधिदेशात्मक होती है । यह विवरणी भारत में आईबीएस की बीआईएस प्रणाली के संबंध में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार लागू की गयी थी । विवरणी के संकलन की कार्यपद्धति और और प्रगति पर आईबीएस से संबंधित स्थायी अनुश्रवण दल (एसएमजी) निगरानी रखता है । इस दल में चुने हुए बैंकों और भारतीय रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं । सामान्यतः एसएमजी का पुनर्गठन दो वर्षों में एक बार किया जाता है ।

2.1.2.2.4. गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करना

आईबीएस आँकड़े बीआईएस के दिशानिर्देशों/ सिफारिशों के अनुसार संगृहीत/ संकलित किये जाते हैं और इसलिए आँकड़ा संकलन अंतरराष्ट्रीय मानकों का होता है । भारत में आईबीएस की बीआईएस प्रणाली के कारगर ढंग से कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करने के लिए और विदेशी मुद्रा नियंत्रण के और अधिक आसान बनाये जाने की दशा में आवश्यक परिवर्तनों पर विचार करने के लिए एक स्थायी अनुश्रवण दल होता है ।

सॉफ्टवेयर में उपयुक्त सुविधाएँ प्रदान की गयी हैं, ताकि कुछ रिपोर्टें आँकड़ों की व्याप्ति और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए तैयार की जा सकें । बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे इन रिपोर्टों का सत्यापन करें और अन्य विवरणियों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किये गये आँकड़ों से मिलान करें । सॉफ्टवेयर में उपयुक्त जाँच की भी व्यवस्था की जाती है, ताकि आँकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो । पुनः, सॉफ्टवेयर में यह व्यवस्था की गयी है कि इसमें पिछली तिमाहियों में रिपोर्ट किये गये आँकड़ों से यदि वर्तमान आँकड़ों में भारी अंतर हो, तो उसके कारणों को रिकार्ड किया जाये। भारतीय रिज़र्व बैंक के स्तर पर, बैंकों से प्राप्त आँकड़ों का संसाधन करते समय आँकड़ों की शुद्धता/ व्याप्ति आईबीएस आँकड़ों का मिलान बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को भिन्न-भिन्न सेट वाली विवरणी के अंतर्गत रिपोर्ट किये गये उसी प्रकार के समग्र स्तरीय आँकड़ों के साथ करके सुनिश्चित की जाती है ।

बैंक/शाखा के अधिकारियों को प्रशिक्षित/शिक्षित करने के लिए कार्यशालाओं/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित रूप से संचालन किया जाता है । बैंक भी अपने अधिकारियों के लिए अपनी प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यशालाओं का संचालन करते हैं ।

2.1.3 शाखा बैंकिंग सांख्यिकी (मास्टर ऑफिस फाइल सिस्टम)

भारतीय रिज़र्व बैंक आवधिक विवरणियों/ विवरणों के माध्यम से बैंकों के भिन्न-भिन्न पहलुओं के

संबंध में आँकड़े/जानकारी का संग्रहण करता है । इन आँकड़ों का संसाधन करने के लिए यह आवश्यक है कि आँकड़ों के स्रोत की विशिष्ट पहचान रखी जाये । यह सभी बैंक कार्यालयों को उपयुक्त कूट संख्या आबंटित करके किया जाता है, जिसका नाम है एक समान कूट संख्या । कूट संख्यांकन प्रणाली, जिसे बैंक शाखाओं/कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सभी विवरणियों में एक समान रूप से प्रयोग किया जाता है, पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा साठ के दशक के अंत में विचार किया गया और प्रारंभ में इसे वाणिज्यिक बैंकों के लिए 1972 में लागू किया गया । इसी प्रकार सभी सहकारी ऋण संस्थाओं और राज्य वित्तीय निगमों को, जो अग्रणी बैंक योजना में सहभागी होते थे, एक समान कूट संख्या के आबंटन का प्रयास 1982 में किया गया।

2.1.3.1. क्षेत्र की मापन संबंधी आवश्यकताएँ

शाखाओं की व्यापक और अद्यतन सूची भारतीय रिज़र्व बैंक (सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग) द्वारा मास्टर ऑफिस फाइल (एमओएफ) में रखी जाती है, जो विविध मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) सर्वेक्षणों , बैंकों से संबंधित अन्य सर्वेक्षणों और विदेशी मुद्रा से संबंधित विभिन्न विवरणियों के लिए, जो सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग में प्राप्त होती हैं, बैंक शाखाओं की रूपरेखा बनाती है । यहाँ यह उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि एमओएफ ही भारत में वाणिज्यिक बैंकों के शाखा बैंकिंग ब्यौरे के लिए आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोत होता है।

एमओएफ में अद्यतन शाखा रिकार्ड बनाये रखना शाखा बैंकिंग सांख्यिकी की निम्नलिखित बहुआयामी उपयोगिता के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है:

i) संसद में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शाखा बैंकिंग के आँकड़े वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करना।

ii) केंद्र और राज्य सरकार के विविध विभागों को उनके प्रकाशनों के लिए, पेंशन वितरण के लिए, आयकर विभाग को आयकर भुगतान के ऑनलाइन आँकड़े ऑनलाइन टैक्स एकाउंटिंग सिस्टम (ओलटास), आदि के संबंध में देने के लिए शाखा संबंधी ब्यौरे प्रस्तुत करना।

iii) विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाली शाखाओं के ब्यौरे एक समान कूट संख्या के साथ सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय, नई दिल्ली को संबंधित सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा निर्यात परेषणों की मंजूरी के संबंध में प्रस्तुत करना ।

iv) वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं/कार्यालयों के ब्यौरे और उनके संक्षिप्त आँकड़े बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग (बै.प.वि.वि.) और ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग (ग्राआऋवि) को शाखा लाइसेंसीकरण नीति के संबंध में प्रस्तुत करना।

ऊपर सूचीबद्ध कुछ अपेक्षाओं के अतिरिक्त बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग तथा ग्रामीण आयोजन और ऋण विभाग से भिन्न भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य केंद्रीय कार्यालय विभाग एक समान कूट संख्याओं और एमओएफ के आधार पर संकलित आँकड़ों का उपयोग करते हैं । एमओएफ में उपलब्ध वाणिज्यिक बैंकों के शाखा संबंधी ब्यौरों के आधार पर सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग नियमित रूप से दो प्रकाशनों, यथा, ''शाखा बैंकिंग सांख्यिकी'' (जिसमें वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में शाखा बैंकिंग के संक्षिप्त आँकड़े दिये जाते हैं) और ''भारत में वाणिज्यिक बैंक कार्यालयों की निर्देशिका'' (जिसमें शाखाओं/ कार्यालयों की सूची उनके स्थानीकृत और अन्य ब्यौरों के साथ दी जाती है) को सीडी रोम पर और आरबीआई वेबसाइट पर निकालता है । आशोधित रूप में ये आँकड़े रिज़र्व बैंक के अन्य प्रकाशनों में भी प्रकाशित किये जाते हैं ।

2.1.3.2. अवधारणाएँ, परिभाषाएँ और वर्गीकरण

क. *मास्टर ऑफिस फाइल (एमओएफ)*

विदेशी मुद्रा सँभालने वाले वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों की प्रत्येक शाखा/कार्यालय और वित्तीय

संस्थाओं तथा अस्थायी कार्यालयों के एक समान कूट के साथ-साथ अन्य ब्यौरे सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग (सांविकंसेवि) में मास्टर ऑफिस फाइल के रूप में इसकी कंप्यूटर प्रणाली में रखे जाते हैं ।

ख. *एक समान कूट संख्या (यूसीएन)*

बैंकों की शाखाओं/कार्यालयों के यूसीएन में दो भाग समाविष्ट होते हैं - भाग I कूट और भाग II कूट, जिनमें से प्रत्येक में 7 अंक होते हैं : अस्थायी कार्यालयों (जो प्रशासनिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं होते हैं - एनएआइओ) के भाग I कूट में दो अतिरिक्त अंक जोड़े जाते हैं।

भाग I कूट को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाता है:

- *वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की शाखाओं/कार्यालयों/एनएआइओ के लिए :*

  बायीं ओर से पहले तीन अंक बैंक कूट के लिए होते हैं।

  अगले चार अंक शाखा कूट के लिए होते हैं।

  एनएआइओ के मामले में अंतिम दो अंक एनएआइओ कूट के लिए होते हैं।

- *राज्य/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, राज्य/केंद्रीय भूमि विकास बैंकों की शाखाओं/कार्यालयों/एनएआइओ के लिए :*

  बायीं ओर से पहले चार अंक बैंक कूट के लिए होते हैं ।

  अगले तीन अंक शाखा कूट के लिए होते हैं।

  अंतिम दो अंक एनएआइओ कूट के लिए होते हैं (एनएआइओ के मामले में)।

- *अन्य सहकारी बैंकों, वेतन अर्जकों के बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों और पर्यटन, यात्रा, वित्त एवं पट्टादायी कंपनियों की शाखाओं/कार्यालयों/एनएआइओ के लिए :*

  बायीं ओर से पहले पाँच अंक बैंक कूट के लिए होते हैं;

  अगले दो अंक शाखा कूट के लिए होते हैं ;

  अंतिम दो अंक एनएआइओ कूट के लिए होते हैं।

भाग II कूट, भले ही बैंक किसी भी कोटि का हो, को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाता है:

बायीं ओर से पहले तीन अंक जिला कूट के लिए होते हैं;

अगले तीन अंक जिले के अंदर केंद्र कूट के लिए होते हैं;

अंतिम एक अंक आबादी सीमा कूट के लिए होते हैं;

आबादी सीमा कूट (भाग II कूट का अंतिम अंक) और आबादी समूह कूट के बीच संबंध नीचे दर्शाया गया है:

एक समान कूट संख्या के भाग II का अंतिम अंक (आबादी सीमा कूट)	आबादी सीमा	आबादी समूह	आबादी समूह कूट
1	4999 तक	*ग्रामीण*	*1*
2	5000 से 9999		
3	10,000 से 19,999	*अर्धशहरी*	*2*
4	20,000 से 49,999		
5	50,000 से 99,999		
6	1,00,000 से 1,99,999	*शहरी*	*3*
7	2,00,000 से 4,99,999		
8	5,00,000 से 9,99,999		
9	10 लाख और अधिक	*मेट्रोपालिटन*	*4*

ग. *एक समान कूट, बीएसआर कूट और एडी कूट संख्या*

एक समान कूट, बीएसआर कूट और एडी कूट संख्या के बीच कोई अंतर नहीं है । वे एक ही होते हैं।

घ. *प्रोफार्मा I और II*

बैंकों की शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में विस्तृत जानकारी नियमित रूप से निर्धारित प्रोफार्मा, यथा, प्रोफार्मा I और II, में संगृहीत की जाती है । बैंक सुविधायुक्त/बैंक सुविधा रहित केंद्रों में खोली गयी नयी शाखाओं/कार्यालयों के ब्यौरे, यथा, शाखा/कार्यालय खोले जाने की तिथि,शाखा/कार्यालय का नाम और पता, अन्य स्थानीकृत विवरण, केंद्र की आबादी, किये गये कारोबारी कार्यकलाप का स्वरूप और अनेक सहायक जानकारी, यथा, एडी कोटि, मुद्रा तिजोरी संबंधी ब्यौरे, कंप्यूटरीकरण की स्थिति, आदि की रिपोर्ट प्रोफार्मा I के माध्यम से दी जाती है । किसी बैंक शाखा के स्थान बदले जाने/बंद किये जाने/विलय/रूपांतरण किये जाने/शाखा का नाम/एडी कोटि बदले जाने/किसी सहायक जानकारी में परिवर्तन होने के संबंध में जानकारी प्रोफार्मा II के माध्यम से संगृहीत की जाती है । प्रोफार्मा I और II की नमूना प्रति और उस पर व्याख्यात्मक टिप्पणी अनुबंध 2.11 के साथ संलग्न है ।

ङ. *किसी बैंक शाखा/कार्यालय के स्थान के विशेष संदर्भ में किसी केंद्र की परिभाषा*

एक केंद्र राजस्व इकाई के रूप में उल्लिखित किया जाता है, जिसकी निश्चित सर्वे-सीमा होती है, जिसे स्थानीय प्रशासन/राज्य सरकार द्वारा परिभाषित किया जाता है और इसमें राजस्व ग्राम/नगर/शहर/नगरपालिका/नगर निगम/कैंटोनमेंट बोर्ड, किसी शहर/नगरपालिका/नगर निगम में अधिवृद्धि, आदि शामिल होते हैं । दशवार्षिक जनगणना में केंद्र की यही परिभाषा जनगणना अधिकारियों द्वारा उपयोग में लायी जाती है। बैंकों द्वारा प्रोफार्मा में रिपोर्ट किये गये केंद्र के नाम की जाँच जनगणना दस्तावेजों में उपलब्ध अभिलेखों से की जाती है।

च. *बैंक सुविधायुक्त केंद्र की परिभाषा*

कोई राजस्व केंद्र, जिसकी परिभाषा ऊपर दी गयी है, जिसमें किसी वाणिज्यिक या सहकारी बैंक की कम से कम एक शाखा/कार्यालय या अस्थायी कार्यालय, यथा एक विस्तार काउंटर या सैटलाइट कार्यालय या किसी वाणिज्यिक या सहकारी बैंक का परोक्ष एटीएम होता है, उसे बैंक सुविधायुक्त केंद्र कहा जाता है ।

छ. *बैंक सुविधायुक्त केंद्रों का आबादी समूह वर्गीकरण, जिसका उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक में किया जाता है*

बैंक सुविधायुक्त केंद्रों के आबादी समूहों की परिभाषा निम्नलिखित रूप में दी जाती है:

i) ग्रामीण समूह में वे केंद्र शामिल होते हैं, जिनकी आबादी 10000 से कम है ।

ii) अर्द्धशहरी समूह में वे केंद्र शामिल होते हैं, जिनकी आबादी 10000 और अधिक लेकिन 1 लाख से कम होती है ।

iii) शहरी समूह में वे केंद्र शामिल होते हैं, जिनकी आबादी 1 लाख और अधिक लेकिन 10 लाख से कम होती है ।

iv) मेट्रोपॉलिटन समूह में वे केंद्र शामिल होते हैं, जिनकी आबादी 10 लाख और अधिक होती है।

ज. *आबादी समूह वर्गीकरण, जिसका उपयोग जनगणना अधिकारियों द्वारा किया जाता है*

रिज़र्व बैंक में उपयोग किया गया आबादी समूह वर्गीकरण जनगणना अधिकारियों द्वारा उपयोग किये गये वर्गीकरण से भिन्न होता है । जनगणना अधिकारियों द्वारा 2001 की जनगणना में उपयोग किया गया आबादी समूह वर्गीकरण निम्नानुसार है :

निम्नलिखित स्थानों को शहरी माना जाता है :

1. सभी सांविधिक नगर, अर्थात् वे सभी स्थान, जहाँ नगरपालिका, नगर निगम, कैंटोनमेंट बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति, आदि हो।

2. अन्य सभी स्थान, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं :

– 5000 की न्यूनतम आबादी;
– पुरुष कामकाजी आबादी का कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सा कृषीतर कार्य में लगा हो;
– आबादी का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कम से कम 400 (प्रति वर्गमील 1000) हो;

अन्य सभी स्थानों (राजस्व ग्राम), जिनकी निश्चित सर्वे सीमा हो, को ग्रामीण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

झ. *विविध वाणिज्यिक बैंक समूह, जिनका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है*

i) सरकारी क्षेत्र के बैंक : (क) भारतीय स्टेट बैंक और इसके 7 सहयोगी बैंक, (ख) 19 राष्ट्रीयकृत बैंक, (ग) अन्य सरकारी क्षेत्र बैंक (आइडीबीआइ लि.)।

ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

iii) विदेशी बैंक

iv) अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक (निजी बैंक): (क) निजी क्षेत्र के पुराने बैंक और (ख) निजी क्षेत्र के नये बैंक

v) गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक) ।

ञ. *सैटलाइट कार्यालय और विस्तार काउंटर के बीच अंतर*

सैटलाइट कार्यालय सामान्यतः दूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित होते हैं और एक शाखा के सभी प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन सप्ताह में सीमित दिनों तक, जबकि विस्तार काउंटर सभी कार्य दिवसों को खुले रहते हैं, लेकिन एक शाखा के केवल सीमित कार्य करते हैं, यथा, बचत खाते खोलना, जमाराशि स्वीकार करना, आदि।

2.1.3.3. स्रोत और प्रणालियाँ

मूलभूत आँकड़ों के स्रोत होते हैं वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, जो विदेशी मुद्रा कारोबार करती हैं, जहाँ से शाखा बैंकिंग के ब्यौरे प्रोफार्मा I और II में प्राप्त किये जाते हैं । केंद्रों/जिलों/राज्यों के विलय और पुनर्गठन से संबंधित जानकारी राज्य/केंद्र सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचनाओं से प्राप्त की जाती है । महानिबंधक का कार्यालय, भारत सरकार द्वारा जारी दशवार्षिक जनगणना के केंद्रों के आबादी संबंधी आँकड़ों के आधार पर, बैंक शाखाओं की तुलना में बैंक सुविधायुक्त केंद्रों के आबादी समूह वर्गीकरण को अद्यतन किया जाता है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों से भिन्न बैंकों के संबंध में प्रोफार्मा I और II उन बैंकों के प्रधान कार्यालयों द्वारा सीधे प्रस्तुत किये जाते हैं, जिन्हें भाग I और II एक समान कूट दिया गया होता है । सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में द्वि-स्तरीय व्यवस्था होती है। आंचलिक/सर्कल/स्थानीय प्रधान कार्यालय प्रोफार्मा I और II में उन शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में रिपोर्ट अपने प्रधान कार्यालय को करते हैं, जो उनके अधिकार-क्षेत्र में आती हैं , बदले में प्रधान कार्यालय समेकित प्रोफार्मा नयी खोली गयी शाखाओं/कार्यालयों को भाग I का एक समान कूट आबंटित किये जाने के बाद हमारे पास प्रस्तुत करते हैं, और उनको भाग II का एक समान कूट सूचित किया जाता है।

बैंकों से शाखा बैंकिंग आँकड़ों का संग्रहण करने के लिए हाल ही में डाटा-एंट्री सॉफ्टवेयर (विजुअल बेसिक 6.0 सॉफ्टवेयर का प्रयोग फ्रंट एंड टूल के रूप में तथा एमएस ऐक्सेस का प्रयोग बैंक एंड टूल के रूप में किया गया है) विकसित किया गया है और बैंकों को भेजा गया है । मास्टर ऑफिस फाइल प्रणाली, जिसमें सभी शाखा/कार्यालय/एनएआइओ के ब्यौरे रखे जाते हैं, ओरैकल आरडीबीएमएस प्रणाली पर आधारित है (विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर का प्रयोग फ्रंट एंड टूल के रूप में और ओरैकल

9i का प्रयोग बैक एंड टूल के रूप में किया गया है)। इस प्रणाली में, रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्रिस्टल रिपोर्ट्स 11.0 का प्रयोग किया गया है । इस प्रणाली की मुख्य विशेषता है शाखावार लेनदेन का रिकॉर्ड प्राप्त करना, ताकि भविष्य में किसी भी समय किसी शाखा/कार्यालय/एनएआइओ के अतीत से परिचित हुआ जा सके । यह भी कि बैंक स्तरीय सॉफ्टवेयर में आंचलिक/सर्कल/स्थानीय प्रधान कार्यालय के सभी रिकार्डों को संचित करने के लिए एक व्यवस्था की गयी है कि आंचलिक/सर्कल/स्थानीय प्रधान कार्यालयों के स्तर वाली फाइलों को एचओ के स्तर पर इंपोर्ट किया जाये और उन्हें सभी रिकार्डों के एकल/संचयी फार्मैट में एक्सपोर्ट कर दिया जाय, जिसे बाद में भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजा जा सकता है। बैंक स्तरीय डाटा-एंट्री सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके, बैंकों ने प्रोफार्मा I और II की सॉफ्ट कॉपी मैग्नेटिक माध्यम से/इंटरनेट सुविधा का उपयोग करते हुए भेजना आरंभ कर दिया है।

उन शाखाओं/कार्यालयों के लिए, जो विदेशी मुद्रा का कारोबार सँभालते हैं, प्रोफार्मा का प्रस्तुतीकरण निरंतर आधार पर किया जाता है। जबकि बैंक उन शाखाओं/कार्यालयों के बारे में, जो विदेशी मुद्रा का काराबार नहीं सँभालते हैं, तिमाही आधार पर प्रोफार्मा प्रस्तुत करते हैं।

2.1.3.4. गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करना

बैंकों से उत्तम गुणवत्ता के आँकड़े प्राप्त करने को सुनिश्चित करने के लिए, प्रोफार्मा I और II में कुछ महत्वपूर्ण डाटा फील्डों को अधिदेशात्मक रूप में उद्दिष्ट किये जाने के अतिरिक्त डाटा-एंट्री सॉफ्टवेयर में अनेक संगति-जाँच को भी समाविष्ट किया गया है । समय-समय पर कार्यशालाओं का भी संचालन किया जाता है, ताकि बैंक-प्रतिनिधियों को समझाया जा सके कि वे समय पर अच्छी गुणवत्ता वाले आँकड़े प्रस्तुत करें । भारतीय रिज़र्व बैंक में विनियामक प्राधिकारी, यथा, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, विदेशी मुद्रा विभाग, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, आदि समय-समय पर बैंकों को दिशानिर्देश जारी करते हैं, जिसमें नियत समय के भीतर गुणवत्ता वाले आँकड़े प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है ।

2.1.4. अन्य बैंकिंग सांख्यिकी

सांविधिक और विशेष विवरणियों पर आधारित सांख्यिकी के अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों, पर्यवेक्षण और बैंकिंग के अन्य क्षेत्रों के संबंध में विविध प्रकार की अन्य बैंकिंग सांख्यिकी का संग्रह और संकलन करता है । इन विषयों पर आधारित जानकारी का प्रसार नियमित रूप से विविध प्रकाशनों, यथा, स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट, आदि के माध्यम से किया जाता है । इन सांख्यिकी की कुछ प्रमुख विशेषताओं को नीचे प्रस्तुत किया गया है।

2.1.4.1. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र सांख्यिकी

जुलाई 1968 में आयोजित राष्ट्रीय ऋण परिषद की एक बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि वाणिज्यिक बैंकों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों, यथा, कृषि और लघु उद्योग, का वित्तपोषण करने में अधिक से अधिक भाग लेना चाहिए । बाद में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का औपचारिक वर्णन 1972 में किया गया, जो मई 1971 में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम देने से संबंधित सांख्यिकी के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा गठित अनौपचारिक अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित था । इस रिपोर्ट के आधार पर रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के लिए एक संशोधित विवरणी निर्धारित की और इस संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी किये गये, जिसमें बताया गया कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों की विविध कोटियों के अंतर्गत शामिल की जाने वाली मदों का क्षेत्र-विस्तार कितना होगा । यद्यपि आरंभ में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के लिए कोई विनिर्दिष्ट

लक्ष्य नियत नहीं किया गया था, नवंबर 1974 में बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने कुल अग्रिमों में इन क्षेत्रों का हिस्सा बढ़ाकर मार्च 1979 तक 33 1/3 प्रतिशत करें ।

मार्च 1980 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ केंद्रीय वित्तमंत्री की बैठक में इस बात पर सहमति व्यक्त की गयी कि बैंकों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को अपने अग्रिमों का अनुपात बढ़ाकर मार्च 1985 तक 40 प्रतिशत कर देना चाहिए। बाद में, बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार और बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के तौर-तरीके के संबंध में कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर, सभी वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया गया कि वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र, यथा, कृषि, लघु उद्योग, लघु सड़क एवं जल परिवहन परिचालक, फुटकर व्यापार, छोटे कारोबार, आदि को उधार देने का लक्ष्य, जो कुल बैंक अग्रिमों का 40 प्रतिशत है, 1985 तक प्राप्त करें। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के भीतर कृषि और कमजोर वर्गों को उधार देने के लिए उप-लक्ष्य भी विनिर्दिष्ट किये गये । बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि कृषि (और संबद्ध कार्यकलाप) को दिया गया प्रत्यक्ष वित्त मार्च 1985 तक कुल बैंक ऋण के कम से कम 15% तक और मार्च 1987 तक कम से कम 16% तक और मार्च 1989 तक कुल बैंक ऋण के कम से कम 17% तक के स्तर पर पहुँचे। इस लक्ष्य को बढ़ाकर मार्च 1990 तक 18% कर दिया गया। अक्तूबर 1993 में बैंकों को सूचित किया गया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि-अग्रिमों की प्रत्यक्ष कोटि पर बैंकों का ध्यान कम न हो जाये, अप्रत्यक्ष कोटि के अंतर्गत कृषि उधार 18 प्रतिशत के उप-लक्ष्य से एक चौथाई अर्थात् निवल बैंक ऋण के 4.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस समय, निवल बैंक ऋण के 40 प्रतिशत के समग्र मुख्य उधार लक्ष्य के भीतर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि निवल बैंक ऋण का 18% कृषि क्षेत्र को, निवल बैंक ऋण का 10 प्रतिशत कमजोर वर्गों को मिलता है। तथापि, देश में परिचालनरत विदेशी बैंकों पर यह लागू नहीं किया गया, क्योंकि ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में उनकी व्याप्ति कम थी। यह महसूस किया गया कि एसएसआई, छोटे परिवहन परिचालक, फुटकर व्यापार, आदि जैसे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों का वित्तपोषण करने में उनकी हिस्सेदारी इस समय की अपेक्षा अधिक बढ़ायी जा सकती है । 1988 में भारत में परिचालनरत विदेशी बैंकों को सूचित किया गया कि मार्च 1992 तक उनके प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों को क्रमिक रूप से बढ़ाकर उनके निवल बकाया अग्रिमों का 15 प्रतिशत किया जाना चाहिए । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र संबंधी दायित्वों के संबंध में देशी बैंकों और भारत में परिचालनरत विदेशी बैंकों के बीच असमानता को घटाने की दृष्टि से अप्रैल 1993 में विदेशी बैंकों को सूचित किया गया कि विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को उधार देने के लिए उनकी न्यूनतम अपेक्षा को उनके निवल बैंक ऋण के 15 प्रतिशत से बढ़कार 32 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसे मार्च 1994 तक प्राप्त किया जाना है । इसी के साथ, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विदेशी बैंकों का कोई ग्रामीण नेटवर्क नहीं है, यह निर्णय लिया गया कि 1 जुलाई 1993 से विदेशी बैंकों के मामले में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम के संघटन में उनके द्वारा दिये गये निर्यात ऋण शामिल होंगे और 32% का बढ़ा हुआ लक्ष्य निर्यात ऋण के साथ होगा। पुनः, 32% के समग्र लक्ष्य के भीतर एसएसआई और निर्यात क्षेत्र में से प्रत्येक को निवल बैंक ऋण का कम से कम 10% अग्रिम दिया जाना चाहिए । तथापि, निर्यातों के लिए उप-लक्ष्य बाद में 12% निर्धारित किया गया । नियत लक्ष्य और उप-लक्ष्य नहीं प्राप्त करने की दशा में विदेशी बैंकों को लक्ष्य/उप-लक्ष्य में कमी के बराबर राशि तीन वर्ष की अवधि के लिए लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के पास जमा करना है, जिस पर ब्याज दर बैंक दर और

बैंक दर घटाव 3 प्रतिशत अंक की सीमा में होगी और जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के लक्ष्य/उप-लक्ष्य की प्राप्ति में कमी के प्रतिशत पर निर्भर करेगी, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाये। देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, जिनके द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र /कृषि को उधार देने में कमी आती है, उन्हें ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ), जो नाबार्ड में स्थापित की गयी है, में अंशदान के लिए राशि आबंटित की जाती है । आरआईडीएफ के परिचालन के संबंध में ब्यौरे, यथा, बैंकों द्वारा जमा की जाने वाली राशि , जमाराशियों पर ब्याज की दर, जमाराशि की अवधि, आदि के बारे में प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार के बजट में आरआईडीएफ की स्थापना के बारे में घोषणा किये जाने के बाद निर्णय लिया जाता है । बैंकों द्वारा किये जाने वाले अंशदान के बारे में संबंधित बैंकों को अलग से सूचित किया जाता है । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र/कृषि को उधार में कमी पर बैंकों को आरआईडीएफ के अंतर्गत आबंटन करते समय ध्यान दिया जाता है कि कितनी राशि किस ब्याज दर पर नाबार्ड के पास जमा की जानी है ।

बैंक ऋण को समाज की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के क्षेत्र-विस्तार और परिभाषा में दीर्घावधि में छोटे-मोटे समायोजन किये गये, जिसके लिए उसमें नयी मदें जोड़ी गयीं और घटक उप-क्षेत्रों की ऋण सीमा भी बढ़ायी गयी। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों की व्याप्ति, आँकड़े, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने विविध प्रकाशनों में प्रकाशित किये जाते हैं, का वर्णन नीचे किया गया है ।

1. कृषि

1.1 किसानों को कृषि प्रयोजनों के लिए प्रत्यक्ष वित्त, यथा,

1.1.1. फसल उगाने के लिए अल्पावधि ऋण, अर्थात् फसल ऋण । इसके अतिरिक्त, किसानों को कृषि उपज को (जिसमें भांडागार रसीद शामिल है) गिरवी/दृष्टिबंधक रखने पर 10 लाख रुपये तक का अग्रिम, जो 12 महीनों से अनधिक अवधि के लिए होगा, जहाँ किसानों को उपज बढ़ाने के लिए फसल ऋण दिये गये थे, बशर्ते कि उधारकर्ता किसी एक बैंक से ऋण प्राप्त करता है ।

1.1.2 मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण, जो किसानों को उत्पादन का वित्तपोषण करने और विकास संबंधी आवश्यकताओं के लिए सीधे प्रदान किये जाते हैं ।

(i) कृषि औजार और मशीनों की खरीद -

(क) कृषि औजार (लोहे के हल, हैरो, होज, भूमि समतलक, बंडफार्मर, स्प्रेयर्स, डस्टर्स, हे-प्रेस, शुगरकेन क्रशर्स, थ्रेशर मशीन आदि) की खरीद ।

(ख) खेती के लिए मशीनों (यथा ट्रैक्टर, ट्रेलर, पावर टिलर, ट्रैक्टर ऐक्सेसरी, आदि) की खरीद।

(ग) ट्रक, जीप, पिक-अप वैन, बैलगाड़ी और अन्य परिवहन उपकरण की खरीद, जो कृषि निविष्टियों और कृषि उत्पादन के परिवहन में सहायक हैं ।

(घ) कृषि निविष्टियों और कृषि उत्पादनों का परिवहन ।

(ङ) खेत की जुताई के लिए पशुओं, की खरीद आदि।

(ii) निम्नलिखित के माध्यम से सिंचाई की संभावना को बढ़ाना -

(क) उथले और गहरे नलकूपों, तालाबों, आदि का निर्माण और ड्रिलिंग यूनिटों की खरीद ।

(ख) सतही कुँओं का निर्माण, उन्हें गहरा करना, सफाई करना, कुओं का परिवेधन (बोरिंग), कूपों में बिजली की सुविधा देना, ऑयल इंजिन की खरीद और बिजली के मोटर और पंप लगाना।

(ग) टर्बाइन पंपों की खरीद और संस्थापन, खेत में नालियों (खुली और भूमिगत) का निर्माण, आदि।

(घ) लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का निर्माण।

(ङ) स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का संस्थापन।

(च) कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने वाले पंपसेटों को क्रियाशील करने के लिए जेनरेटर सेटों की खरीद ।

(iii) भूमि उद्धार और विकास योजनाएँ - खेती की भूमि में मेड़ बाँधना, टेरेसिंग, धान के शुष्क खेतों को धान के नये सिंचित खेतों में बदलना, बंजर भूमि का विकास, खेत की जल निकास व्यवस्था सुधारना, खेत की मिट्टी का उद्धार और उसकी लवणीयता को रोकना, खड्ड वाली भूमि का उद्धार, बुलडोजरों की खरीद, आदि ।

(iv) फार्म भवनों और इमारतों का निर्माण, आदि - बैलों के रहने के लिए शेड, औजार रखने के लिए शेड, ट्रैक्टर एवं ट्रक रखने के लिए शेड, फार्म स्टोर्स ।

(v) स्टोरेज सुविधाओं का निर्माण और उन्हें चलाना - भांडागारों, गोदामों, साइलो का निर्माण और उन्हें चलाना और किसानों को अपनी उपज को रखने हेतु उपयोग के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए दिये गये ऋण ।

(vi) सिंचाई शुल्क आदि का भुगतान - कुँओं और नलकूपों से भाड़े पर लिये गये जल के लिए प्रभार, नहर-जल का प्रभार, ऑयल इंजनों और बिजली के मोटर के रखररखाव और मरम्मत, मजदूरी का भुगतान, बिजली का प्रभार, विपणन प्रभार, भाड़े पर उपकरण देने वाली इकाइयों को सेवा प्रभार, विकास उपकर का भुगतान, आदि ।

(vii) किसानों को दिये गये प्रत्यक्ष वित्त के अन्य प्रकार -

क. अल्पावधि ऋण

i. परंपरागत/गैर-परंपरागत बागान और उद्यान के लिए

ii. संबद्ध कार्यकलाप, यथा, डेरी, मत्स्यपालन, सुअर बाड़ा, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन, आदि के लिए ।

ख. मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण

i. सभी बागानों और उद्यानों, वानिकी और बंजर भूमि के लिए विकास ऋण

ii. संबद्ध कार्यकलापों के लिए विकास ऋण

iii. डेरी और पशुपालन का सर्वांगीण विकास ।

iv. मत्स्य उद्योग का, मछली पकड़ने से उसके निर्यात के प्रक्रम तक, सर्वांगीण विकास, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए आवश्यक उपकरण के लिए वित्तपोषण, तालाबों का पुनर्वास (मीठे जल में मछली पकड़ना), मत्स्य प्रजनन, आदि ।

v. मुर्गीपालन, सुअर बाड़ा, आदि का सर्वांगीण विकास, जिसमें मुर्गी घर, सुअर बाड़ा, आदि का निर्माण शामिल है, मधुमक्खी पालन, आदि।

vi. अश्व फार्मों का विकास और रखरखाव, रेशम उत्पादन, जिसमें तंतु रचना, आदि शामिल है । तथापि, यहाँ घुड़दौड़ के अश्वों के प्रजनन को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता ।

vii. बायो-गैस प्लांट ,

viii. लघु और सीमांत कृषकों को कृषि प्रयोजनों हेतु भूमि खरीदने के लिए वित्तपोषण।

ix. कृषि स्नातकों द्वारा एग्रिक्लिनिकों और एग्रिबिजनेस केंद्रों की स्थापना के लिए वित्तपोषण ।

x. बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निवेश, जो कृषि को प्रत्यक्ष अग्रिम का द्योतक होता है ।

1.2: कृषि को अप्रत्यक्ष वित्त

1.2.1(i) उर्वरकों, कीटनाशकों, बीजों, आदि के वितरण के वित्तपोषण के लिए ऋण

(ii) संबद्ध कार्यकलापों, यथा, मवेशी चारा, मुर्गियों के लिए दाने, आदि के लिए निविष्टियों के वितरण के वित्तपोषण के लिए दिये गये 40 लाख रुपये तक के ऋण ।

1.2.2(i) बिजली बोर्डों को अलग-अलग किसानों को उनके कूपों को क्रियाशील करने के लिए स्टेप-डाउन पाइंट से लो-टेंशन कनेक्शन देने पर पहले ही किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए ऋण, बिजली वितरण निगमों/कंपनियों को, जो एसईबी के विभाजन/पुनर्विन्यास के फलस्वरूप बने हैं, को ऋण भी कृषि को अप्रत्यक्ष वित्त के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है और (ii) एसईबी को स्पेशल एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट (एसआई-एसपीए) के अंतर्गत सिस्टम इंप्रूवमेंट स्कीम के लिए ऋण ।

1.2.3 पीएसीएस, एफएसएस और एलएएमपीएस के माध्यम से किसानों को ऋण ।

1.2.4 नाबार्ड के पास रखे ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) में बैंकों द्वारा धारित जमाराशि ।

1.2.5 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) द्वारा जारी किये गये बांडों में अभिदान, जो केवल ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में पंपसेट क्रियाशीलता कार्यक्रम के वित्तपोषण और सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोग्राम (एसआई-एसपीए) के भी वित्तपोषण के लिए है । तथापि, बैंकों द्वारा जो निवेश आरईसी द्वारा जारी किये गये बांडों में 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद किये जायेंगे, वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत वर्गीकृत किये जाने के लिए पात्र नहीं होंगे और ऐसे निवेश, जो 31 मार्च 2005 तक बैंकों द्वारा किये जा चुके हैं, 1 अप्रैल 2006 से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत वर्गीकृत किये जाने के लिए पात्र नहीं रहेंगे ।

1.2.6 नाबार्ड द्वारा केवल कृषि/संबद्ध कार्यकलाप के वित्तपोषण के उद्देश्य से जारी किये गये बांडों में अभिदान । तथापि, नाबार्ड द्वारा जारी ऐसे बांडों में बैंकों द्वारा किये गये ऐसे निवेश 1 अप्रैल 2007 से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे ।

1.2.7 अन्य प्रकार के अप्रत्यक्ष वित्त, यथा (i) कृषि मशीनों और औजारों के वितरण के लिए किराया-खरीद योजनाओं के लिए वित्त, (ii) भंडारण सुविधा (भांडागार, विपणन यार्ड, गोदाम और साइलो), कोल्ड स्टोरेज यूनिटों कृषि उपज/उत्पादों को रखने के लिए डिजाइन किए गए हों, के निर्माण और उन्हें चलाने के लिए ऋण, भले ही वे किसी भी स्थान पर हों, (iii) भाड़े पर उपकरण देने वाली इकाइयों को अग्रिम, जिनका व्यक्तियों, संस्थाओं या संगठनों द्वारा प्रबंध किया जाता हो, जिनके पास अनेक ट्रैक्टर, बुलडोजर, वेलबेरिंग के उपस्कर, थ्रेशर, कंबाइन्स, आदि हों और जो किसानों के काम ठेके पर करते हों (iv) व्यक्तियों, संस्थाओं या संगठनों को ऋण, जो छिड़काव का काम करते हों, (v) राज्य प्रायोजित निगमों को अग्रिम, जो आगे कमजोर वर्गों को उधार दें, (vi) कृषि को आगे उधार देने, बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निवेश किये जाने, जो कृषि आदि को प्रत्यक्ष अग्रिम के द्योतक होते हैं, के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को ऋण।

2. लघु उद्योग

2.1. लघु एवं सहायक उद्योग

लघु औद्योगिक इकाइयाँ वे इकाइयाँ होती हैं, जो वस्तुओं के विनिर्माण, प्रसंस्करण या संरक्षण के काम में लगी होती हैं और जिनका संयंत्र और मशीनों में निवेश (मूल लागत) 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है । इनमें, अन्य

बातों के साथ-साथ, वे इकाइयाँ शामिल होंगी, जो खनन या उत्खनन, मशीनों की सर्विसिंग एवं मरम्मत के काम में लगी होती हैं । सहायक इकाइयों के मामले में उन्हें लघु उद्योग के रूप में वर्गीकृत किये जाने के लिए संयंत्र और मशीनों में उनका निवेश (मूल लागत) 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए ।

लघु उद्योग के रूप में वर्गीकरण के लिए 1 करोड़ रुपये की निवेश सीमा को होजरी, हाथ-औजार, ओषधियों एवं फार्मास्युटिकल तथा लेखन सामग्री के अंतर्गत कुछ विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में भारत सरकार द्वारा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गयी है ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि लघु उद्योग क्षेत्र के सभी खंडों को ऋण उपलब्ध होता है, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि -

(1) लघु उद्योगों को दिये गये कुल ऋण का 40 प्रतिशत कुटीर उद्योगों, खादी एवं ग्रामोद्योग, कारीगरों, और अत्यंत लघु उद्योगों को मिलता है, जिनका संयंत्र और मशीनों में निवेश 5 लाख रुपये तक हो;

(2) लघु उद्योगों को दिये गये कुल ऋण का 20 प्रतिशत, उन लघु उद्योग इकाइयों को मिलता है, जिनका संयंत्र और मशीनों में निवेश 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच हो; और

(3) शेष 40 प्रतिशत अन्य लघु उद्योग इकाइयों को मिलता है, जिनका निवेश 25 लाख रुपये से अधिक हो ।

2.2 अत्यंत लघु उद्यम

‘अत्यंत लघु उद्योग’ की हैसियत उन सभी लघु उद्योग इकाइयों को दी जा सकती है , जिनका संयंत्र और मशीनों में निवेश 25 लाख रुपये तक हो, भले ही वे इकाइयाँ किसी भी स्थान पर हों।

2.3. लघु उद्योग सेवा एवं कारोबार उद्यम (एसएसएसबीई)

उद्योग से संबंधित सेवा और कारोबारी उद्यम, जिनका अचल आस्तियों में, भूमि और भवन को छोड़कर, निवेश 10 लाख रुपये तक हो, को लघु उद्योग क्षेत्र का लाभ दिया जायेगा । अचल आस्तियों के मूल्य की गणना करने के लिए मूल स्वामी द्वारा भुगतान की गयी मूल कीमत पर विचार किया जायेगा , भले ही बाद के स्वामियों ने कोई भी कीमत अदा की हो ।

2.4 बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निवेश, जो लघु उद्योग क्षेत्र को प्रत्यक्ष उधार के द्योतक होते हैं, को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत लघु उद्योग क्षेत्र को उनका प्रत्यक्ष उधार माना जायेगा, बशर्ते कि यह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो :

(1) समुच्चयित आस्तियाँ लघु उद्योग क्षेत्र को प्रत्यक्ष ऋण का द्योतक होती हैं, जिन्हें प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत गिना जाता है , और

(2) प्रतिभूतिकृत ऋण बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया गया हो ।

2.5 लघु उद्योग क्षेत्र में अप्रत्यक्ष वित्त में निम्नलिखित ऋण शामिल होंगे :

(i) उन एजेंसियों को, जो कारीगरों, ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को निविष्टियों की आपूर्ति और उत्पादनों का वितरण करने में विकेंद्रीकृत क्षेत्र की सहायता करने में शामिल हों ।

(ii) सरकार द्वारा प्रायोजित निगमों/संगठनों को, जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में कमजोर वर्गों को निधियाँ प्रदान करते हों ।

(iii) हथकरघा सहकारी संस्थाओं को अग्रिम।

(iv) लघु उद्योगों के वित्तपोषण के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगम/राज्य वित्त निगम को उपलब्ध कराया गया मीयादी वित्त/ऋण सहायता।

(v) बैंकों के सहायता संघ द्वारा केवीआइसी को ऋण के प्रावधान की योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा केवीआइसी को दिया गया ऋण, जो आगे अर्थक्षम खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयों, आदि को उधार दिया जाये ।

2.6 औद्योगिक इस्टेट - औद्योगिक इस्टेट की स्थापना के लिए ऋण ।

3. सड़क एवं जल परिवहन छोटे परिचालक (एसआरडब्लूटीओ)

सड़क एवं जल परिवहन छोटे परिचालकों को अग्रिम, जिनके पास दस से अनधिक वाहन-समूह हों, जिसमें वह वाहन शामिल है, जिसके लिए वित्तपोषण किया जाना प्रस्तावित है ।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अग्रिम, जो आगे उन ट्रक परिचालकों और ट्रक परिचालकों से भिन्न एसआरडब्लूटीओ को उधार दें, जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों । एनबीएफसी से 31 जुलाई 1998 के बाद संविभाग खरीद (किराया खरीद प्राप्य वस्तुओं की खरीद) भी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत शामिल किये जाने के योग्य होगी, बशर्ते कि संविभाग खरीद उन एसआरडब्लूटीओ से संबंधित हों, जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र मानदंडों को पूरा करते हैं ।

4. फुटकर व्यापार

(क) अत्यावश्यक वस्तुओं का व्यापार करने वाले फुटकर व्यापारियों (उचित मूल्य की दुकानें) और सहकारी उपभोक्ता भंडारों तथा (ख) 10 लाख रुपये की अनधिक ऋण सीमा रखने वाले निजी फुटकर व्यापारियों को दिये गये अग्रिम (उर्वरकों के फुटकर व्यापारियों को दिये गये अग्रिम कृषि के लिए अप्रत्यक्ष वित्त का भाग होंगे और खनिज तेलों के फुटकर व्यापारियों को दिये गये अग्रिम लघु कारोबार को अप्रत्यक्ष वित्त के अंतर्गत आयेंगे)।

5. लघु कारोबार

लघु कारोबार में वैसे व्यक्ति और फर्म आयेंगे, जो मुख्यतः व्यावसायिक सेवा से भिन्न कोई सेवा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ स्थापित किये गये किसी कारोबारी उद्यम का प्रबंध करते हों, जिसमें कारोबार के लिए उपयोग किये गये उपस्कर का मूल लागत मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक नहीं है। बैंक इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि कार्यशील पूँजी के लिए अलग-अलग सीमाएँ निर्धारित करें, जो भिन्न-भिन्न कार्यकलापों की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा ।

हाउसबोटों के अधिग्रहण, निर्माण, नवीकरण तथा अन्य पर्यटन आवास के लिए अग्रिम यहाँ शामिल किये जायेंगे। खनिज तेलों के वितरण को 'लघु कारोबार' के अंतर्गत शामिल कया जायेगा। न्यायिक स्टाम्प विक्रेताओं और लॉटरी टिकट एजेंटों को अग्रिम भी इस कोटि के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है ।

6. व्यावसायिक और स्व-नियोजित व्यक्ति

इस शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है :

क. व्यावसायिक और स्व-नियोजित व्यक्तियों को दिये गये ऋणों में वे ऋण शामिल होंगे, जो उपस्कर खरीदने, वर्तमान उपस्कर की मरम्मत या नवीकरण करने और/या कारोबार के परिसर का अधिग्रहण और मरम्मत करने या औजार खरीदने के लिए और/या डेंटिस्टों सहित चिकित्सकों, सनदी लेखाकारों, लागत लेखाकारों, प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिवों, वकीलों या

सालिसिटरों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, सर्वेक्षकों, निर्माण ठेकेदारों या प्रबंधन परामर्शियों या किसी व्यक्ति को, जो किसी अन्य कला या शिल्प में प्रशिक्षित हो और सरकार द्वारा स्थापित, सहायताप्राप्त या मान्यताप्राप्त किसी संस्था का डिग्री या डिप्लोमा धारक हो, को दिये गये ऋण या किसी ऐसे व्यक्ति को दिये गये ऋण, जिसे बैंक द्वारा उस क्षेत्र में तकनीकी रूप से योग्य या कुशल माना जाये, जिसमें वह नियोजित है ।

ख. वैसे प्रत्यायित पत्रकारों और कैमरामैन को, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, अर्थात् किसी खास समाचारपत्र/पत्रिका द्वारा नियोजित नहीं हैं, उपस्कर जो ऐसे उधारकर्ता के व्यावसायिक उपयोग के लिए हों, के अधिग्रहण के लिए दिये गये अग्रिम।

ग. प्रैक्टिस करने वाले ऐसे कंपनी सचिवों को जो किसी नियोजक के नियमित नियोजन में नहीं हों, उपस्कर खरीदने, परिसरों का अधिग्रहण करने (केवल कारोबार के लिए) और साधनों के लिए ऋण।

घ. किसी व्यक्ति द्वारा, जो डॉक्टर नहीं है, लेकिन जिसने शारीरिक व्यायाम के विविध उपकरणों के प्रयोग के बारे में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, हेल्थ सेंटर चलाने के लिए वित्तीय साहाय्य ।

ङ. ब्यूटी पार्लरों की स्थापना के लिए अग्रिम, जहाँ उधारकर्ता के पास किसी खास व्यवसाय में योग्यता हो और वह उस कार्यकलाप को जीवनयापन/जीविकोपार्जन के एकमात्र उपाय के रूप में करता हो।

च. इस कोटि के अंतर्गत केवल ऐसे व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति आयेंगे, जिनकी उधार सीमा 10 लाख रुपये से अधिक न हो, जिसमें से 2 लाख रुपये से अनधिक राशि कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं के लिए हों। तथापि व्यावसायिक रूप से योग्य चिकित्सकों के मामले में, जो अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रैक्टिस करते हैं, उधार सीमा 15 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसके साथ कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं के लिए 3 लाख रुपये की उप-सीमा होनी चाहिए। योग्याताप्राप्त चिकित्सकों से भिन्न व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्तियों को एक मोटर वाहन खरीदने के लिए दिये गये अग्रिम प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में शामिल नहीं किये जायेंगे।

छ. बैंकों द्वारा व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्तियों को उनके व्यावसायिक उपयोग के लिए पर्सनल कंप्यूटर अर्जित करने के लिए दिये गये अग्रिम को इस कोटि में वर्गीकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि प्रति उधारकर्ता 10 लाख रुपये की अधिकतम सीमा का पालन, जिसमें से कार्यशील पूँजी 2 लाख रुपये से अधिक नहीं हो, पर्सनल कंप्यूटर खरीदने के लिए दिये गये ऋण सहित समस्त ऋण के लिए प्रत्येक मामले में किया जाये । तथापि, होम कंप्यूटरों को पर्सनल कंप्यूटरों के समकक्ष नहीं माना जाना चाहिए और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार में उन्हें शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

7. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य प्रायोजित संगठन

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य प्रायोजित संगठनों को स्वीकृत अग्रिम, जो इन संगठनों के हिताधिकारियों की निविष्टियों को खरीदने और आपूर्ति करने और/या उनके उत्पादनों का विपणन करने के लिए दिये जाते हैं ।

8. शिक्षा

शिक्षा-ऋण में केवल व्यक्तियों को शिक्षा के प्रयोजनार्थ दिये गये ऋण और अग्रिम शामिल किये जाने चाहिए, जो भारत में अध्ययन के लिए 7.5 लाख रुपये तक और विदेश में अध्ययन के लिए 15 लाख रुपये तक

होंगे और इनमें संस्थाओं को दिये गये ऋण शामिल नहीं होंगे और इसमें बैंकों द्वारा दिये गये सभी अग्रिम शामिल होंगे, जो इस प्रयोजन के लिए लागू की गयी विशेष योजनाओं के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रदान किये जायें।

9. आवास

प्रत्यक्ष वित्त

(i) ग्रामीण/अर्धशहरी, शहरी और मेट्रोपालिटन क्षेत्रों में व्यक्तियों द्वारा मकानों का निर्माण करने के लिए 15 लाख रुपये तक के ऋण, जो बैंक के निदेशक मंडल की मंजूरी से दिये जायें, लेकिन इनमें बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये गये ऋण शामिल नहीं होंगे ।

(ii) व्यक्तियों को उनके क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत करने के लिए ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में 1 लाख रुपये तक और शहरी क्षेत्रों में 2 लाख रुपये तक दिये गये ऋण ।

(iii) बैंकों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को, जो एनएचबी की विशेष ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नये रिहाइशी आवास का अर्जन या निर्माण करने के इच्छुक हों, 5 लाख रुपये तक दिये गये ऋण और विद्यमान आवास के कोटि उन्नयन या बड़ी मरम्मत के लिए 50000 रुपये तक के ऋण ।

(iv) बैंकों द्वारा बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश, बशर्ते कि यह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो -

(क) समुच्चयित आस्तियाँ प्रत्यक्ष आवास ऋण के संबंध में हैं, जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत समावेशन के लिए परिभाषा को पूरा करती हैं ।

(ख) प्रतिभूतिकृत ऋण का आरंभ आवास वित्त कंपनियों/बैंकों द्वारा किया जाता है ।

अप्रत्यक्ष वित्त

(i) किसी सरकारी एजेंसी को मकानों के निर्माण या गंदी बस्ती हटाने और गंदी बस्ती में रहने वालों के पुनर्वास के लिए दी गयी सहायता, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति आवास इकाई 5 लाख रुपये की ऋण राशि होगी ।

(ii) एनएचबी द्वारा अनुमोदित किसी गैर सरकारी एजेंसी को मकानों का पुनर्निर्माण करने या गंदी बस्ती हटाने और गंदी बस्ती में रहने वालों के पुनर्वास के लिए पुनर्वित्त के प्रयोजनार्थ दी गयी सहायता, जिसका ऋण घटक प्रति आवास इकाई अधिक से अधिक 5 लाख रुपये हो ।

(iii) एनएचबी/हुडको द्वारा जारी किये गये बांडों में, जो आवास के वित्तपोषण के लिए जारी किये जाते हैं, भले ही प्रति आवास इकाई ऋण का आकार कुछ भी हो, सभी निवेशों को समावेशन के लिए गिना जायेगा। तथापि, बैंकों द्वारा 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद एनएचबी/हुडको द्वारा जारी किये गये बांडों में जो निवेश किये जायेंगे, वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत वर्गीकरण के पात्र नहीं होंगे और ऐसे निवेश, जो बैंकों द्वारा 31 मार्च 2005 तक किये जा चुके हैं/किये जाने हैं, वे 1 अप्रैल 2006 से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे।

10. उपभोग ऋण

समुदाय के कमजोर वर्गों को उपभोग ऋण योजना के अंतर्गत दिये गये शुद्ध उपभोग ऋण को इस मद में शामिल किया जाना चाहिए । इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. एनजीओ/स्वयं सहायता समूहों(एसएचजी)को ऋण/माइक्रो क्रेडिट।

ii. बैंकों द्वारा एनजीओ/एसएचजी को आगे एसएचजी/एसएचजी के सदस्यों/पृथक् व्यक्तियों

या छोटे समूहों को , जो एसएचजी बनाने की प्रक्रिया में हैं, उधार देने के लिए दिये गये ऋण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में गिने जायेंगे।

iii. एसएचजी को बैंकों द्वारा दिया गया उधार कमजोर वर्गों को बैंक के उधार के भाग के रूप में शामिल किया जाना है ।

iv. बैंकों द्वारा दिये गये माइक्रो क्रेडिट, जो या तो सीधे या किसी मध्यवर्ती के माध्यम से दिये जायें, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत शामिल किये जाने चाहिए ।

11. खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण क्षेत्र

खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित मदें बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र होंगी : (i) फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग, (ii) अनाज कुटाई उद्योग, (iii) डेरी उद्योग, (iv) मुर्गियों एवं अंडों का प्रसंस्करण, मांस उत्पाद, (v) मत्स्य प्रसंस्करण, (vi) ब्रेड, तिलहन, भोजन (खाद्य), नाश्ते का भोजन, बिस्कुट, मिष्टान्न (जिसमें कोको प्रसंस्करण और चाकलेट शामिल है), माल्ट एक्सट्रैक्ट, प्रोटीन आइसोलेट, उच्च प्रोटीन वाला भोजन, वीनिंग फूड और निःस्रावित/अन्य तैयार भोज्य पदार्थ, (vii) वातित जल/सॉफ्ट ड्रिंक और अन्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, (viii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेष पैकेजिंग और (ix) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को तकनीकी सहायता और सलाह ।

क्षेत्र के भीतर यूनिटों के आकार के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि छोटे एवं मझोले आकार वाली खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण यूनिटें, जिनका संयंत्र एवं मशीनों में निवेश 5 करोड़ रुपये तक हो, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत शामिल की जायेंगी । जबकि एसएसआई परिभाषा को पूरा करने वाली यूनिटों को ऋण एसएसआई को अग्रिम के अंतर्गत दर्शाये जा सकते हैं, अन्य यूनिटों को ऋण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के संबंध में छमाही विवरणों में अलग से दर्शाये जाने चाहिए ।

12. सॉफ्टवेयर उद्योग

1 करोड़ रुपये की ऋण-सीमा वाले सॉफ्टवेयर उद्योग को बैंकिंग उद्योग से दिये गये ऋणों को इस मद के अंतर्गत शामिल किया जायेगा।

13. उद्यम पूँजी

उद्यम पूँजी में निवेश प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में समावेशन के लिए पात्र होगा, लेकिन शर्त यह होगी कि वेंचर कैपिटल फंड/कंपनियाँ सेबी में पंजीकृत हों । तथापि, नये निवेश, जो बैंकों द्वारा 1 जुलाई 2005 को या उसके बाद किये जायें, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे और जो निवेश बैंकों द्वारा 30 जून 2005 तक किये जा चुके हैं, वे 1 अप्रैल 2006 से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे ।

14. पट्टादायी और किराया खरीद

उप - बैंकिंग कार्यकलाप, यथा, पट्टादायी और किराया खरीद वित्तपोषण, जो बैंकों द्वारा विभागीय तौर पर किया जाता है, को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के रूप वर्गीकृत किया जायेगा, बशर्ते कि अंतिम हिताधिकारी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसे अग्रिमों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के रूप में माने जाने के लिए अधिकथित मानदंडों को पूरा करता हो ।

15. शहरी निर्धनों को ऋण, जो गैर-संस्थागत उधारदाता के ऋणी हों

गैर-संस्थागत उधारदाताओं द्वारा दिए गए ऋण को पहले चुकाने के लिए समुचित संपार्श्विक या सामूहिक प्रतिभूति पर विपत्तिग्रस्त शहरी निर्धनों को दिया गया

ऋण जो उनके निदेशकमंडल द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले दिशानिर्देशों के अधीन हों, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे । इसके प्रयोजनार्थ शहरी निर्धनों में शहरी क्षेत्रों में उन परिवारों को शामिल किया जा सकता है, जो गरीबी रेखा के नीचे हों ।

16. कमजोर वर्ग

यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में अधिकाधिक दलित वर्गों पर ऋण आबंटन के विषय में समुचित ध्यान दिया जाये, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कमजोर वर्गों को अग्रिम प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के 25 प्रतिशत के स्तर तक या निवल बैंक ऋण के 10 प्रतिशत स्तर तक पहुँचे। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्गों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास 5 एकड़ या कम की जोत है, और भूमिहीन श्रमिक, रैयती किसान और बँटाईदार ।

(ख) कारीगर, ग्राम और कुटीर उद्योग, जहाँ अलग-अलग ऋण सीमा 50000 रुपये से अधिक नहीं हो।

(ग) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के हिताधिकारी ।

(घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ।

(ङ) विभेदक ब्याज दर योजना (डीआरआई) के हिताधिकारी ।

(च) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत आने वाले हिताधिकारी ।

(छ) सफाई कर्मचारी मुक्ति और पुनर्वास योजना (एसएलआरएस) के अंतर्गत आने वाले हिताधिकारी ।

(ज) स्वयं सहायता समूहों को अग्रिम ।

(झ) गैर-संस्थागत उधारदाताओं द्वारा दिए गए ऋण विपत्तिग्रस्त शहरी निर्धनों को दिया गया ऋण को पहले चुकाने के लिए समुचित संपार्श्विक या सामूहिक प्रतिभूति पर, जो उनके निदेशकमंडल द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले दिशानिर्देशों के अधीन हों।

17. विभेदक ब्याज दर योजना

यह योजना 1972 में लागू की गयी और इसे सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है । बैंकों को इस योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष के अंत में अपने कुल अग्रिमों का कम से कम 1% उधार देना होता है। कुल डीआरआई अग्रिमों का 2/3 हिस्सा बैंकों की ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं के माध्यम से दिया जाना चाहिए ।

i. उद्देश्य :समुदाय के कमजोर वर्गों को 4% प्रतिवर्ष की दर से रियायती ब्याज दर पर बैंक वित्त प्रदान करना, ताकि वे उत्पादक और लाभकारी कार्यकलापों में लगकर अपनी आर्थिक दशा सुधार सकें ।

ii. परिचालन क्षेत्र : यह योजना देश भर में कार्यान्वित की जा रही है ।

iii. लक्ष्य समूह/पात्रता मानदंड : आय मानदंड : पात्रता के लिए आय की अधिकतम सीमा शहरी या अर्धशहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार प्रति वर्ष 7200/- रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार 6400/- रुपये है ।

iv. जोत संबंधी मानदंड : जोत का आकार सिंचित भूमि के लिए एक एकड़ और गैर-सिंचित भूमि के लिए 2.5 एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। जोत संबंधी मानदंड अ.जा./ अ.ज.जा. पर लागू नहीं होते हैं ।

इस योजना के अंतर्गत उधारकर्ताओं की महत्वपूर्ण कोटियाँ हैं अ.जा./अ.ज.जा. और अन्य, जो बहुत कम पैमाने पर कृषि और/या संबद्ध कार्यकलाप में लगे हैं, वैसे लोग, जो स्वयं वनोत्पादों का संग्रह और उनका प्रारंभिक प्रसंस्करण करते हैं, वैसे लोग, जो बहुत कम पैमाने पर कुटीर एवं ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में और धन्दों में काम करते हों और व्यवसाय, गरीब प्रतिभाशाली छात्र, आदि।

v. ऋण की राशि : उत्पादक प्रयोजनों के लिए प्रति हिताधिकारी अधिकतम सहायता की राशि 6500/- रुपये निर्धारित है । इसके अतिरिक्त, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति 5000/- रुपये (अधिकतम) तक प्रति हिताधिकारी की दर से सहायता का उपयोग अनुदान, यंत्र, उपकरण प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, बशर्ते कि वे योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हों। इसी प्रकार, अ.जा./अ.ज.जा. के सदस्य, जो योजना के आय संबंधी मानदंडों को पूरा करते हैं, योजना के अंतर्गत 6500/- रुपये के ऋण के अतिरिक्त प्रति हिताधिकारी 5000/- रुपये की दर से आवास ऋण का भी उपयोग कर सकते हैं।

vi. मार्जिन राशि : इस योजना के अंतर्गत कोई मार्जिन राशि निर्धारित नहीं की गयी है ।

vii. पूँजी सहायता/ब्याज : कोई पूँजी सहायता उपलब्ध नहीं होती है । ऋण पर लगाये जाने वाले ब्याज की दर 4% प्रतिवर्ष है । चालू देय राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाया जाता है।

viii. प्रतिभूति : कोई संपार्श्विक प्रतिभूति/अन्य पक्ष गारंटी अपेक्षित नहीं होती है । ऋण की राशि से सृजित आस्तियों को बैंकों के पास केवल दृष्टिबंधक रखा जायेगा ।

ix. अदायगी : अधिक से अधिक पाँच वर्ष, जिसमें दो वर्षों की अनुग्रह अवधि शामिल है ।

x. आरक्षण/अधिमान : बैंकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके डीआरआई अग्रिमों का कम से कम 40% अ.जा./अ.ज.जा. को उपलब्ध होता हो।

2.1.4.2. पर्यवेक्षकीय सांख्यिकी

बैंकिंग प्रणाली के पर्यवेक्षक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य संपादन के अनेक संकेतकों, यथा, ऋण की स्थिति, सुदृढ़ता, प्रबंधन, आदि के संबंध में बैंकों से विपुल आँकड़े संगृहीत करता है । ये आँकड़े बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 27(2) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँगे जाते हैं । इनमें से अधिकांश जानकारी गोपनीय स्वरूप की होती है । तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक कुछ जानकारी का प्रसार अपने वार्षिक प्रकाशनों, यथा, वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट तथा भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियों में सारणियों के रूप में करता है, जो अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षकीय आँकड़ा रिपोर्टिंग प्रणाली पर आधारित होता है। आँकड़ों के स्रोत और व्याप्ति के बारे में सामान्यत: संबंधित सारणियों की पाद-टिप्पणी में बताया जाता है । बैंकों से पर्यवेक्षकीय विवरणियाँ इनक्रिप्टेड ई-मेल एटैचमेंट के रूप में प्राप्त होती हैं । सारणियों में दिये गये आँकड़ों के संबंध में अवधारणाएँ, परिभाषाएँ और अन्य जानकारी (अनुबंध 2.12) नीचे दी गयी हैं :

2.1.4.2.1. अनर्जक आस्तियाँ

1 अप्रैल 1992 से भारत के बैंक आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अशोध्य ऋणों के लिए विवेकपूर्ण आधार पर प्रावधानन की प्रणाली की ओर उन्मुख हुए, जो वस्तुनिष्ठ है और वसूली के रिकार्ड पर आधारित है तथा मानदंडों का एक समान

एवं संगत प्रयोग सुनिश्चित करती है । इसके पूर्व बैंकों द्वारा अग्रिमों का वर्गीकरण स्वास्थ्य कूट प्रणाली के अंतर्गत किया जाता था । वर्तमान आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन मानदंडों के अंतर्गत बैंकों की आस्तियाँ निम्नलिखित कोटियों में वर्गीकृत की जाती हैं :

1. मानक आस्तियाँ
2. अवमानक आस्तियाँ
3. संदिग्ध आस्तियाँ, और
4. हानि आस्तियाँ

अनर्जक आस्तियाँ मानक आस्तियों से भिन्न आस्तियाँ होती हैं । कोई आस्ति, जिसमें पट्टे पर आस्ति शामिल है, उस समय अनर्जक आस्ति हो जाती है, जब यह बैंक के लिए आय कमाना बंद कर देती है ।

एक अनर्जक आस्ति (एनपीए) ऐसा ऋण या अग्रिम होती है, जहाँ :

(i) ब्याज और/या मूलधन की किस्त मीयादी ऋण के संबंध में 90 दिनों से अधिक अवधि तक अतिदेय रहती है।

(ii) किसी ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता 'आउट ऑफ ऑर्डर' रहता है ।

(iii) खरीदे और भुनाये गये बिलों के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक अवधि तक अतिदेय रहता है।

(iv) छोटी अवधि वाली फसलों के लिए दिया गया ऋण एनपीए के रूप में माना जाता है, यदि मूलधन या उस पर ब्याज दो फसल मौसम के लिए अतिदेय रहता है ।

(v) लंबी अवधि वाली फसलों के लिए दिया गया ऋण एनपीए के रूप में माना जाता है, यदि मूलधन की किस्त या उस पर देय ब्याज एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहता है ।

बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे किसी खाते को तभी एनपीए के रूप में वर्गीकृत करें, जब किसी तिमाही में प्रभारित ब्याज उस तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह नहीं चुकाया जाता । अधिक जानकारी के लिए अग्रिमों के संबंध में आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन पर मास्टर परिपत्र डीबाओडी.सं.बीपी.बीसी.11/21.04.048/2005-06 दिनांक 1 जुलाई 2005 देखा जा सकता है , जो आरबीआई वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध है । बैंकों की ऋण आस्तियों को मोटे तौर पर अर्जक (मानक) और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अनर्जक आस्तियों को अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो उस अवधि पर, जिसमें आस्ति अनर्जक रहती है, और बकायों की वसूलनीयता पर निर्भर करता है ।

2.1.4.2.1.1. अवमानक आस्तियाँ

अवमानक आस्ति वह आस्ति होती है, जिसे अधिक से अधिक दो वर्षों की अवधि के लिए एनपीए के रूप में माना जाता है । 31 मार्च 2001 से अवमानक आस्ति वह होती है, जो 18 महीनों से कम या उसके बराबर अवधि तक एनपीए रहती है । ऐसे मामलों में उधारकर्ता/गारंटीकर्ता का चालू निवल मालियत या प्रभारित प्रतिभूति का चालू बाजार मूल्य इतना पर्याप्त नहीं होता कि बैंकों की पूरी बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित हो सके। दूसरे शब्दों में, ऐसी आस्ति की सुपरिभाषित ऋण-दुर्बलता होगी, जो ऋण के समापन को जोखिम में डाल देती है और उसका लक्षण यह संभावना होती है कि बैंकों को कुछ हानि उठानी पड़ेगी, यदि कमियों को दूर नहीं किया जाता । 31 मार्च 2005 से अवमानक आस्ति वह

आस्ति होती है, जो 12 महीनों से कम या उसके बराबर अवधि तक एनपीए रहती है ।

2.1.4.2.1.2. संदिग्ध आस्तियाँ

संदिग्ध आस्ति वह आस्ति होती है, जो दो वर्ष से अधिक अवधि तक एनपीए रहती है । 31 मार्च 2001 से किसी आस्ति को संदिग्ध आस्ति के रूप में उस समय वर्गीकृत किया जाता है, जब वह 18 महीनों से अधिक अवधि तक एनपीए रहती है । संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किसी ऋण में अवमानक के रूप में वर्गीकृत आस्तियों में अंतर्निहित सभी दुर्बलताएँ होती हैं और उसका एक और लक्षण यह होता है कि ये दुर्बलताएँ ऋण की वसूली या पूरे समापन को वर्तमान में ज्ञात तथ्यों, हालातों और मूल्यों के आधार पर अत्यंत संदेहास्पद और असंभव बना देती हैं। 31 मार्च 2005 से किसी आस्ति को संदिग्ध आस्ति के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब वह 12 महीनों के लिए अवमानक कोटि में रहती है ।

2.1.4.2.1.3. हानि आस्तियाँ

हानि आस्ति वह होती है, जहाँ बैंक द्वारा या आंतरिक या बाह्य लेखापरीक्षकों या भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण दल द्वारा हानि की पहचान की जाती है, लेकिन पूरी राशि को बट्टे खाते नहीं लिखा गया होता है । दूसरे शब्दों में, ऐसी आस्ति को वसूली न किए जाने योग्य और इतने अल्प मूल्य का माना जाता है कि इसका बैंकयोग्य आस्ति के रूप में बना रहना वांछनीय नहीं होता, हालाँकि इसका कुछ अवशिष्ट या वसूली मूल्य हो सकता है ।

2.1.4.2.2. प्रावधानन मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पहली बार 1993 में अंतरराष्ट्रीय व्यवहार के अनुरूप आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन की प्रणाली लागू की थी । वर्तमान मानदंड, जो मार्च 2005 से लागू हैं, नीचे प्रस्तुत किये गये हैं :

आस्ति	प्रावधानन
1. अवमानक	
(क) प्रतिभूत	बकाया देय राशि का 10%
(ख) अप्रतिभूत	बकाया देय राशि का 20%
2. संदिग्ध	
(क) संदिध I (संदिग्ध कोटि में पहले 12 महीने)	प्रतिभूति के लिए वसूलीयोग्य मूल्य का 20%+प्रतिभूति की कमी का 100%
(ख) संदिग्ध II (संदिग्ध कोटि में बाद के 24 महीने)	प्रतिभूति के लिए वसूलीयोग्य मूल्य का 30%+प्रतिभूति की कमी का 100%
(ग) संदिग्ध III (संदिग्ध कोटि में 48 महीनों से अधिक)	100% प्रावधानन
3. हानि आस्तियाँ	100% प्रावधानन

2.1.4.2.3. निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक के 12 जून 1997 के अनुदेशों के अनुसार निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए अधिक प्रावधान को लाभ-हानि खाता में विनियोजन के जरिये आरक्षित पूँजी लेखा में अंतरित कर दिया जाना चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए अधिक प्रावधान को आरक्षित पूँजी खाता के बदले ''निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि खाता'' में विनियोजित किया जाये और अनुसूची 2 ''राजस्व और अन्य आरक्षित निधियाँ'' शीर्ष के अंतर्गत ''आरक्षित निधियों और अधिशेषं'' में अलग मद के रूप में दर्शाया जाये और वह स्तर II पूँजी में समावेशन के लिए पात्र होगा। निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए किये गये अधिक प्रावधान की वर्तमान राशि, जो आरक्षित पूँजी खाता के अंतर्गत रखी जाती है, उसे ''निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि खाता'' में अंतरित कर दिया जायेगा। 'निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि खाता' में धारित राशि का उपयोग भविष्य में प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में मूल्यह्रास

को पूरा करने के लिए किया जा सकता है । बाद में दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुदेशों के अनुसार बैंकों को सूचित किया गया कि वे निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए अधिक प्रावधान को आरक्षित पूँजी खाता के बदले निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि खाता (आईएफआर) में विनियोजित करें। बैंकों को अनुमति दी गयी कि वे आईएफआर में धारित राशि का उपयोग भविष्य में प्रतिभूति में निवेश पर मूल्यह्रास संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने में करें । प्रतिभूतियों में आय पर काफी गिरावट आने के संदर्भ में स्थिति की समीक्षा प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के परामर्श से निम्नानुसार की गयीः

i. बैंकों को चाहिए कि वे प्रतिभूतियों में निवेश के विक्रय से प्राप्त लाभ की अधिकतम राशि आईएफआर में अंतरित करें ।

ii. उद्देश्य यह होना चाहिए कि निवेश के विक्रय से प्राप्त लाभ को अंतरित करते हुए संविभाग के कम से कम 5% का आईएफआर 5 वर्षों की अवधि के भीतर प्राप्त किया जाये । तथापि, बैंक इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि अपने निदेशक मंडल की सहमति से वे संविभाग के 10% तक आईएफआर का उच्चतर प्रतिशत निर्मित करें, जो उनके संविभाग के आकार और संयोजन पर निर्भर करेगा।

iii. बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निवेश संविभाग के मूल्य-निर्धारण के वसूले नहीं गये लाभ को आय खाता या आईएफआर में नहीं ले जाया जाता है ।

iv. दिनांक 16 अक्तूबर 2000 के पूर्व के अनुदेशों में आशोधन करते हुए अलग-अलग प्रतिभूति पत्रों को, जो 'विक्रय के लिए उपलब्ध' कोटि में रखे गये हैं, कम से कम तिमाही अंतराल पर मार्क्ड टू मार्केट किया जाना चाहिए ।

v. निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि, जो निवेशों के विक्रय से प्राप्त लाभ से बनती है, अब तक की तरह स्तर 2 पूँजी में समावेशन के लिए पात्र होगी ।

vi. बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने निवेश संविभाग पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन करें । इसके अतिरिक्त, बैंकों को सूचित किया गया कि वे ब्याज दर जोखिम के मापन के लिए वीएआर और ड्यूरेशन विधि की ओर उन्मुख होने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करें और इस दिशा में युक्तियुक्त कदम उठायें ।

vii. बैंकों को यह अनुमति भी दी गयी कि वे आईएफआर से जमाशेषों को लाभ हानि खाता में अंतरित कर सकते हैं, ताकि निवेश पर मूल्यह्रास संबंधी अपेक्षा पूरी हो सके, क्योंकि 'लाभ निकालने के बाद' वाली मद अब तक की तरह जारी रहेगी ।

पुनः बासल II मानदंडों की ओर निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित करने की दृष्टि से बैंकों को 24 जून 2004 को सूचित किया गया कि वे चरणबद्ध रूप में बाजार जोखिम के लिए पूँजी प्रभार दो वर्षों की अवधि तक निम्नानुसार बनाये रखें :

i) उन प्रतिभूतियों के संबंध में, जो व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)* कोटि में शामिल हैं, ओपन गोल्ड पोजीशन लिमिट, ओपन फारेन एक्सचेंज पोजीशन लिमिट, डेरिवेटिवों के व्यापार की स्थिति और हेजिंग ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर्स के लिए किये गये डेरिवेटिव 31 मार्च 2005 तक, और

ii) उन प्रतिभूतियों के संबंध में, जो विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)* कोटि में शामिल हैं, 31 मार्च 2006 तक ।

बाजार जोखिमों के लिए पूँजी प्रभार बनाये रखने के लिए दिशानिर्देशों के शीघ्र अनुपालन हेतु बैंकों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि जिन बैंकों ने एचएफटी (ऊपर (i) में इंगित मदें) और एएफएस कोटि, दोनों के लिए ऋण जोखिम और बाजार जोखिम, दोनों के लिए जोखिम भारित आस्तियों की कम-से-कम 9 प्रतिशत पूँजी रखी हैं, वे आईएफआर में प्रतिभूतियों के 5 प्रतिशत से अधिक शेष को , जिन्हें एचएफटी* और एएफएस* कोटि के अंतर्गत शामिल किया गया है, स्तर 1 पूँजी के रूप में मान सकते हैं । जो बैंक उपर्युक्त मानदंड को पूरा करते हैं, वे आईएफआर में उक्त 5 प्रतिशत से अधिक राशि को सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित कर सकते हैं । यह अंतरण लाभ हानि विनियोग खाता में ''लाभ निकालने के बाद'' मद के रूप में किया जायेगा । दिनांक 10 अक्तूबर 2005 की अन्य सूचना में पुनः यह निर्णय लिया गया कि जिन बैंकों ने 31 मार्च 2006 की स्थिति के अनुसार एचएफटी (ऊपर (i) में इंगित मदें) और एएफएस कोटि, दोनों के लिए ऋण जोखिम और बाजार जोखिम, दोनों के लिए जोखिम भारित आस्तियों की कम-से-कम 9 प्रतिशत पूँजी रखी हैं, उन्हें आईएफआर में समस्त जमाशेष को स्तर I पूँजी के रूप में मानने की अनुमति दी जाये। इसके प्रयोजनार्थ, बैंक लाभ हानि विनियोग खाता में 'लाभ निकालने के बाद' में निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि जमाशेष को सांविधिक आरक्षित निधि, सामान्य आरक्षित निधि या लाभ हानि खाता के शेष में अंतरित करें ।

यदि एएफएस या एचएफटी कोटियों में मूल्यह्रास के कारण किये गये प्रावधान किसी वर्ष अपेक्षित राशि से अधिक पाये गये, तो अधिक राशि को लाभ हानि खाता में जमा किया जाना चाहिए और उसके समतुल्य राशि (करों को घटाकर, यदि हों, और सांविधिक आरक्षित निधियों से अंतरित राशि को घटाकर, जैसाकि ऐसे अधिक प्रावधान के लिए लागू हो), अनुसूची 2 ''आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष'' में ''राजस्व और अन्य आरक्षित निधियाँ'' शीर्ष के अंतर्गत निवेश आरक्षित निधि खाता में विनियोजित की जानी चाहिए और यह राशि सामान्य प्रावधान/हानि आरक्षित निधि के लिए निर्धारित कुल जोखिम भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की समग्र उच्चतर सीमा के भीतर स्तर II में समावेशन की पात्र होगी।

2.1.4.2.4. पूँजी पर्याप्तता अनुपात

बैंककारी विनियमन और पर्यवेक्षकीय व्यवहार (बासल समिति) से संबंधित समिति ने जुलाई 1988 में पूँजी मापन और पूँजी मानकों की अंतरराष्ट्रीय अभिमुखता के संबंध में एक सहमत ढाँचा जारी किया था । समिति ने पूँजी पर्याप्तता का मापन करने की विधि के रूप में भारित जोखिम आस्तियों का दृष्टिकोण अपनाया था, जिसमें किसी बैंक के तुलनपत्र में आनेवाले और तुलनपत्र में नहीं आनेवाले, दोनों प्रकार के एक्सपोजरों पर भारांक दिया जाता है, जो उनके अनुभूत

* लेखाकरण मानकों में किसी कंपनी से अपेक्षा की जाती है कि वह ऋण (बांड) और इक्विटी (शेयर) प्रतिभूतियों में अपने निवेश को तीन में से एक कोटि में वर्गीकृत करे, जब वे खरीदी जाती हैं (1) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) (2) व्यापर (एचएफटी), या विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)। यह वर्गीकरण कंपनी द्वारा उस प्रतिभूति के आशयित उपयोग पर आधारित है और वर्गीकरण लेखाकरण अभिक्रिया का निर्देश देता है ।

परिपक्वता तक धारित - ऋण प्रतिभूतियाँ, जिन्हें कंपनी उनकी परिपक्वता तक धारित रखना चाहती है, और वे उसके योग्य हैं, परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं और उनकी रिपोर्ट परिशोधित लागत पर की जाती है । ऋण प्रतिभूतियों के उचित मूल्य में अस्थायी उतार चढ़ाव का प्रभाव कंपनी के वित्तीय विवरणों में प्रतिबिंबित नहीं होता है । चूँकि इक्विटी प्रतिभूतियों में परिपक्वता तिथि नहीं होती है, इसलिए उन्हें परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता ।

- व्यापार - ऋण और इक्विटी प्रतिभूतियाँ, जिन्हें मुख्य रूप से निकट भविष्य में बिक्री के प्रयोजनार्थ खरीदा और बेचा जाता है, व्यापार प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं और वित्तीय विवरणों में उनकी रिपोर्ट उचित मूल्य पर की जाती है । समय-समय पर उचित मूल्य में परिवर्तन की रिपोर्ट निवल आय घटक के रूप में की जाती है।
- विक्रय के लिए उपलब्ध - वैसी ऋण और इक्विटी प्रतिभूतियाँ, जिन्हें परिपक्वता तक धारित या व्यापार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, उन्हें विक्रय के उपलब्ध माना जाता है और उनकी रिपोर्ट उचित मूल्य पर की जाती है । समय-समय पर उचित मूल्य में परिवर्तन की रिपोर्ट निवल आय के घटक के रूप में नहीं की जाती है, लेकिन वे सीधे इक्विटी में प्रभारित या जमा किये जाते हैं।

जोखिम के अनुसार होता है, और न्यूनतम मानक 8 प्रतिशत (जोखिम भारित आस्तियों का) निर्धारित किया था, जिसे 1992 के अंत तक प्राप्त किया जाना था (7.25 प्रतिशत 1990 के अंत तक) । समिति इस बात के लिए उत्सुक थी कि पूँजी पर्याप्तता की माप संबंधी यह समझौता (इसके बाद बासेल I मानक कहा गया है) वैश्विक मानक के लिए आधार बनना चाहिए।

भारत में, बैंकों के विविध समूहों के लिए भिन्न-भिन्न न्यूनतम पूँजी अपेक्षाएँ रखी गयी थीं, जो उनके परिनियमों में निर्धारित की गयी थीं, जिनके अधीन उन्हें स्थापित किया गया था और वे परिचालन करते थे । विदेशी बैंकों के लिए, जो भारत में परिचालनरत थे, यह निर्धारित किया गया था कि वे प्रत्येक वर्ष के अंत में अपनी जमाराशि के 3.5 प्रतिशत के बराबर विदेशी निधि, जो भारतीय कारोबार में अभिनियोजित हो, रखें । पुनः सांविधिक आरक्षित निधियाँ बनाये रखने के संबंध में निर्धारण विद्यमान हैं । परिवर्ती न्यूनतम पूँजी अपेक्षाओं के संदर्भ में और बासल समिति के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि पूँजी पर्याप्तता के लिए एक समान निर्धारण अप्रैल 1992 में लागू किया जाये ।

बासेल I पूँजी पर्याप्तता ढाँचा कई चरणों में कार्यान्वित किया गया, जिसमें बैंकों से अपेक्षा की गयी कि वे निम्नलिखित समय सारणी का पालन करें :

	न्यूनतम पूँजी अपेक्षा
भारत में परिचालनरत विदेशी बैंक	आरडब्लूए का 8% 31 मार्च 1993 तक
विदेशी शाखाओं वाले भारतीय बैंक	आरडब्लूए का 8% 31 मार्च 1993 तक
अन्य सभी बैंकें	आरडब्लूए का 4% 31 मार्च 1993 तक
	आरडब्लूए का 8% 31 मार्च 1996 तक

2.1.4.2.5. *कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ*

पूँजीगत निधियाँ : बासेल समिति ने दो स्तरों में पूँजी को परिभाषित किया है - स्तर I और स्तर II। स्तर I पूँजी, जिसे अन्यथा स्थायी पूँजी के रूप में जाना जाता है, किसी बैंक को अप्रत्याशित हानियों के विरुद्ध सर्वाधिक स्थायी और सुलभ समर्थन प्रदान करती है । स्तर II पूँजी में ऐसे तत्व होते हैं, जो कम स्थायी स्वरूप के होते हैं या कम सुलभ होते हैं । स्तर I पूँजी और स्तर II पूँजी के तत्व भारतीय बैंकों और भारत में परिचालनरत विदेशी बैंकों के संबंध में भिन्न-भिन्न होते हैं ।

जोखिम समायोजित आस्तियाँ और तुलनपत्र बाह्य मदें* : जोखिम भारित आस्तियों से अभिप्रेत होगा निधिक और गैर निधिक मदों का भारित जोड़। इसे तुलनपत्र आस्तियों और तुलनपत्र बाह्य मदों के रूपांतरण कारक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो अलग-अलग ऋण जोखिम* के भारित प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त होता है । प्रत्येक आस्ति/मद के मूल्य में संबंधित भारांक से गुणा किया जायेगा, ताकि आस्तियों

* ऋण जोखिम वह जोखिम होती है, जो अपने दायित्वों को पूरा करने में काउंटरपार्टी की अनिश्चितता के कारण होती है । चूंकि काउंटरपार्टियाँ व्यक्तियों से लेकर संप्रभु सरकारों तक अनेक प्रकार की होती हैं और आटो ऋण से लेकर डेरिवेटिव लेनदेनों तक भिन्न-भिन्न प्रकार के दायित्व होते हैं, अतः ऋण जोखिम के अनेक रूप हो जाते हैं । संस्थाएँ इनका प्रबंधन विभिन्न प्रकार से करती हैं । किसी एकल काउंटरपार्टी से ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने में किसी संस्था को तीन मुद्दों पर विचार करना चाहिए : चूक की संभावना, जिसमें यह संभव है कि काउंटरपार्टी अपने दायित्वों को पूरा करने में दायित्व के बने रहने की अवधि के दौरान या किसी विनिर्दिष्ट अवधि, यथा, एक वर्ष में चूक करेगी। ऋण एक्सपोजर, जो चूक किये जाने की स्थिति में होता है, में यह देखना होता है कि जब चूक की जाती है उस समय बकाया दायित्व कितना बड़ा होगा और चूक की स्थिति में वसूली की दर क्या होगी, एक्सपोजर का कौन-भाग दिवाला कार्यवाहियों के माध्यम से या समझौते के कुछ अन्य रूपों से वसूला जा सकेगा ।

प्रत्येक जोखिम में दो तत्व समाविष्ट होते हैं : एक्सपोजर और अनिश्चितता। ऋण जोखिम के लिए ऋण एक्सपोजर पहले वाले का द्योतक होता है और ऋण गुणवत्ता बाद वाले का द्योतक होता है ।

ऋण देने के पूर्व कोई बैंक या अन्य उधारदाता ऋण के लिए अनुरोध करने वाली पार्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा । क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले किसी बैंक के मामले में, इस जानकारी में पार्टी की वार्षिक आमदनी, विद्यमान ऋण, क्या वह भाड़े के मकान में रहता है या उसका अपना मकान है, आदि शामिल होंगे । जानकारी के लिए एक मानक फार्मूला प्रयोग किया जाता है, जिससे एक संख्या मिलती है, जिसे क्रेडिट स्कोर कहा जाता है । क्रेडिट स्कोर के आधार पर उधार देने वाली संस्था यह निर्णय करेगी कि ऋण दिया जाये या नहीं दिया जाये ।

और तुलनपत्र बाह्य मदों के जोखिम समायोजित मूल्य प्राप्त हों । कुल जोड़ को न्यूनतम पूँजी अनुपात की गणना करने के लिए हिसाब में लिया जायेगा ।

बाजार जोखिमों के लिए पूँजीगत अपेक्षाएँ :* बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित बासेल समिति (बीसीबीएस) ने ''बाजार जोखिमों का समावेश करने के लिए पूँजीगत समझौता में संशोधन'' से जारी किया था, जिसमें बाजार जोखिमों के लिए सुस्पष्ट पूँजी प्रभार प्रदान करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश दिये गये थे । बाजार जोखिम की परिभाषा बाजार की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण तुलनपत्र में आने वाली और न आने वाली मदों में हानि की जोखिम होने के रूप में दी जाती है । पूँजी प्रभार अपेक्षाओं के अधीन बाजार जोखिम स्थितियाँ निम्नानुसार हैं

- व्यापार बही में ब्याज दर संबद्ध लिखतों और इक्विटियों के संबंध में जोखिम; और
- विदेशी मुद्रा जोखिम (जिसमें बहुमूल्य धातुओं की आरंभिक क्रय-विक्रय स्थिति शामिल है) पूरे बैंक में (बैंकिंग और व्यापार बही, दोनों में)।

बाजार जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षा निर्धारित करने की दृष्टि से आरंभिक कदम के रूप में बैंकों को सूचित किया गया कि वे :

i) समस्त निवेश संविभाग पर 2.5 प्रतिशत का अतिरिक्त जोखिम भार समनुदेशित करें;

ii) विदेशी मुद्रा और स्वर्ण की आरंभिक क्रय-विक्रय स्थिति पर 100 प्रतिशत का जोखिम भार समनुदेशित करें; और

iii) निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि निर्मित करें, जो उनके निवेश संविभाग में व्यापार के लिए धारित और विक्रय के लिए उपलब्ध कोटियों में धारित निवेश के कम से कम 5 प्रतिशत की हो ।

भारत में अपनाये गये अंतरिम उपाय स्थूल ब्रश और एकतरफा दृष्टिकोण के द्योतक हैं । इसके अतिरिक्त दीर्घ कालावधि में बाजार जोखिम की पहचान और मापन करने की बैंकों की योग्यता में सुधार हुआ है । बाजार जोखिम को पहचानने और उसका मापन करने की बैंकों की योग्यता को ध्याप में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि बाजार जोखिमों के लिए सुस्पष्ट पूँजी प्रभार समनुदेशित किया जाये । बैंकों से अपेक्षित है कि वे दो वर्षों की अवधि में चरणबद्ध रूप से बाजार जोखिम के लिए पूँजी प्रभार बनाये रखें, जैसाकि नीचे बताया गया हैः

(क) बैंकों से अपेक्षा की गयी कि वे व्यापार के लिए धारित कोटि में शामिल प्रतिभूतियों, आरंभिक स्वर्ण क्रय-विक्रय स्थिति, आरंभिक विदेशी मुद्रा क्रय-विक्रय स्थिति, डेरिवेटिवों के लेनदेन की स्थिति और व्यापार बही जोखिमों से रक्षा के लिए किये गये डेरिवेटिव लेनदेनों के संबंध में बाजार जोखिमों के लिए 31 मार्च 2005 तक पूँजी रखें। इसके परिणामस्वरूप व्यापार के लिए धारित कोटि के अंतर्गत शामिल निवेशों के संबंध में बाजार जोखिम के लिए 2.5% के अतिरिक्त जोखिम भार की आवश्यकता नहीं है।

(ख) बैंकों को चाहिए कि वे विक्रय के लिए उपलब्ध कोटि में शामिल प्रतिभूतियों के संबंध में भी बाजार जोखिमों के लिए 31 मार्च 2006 तक पूँजी रखें । इसके परिणामस्वरूप विक्रय के लिए उपलब्ध और परिपक्वता तक धारित कोटियों के अंतर्गत शामिल किये गये निवेशों के संबंध में बाजार जोखिमों के लिए इस समय बनाये

* बाजार जोखिम : बाजार जोखिम वह जोखिम होती है, जो आस्तियों या देयताओं की एक संपूर्ण श्रेणी के लिए आम होती है । निवेशों के मूल्य में किसी दिये हुए समय में गिरावट आ सकती है, जो इसलिए होता है कि आर्थिक परिवर्तन या अन्य घटनाएँ बाजार के बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकती हैं । आस्ति आबंटन और विविधीकरण से बाजार जोखिम के विरुद्ध रक्षा हो सकती है, क्योंकि बाजार के भिन्न-भिन्न हिस्से भिन्न-भिन्न समयों में न्यून निष्पादन करते हैं । बाजार जोखिम को प्रणालीगत जोखिम के रूप में भी जाना जाता है ।

रखे जाने वाला 2.5% का अतिरिक्त जोखिम भार उक्त तिथि से या उससे पूर्व किसी तिथि से, जब बैंक विक्रय के लिए उपलब्ध कोटि में धारित प्रतिभूतियों के संबंध में बाजार जोखिम के लिए पूँजी का प्रावधान करता है, अपेक्षित नहीं होगा।

कुल आस्तियों पर प्रतिलाभ : कर पश्चात् लाभ ÷ कुल आस्तियाँ X 100

इक्विटी पर प्रतिलाभ : कर पश्चात् लाभ ÷ कुल पूँजी और आरक्षित निधियाँ X 100

लागत/आय अनुपात : परिचालन व्यय ÷ (कुल आय - ब्याज व्यय) X 100

परिचालन व्यय : कुल व्यय - ब्याज व्यय

निवल ब्याज आय : ब्याज कर से घटाकर ब्याज आय - ब्याज व्यय

बैंक समूह : बैंकों को मोटे तौर पर निम्नलिखित कोटियों में बाँटा जा सकता है :

i. सरकारी क्षेत्र के बैंक, जिनमें निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं :

क. राष्ट्रीयकृत बैंक : 14 बैंकों को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अधीन राष्ट्रीयकृत किया गया था । पुनः, 1980 में छह तद्नुकूल नये बैंकों को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 के अधीन राष्ट्रीयकृत किया गया। राष्ट्रीयकरण के पूर्व ये बैंक निजी क्षेत्र में थे । इन बैंकों में भारत सरकार का न्यूनतम शेयरधारण 51 प्रतिशत है। आइडीबीआइ ने अक्तूबर 2004 से स्वयं को बैंक में परिवर्तित कर लिया । इसे 'अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंक' के रूप में शामिल किया गया ।

ख. भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंक (एसबीआई ग्रुप): भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की स्थापना भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन की गयी थी और इसने 1921 में स्थापित इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के उपक्रम का अधिग्रहण किया। एसबीआई के 7 सहयोगी बैंक हैं, जिनकी स्थापना भारत में पहले के कुछ रजवाड़ों के बैंकिंग उपक्रमों का अधिग्रहण करते हुए भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 के अधीन की गयी थी।

ii. निजी क्षेत्र के बैंक, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क. *निजी क्षेत्र के पुराने बैंक* : ये वे बैंक हैं, जो 1993 में निजी बैंकों के प्रवेश के लिए जारी किये गये नये दिशानिर्देशों के पहले निजी क्षेत्र में मौजूद थे । ये बैंक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं

ख. *निजी क्षेत्र के नये बैंक :* ये वे बैंक हैं, जो 1993 में नये दिशानिर्देशों के अंतर्गत, जिसमें अपेक्षाकृत कठोर प्रवेश विन्दु मानदंडों को लागू किया गया था, स्थापित किये गये थे ।

iii. विदेशी बैंक : ये बैंक केवल शाखाओं के माध्यम से परिचालन करते हैं । भारतीय बैंकों के लिए जो ''टेस्ट्स ऑफ एंट्री'' लागू हैं, वही विदेशी बैंकों की शाखाओं पर लागू होते हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात पर जोर देता है कि उनके देश के विनियामक की पूर्व सहमति प्राप्त की जाये और यह सुनिश्चित करता है कि उनके देश का कानून भारत में निगमित बैंकों के संबंध में कोई भेद-भाव नहीं करता है ।

iv. स्थानीय क्षेत्र बैंक : स्थानीय क्षेत्र बैंकों को स्थानीय लोगों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके परिचालन क्षेत्र में कुशल एवं

प्रतियोगी वित्तीय मध्यस्थता प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। इन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाता है और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत लाइसेंस दिया जाता है और वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किये जाने के लिए पात्र होंगे। ऐसे बैंक के लिए न्यूनतम चुकता पूँजी 5 करोड़ रुपये होगी। ऐसे बैंक के लिए प्रवर्तक का अंशदान कम से कम 2 करोड़ रुपये होगा। प्रस्तावित बैंक का परिचालन क्षेत्र भौगोलिक रूप से आपस में सटे हुए अधिकतम तीन जिले होंगे।

2.1.4.3 ब्याज दरों और ऋण के क्षेत्रीय अभिनियोजन के संबंध में सांख्यिकी

2.1.4.3.1. ब्याज दरों के संबंध में आँकड़े

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जमाराशियों पर दिये गये / ऋण पर प्रभारित ब्याज दरों के संबंध में आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के मौद्रिक नीति विभाग द्वारा नियमित आधार पर संगृहीत किये जाते हैं । अनेक कारणों से ब्याज दरों के संबंध में आँकड़े रिज़र्व बैंक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं । उदाहरण के लिए ब्याज दरों का बड़ा प्रभाव बैंक जमा और ऋण की मांग और पूर्ति पर, बचत/ निवेश की प्रवृत्ति पर होता है, जो आउटपुट, कीमतों, आदि से निकट संबंध रखते हैं।

2.1.4.3.1.2. मापन संबंधी आवश्यकताएँ, अवधारणाएँ, परिभाषाएँ और वर्गीकरण

2.1.4.3.1.2.1. ऋण

ब्याज दरों के अविनियमन और बैंकों को अधिक परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने की ओर उठाये गये कदम के रूप में 2 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमा वाले अग्रिमों पर अक्तूबर 1994 में मूल उधार दर (पीएलआर) लागू की गयी । तब से बैंकों द्वारा पीएलआर के परिचालन से संबंधित मानदंडों को युक्तियुक्त बनाया गया गया था। बैंकों को अप्रैल 1999 में यह स्वतंत्रता दी गयी कि वे अधिकतम फैलाव के साथ अपनी स्वयं की पीएलआर घोषित करें, बैकों को स्वतंत्रता दी गयी कि वे अवधि से संबद्ध पीएलआर प्रदान करें। अप्रैल 2001 में मौद्रिक और ऋण नीति की घोषणा किये जाने तक पीएलआर ने 2 लाख रुपये तक की ऋण सीमा (उपभोक्ता ऋण से भिन्न) के लिए अधिकतम दर के रूप में कार्य किया और 2 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए न्यूनतम ऋण सीमा के रूप में कार्य किया । अप्रैल 2001 की मौद्रिक और ऋण नीति में पीएलआर को बैंकों के लिए संदर्भ या बेंचमार्क दर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जिससे बैंकों को अनुमति मिली कि वे निर्यातकों या अन्य उधार-पात्र उधारकर्ताओं, जिनमें सार्वजनिक उद्यम शामिल थे, को उप-पीएलआर दरों पर ऋण प्रदान करें, जो उनके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ नीति के अनुरूप हो । फिर भी, 2 लाख रुपये तक के ऋण के लिए पीएलआर के अधिकतम सीमा के रूप में माने जाने की प्रथा जारी रही, जो भारत में ऋण बाजार की प्रचलित स्थिति और लघु उधारकर्ताओं के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराते रहने की आवश्यकता के अनुरूप थी ।

पीएलआर मानदंडों में परिवर्तन के साथ रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के पीएलआर की प्रवृत्ति पर और उधार दरों की वास्तविक प्रवृत्ति पर भी निगरानी रखता है। इसके प्रयोजनार्थ पीएलआर के संबंध में सूचना प्रणाली को आशोधित किया गया, ताकि पीएलआर और न्यूनतम एवं अधिकतम उधार दर से संबंधित जानकारी संगृहीत की जा सके तथा पीएलआर पर, उसके नीचे और उसके ऊपर बकाया ऋण के अंश का भी पता लग सके, ताकि पीएलआर की तुलना में भारत में उधार दरों की वास्तविक प्रवृत्ति पर निगरानी रखने में सुविधा हो ।

रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2002 में वर्ष 2002-03 के लिए घोषित मौद्रिक और ऋण नीति में बैंकों द्वारा अग्रिमों पर प्रभारित अधिकतम और न्यूनतम ब्याज दरों का संग्रह करने और उसे सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रकाशित करने का अपना आशय प्रकट किया, ताकि उसके संबंध में पारदर्शिता बढ़े । तदनुसार, रिज़र्व बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से वास्तविक उधार दरों की जानकारी प्राप्त करता है ।

2.1.4.3.1.2.2 जमाराशियाँ

बैंकों को 1 अक्तूबर 1995 से 2 वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली जमाराशियों पर अपनी ब्याज दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गयी । 2 जुलाई 1996 से 1 वर्ष से अधिक की जमाराशियों के लिए ब्याज दरें मुक्त कर दी गयीं और न्यूनतम परिपक्वता अवधि 46 दिनों से घटाकर 30 दिनों की कर दी गयी । 22 अक्तूबर 1997 से बैंकों को 30 दिनों और उससे अधिक की मीयादी जमाराशियों पर अपनी ब्याज दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गयी । रिज़र्व बैंक ने अपने मौद्रिक एवं ऋण नीति वक्तव्य, 2002-03 में बैंकों को इसके लिए भी प्रोत्साहित किया कि वे जमाराशियों के लिए लचीली ब्याज दर प्रणाली लागू करें, जिसमें ब्याज दरें छह महीने के अंतराल पर पुनर्निर्धारित की जायें और उसके साथ-साथ जमाकर्ताओं को नियत दर का विकल्प भी प्राप्त हो । बैंकों को 1 नवंबर 2004 से अनुमति दी गयी कि वे फुटकर घरेलू मीयादी जमाराशियों (15 लाख रुपये के भीतर) की न्यूनतम अवधि को 15 दिनों से घटाकर 7 दिनों की कर सकते हैं ।

2.1.4.3.1.3. स्रोत और प्रणालियाँ

भिन्न-भिन्न प्रकार की जमाराशियों और ऋण के संबंध में ब्याज दरों के आँकड़े एससीबी से पूर्व परिभाषित फार्मैट में पाक्षिक/मासिक/तिमाही आधार पर संगृहीत किये जाते हैं। जमाराशियों के लिए वर्गीकरण घरेलू जमाराशियों, एनआरई और एनआरएनआर जमाराशियों पर आधारित होता है और परिपक्वता अवधिवार होता है। ऋण के संबंध में तिमाही आँकड़ों के मामले में प्रमुख खाता प्रकार होते हैं कैश क्रेडिट, मांग ऋण और परिपक्वता अवधिवार विवरण वाले मीयादी ऋण खाते । इनमें से प्रत्येक कोटि के लिए आंकड़ों में पीएलआर, प्रभारित न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दरें (चरम मूल्य को छोड़कर), ब्याज दर की वह सीमा, जिस पर 60 प्रतिशत या अधिक के कारोबार के लिए संविदा की जाती है और पीएलआर से कम, पीएलआर पर और पीएलआर* से अधिक पर बकाया राशि शामिल होते हैं । निर्यात ऋण (रुपये में) के संबंध में आँकड़े पोतलदानपूर्ण और पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण के लिए संगृहीत किये जाते हैं, जिन्हें पुनः निर्यात ऋण मानदंडों के अनुसार अवधि के हिसाब से वर्गीकृत किया जाता है ।

विविध अवधियों वाली मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें जानी जा सकती हैं, जिनसे बैंकों के समूह के अनुसार ब्याज दर सीमा का पता किया जा सकता है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों द्वारा विविध परिपक्वता वाली जमाराशियों पर दी गयी जमा ब्याज दरों के संबंध में मासिक आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के विविध प्रकाशनों में प्रकाशित

* बीपीएलआर : बैंक इस बात के लिए स्वतंत्र है कि अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से 2 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमा के लिए बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) निर्धारित करें । बीपीएलआर की घोषणा की जानी होती है और इसे सभी शाखाओं पर एक समान रूप से लागू किया जाना होता है । बैंक अपनी आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) को प्राधिकृत कर सकते हैं कि वह जमाराशियों और अग्रिमों पर ब्याज दरें नियत करे, लेकिन शर्त यह है कि उसके ठीक बाद उसे निदेशक मंडल को रिपोर्ट करना है । बैंकों को एएलसीओ/निदेशक मंडल के अनुमोदन से अग्रिमों के लिए बीपीएलआर पर अधिकतम फैलाव की भी घोषणा करनी चाहिए।

उप-बीपीएलआर :पीएलआर का अधोमुखी लचीलापन हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए महत्वपूर्ण नीति संबंधी मुद्दे के रूप में उभरा है, खासकर छोटे एवं मझोले उधारकर्ताओं को उचित लागत पर ऋण वितरण के संबंध में । उप-पीएलआर उधार ने कंपनियों को स्टाम्प शुल्क, अभौतिकीकरण लागत या जारीकर्ता/अदाकर्ता एजेंटों को फीस भुगतान के लिए कोई अतिरिक्त खर्च किये बिना बैंकों से प्रतियोगी दरों पर निधियाँ जुटाने में समर्थ बनाया है। बीपीएलआर बैंक ऋण के कीमत निर्धारण में अधिक पारदर्शिता दिखाने के लिए लागू किया गया था । तथापि, उप पीएलआर उधार के साथ न्यूनतम और अधिकतम उधार दरों के बीच फैलाव महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ा है ।

किये जाते हैं, यथा वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति के संबंध में रिपोर्ट, समष्टि आर्थिक एवं मौद्रिक गतिविधियाँ, आदि ।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की तिमाही उधार दरों के आँकड़े जून 2002 में समाप्त तिमाही से भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं । निर्यात ऋण से भिन्न 2 लाख रुपये और उससे अधिक की ऋण सीमा वाले ऋण की वास्तविक उधार दरों की सीमा के संबंध में बैंक समूहवार समेकित स्थिति; निर्यात ऋण से भिन्न 1 लाख रुपये और उससे अधिक की ऋण सीमा वाली ऋणों पर मध्य ब्याज दरों की बैंक समूहवार सीमा; बैंक समूहवार वास्तविक उधार दरों की सीमा; निर्यात ऋण पर बैंक समूहवार मध्य ब्याज दरें; अलग-अलग बैंकों की निर्यात ऋण और मांग और मीयादी ऋणों के अंतर्गत 2 लाख रुपये और अधिक की ऋण सीमा वाले अन्य ऋण पर उधार दरों के संबंध में भी आँकड़े उपलब्ध हैं ।

2.1.4.3.1.4. गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करना

उत्तम गुणवत्ता वाले आँकड़े किसी सूचित निर्णयन प्रक्रिया के लिए एक पूर्वापेक्षा होते हैं। आँकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त प्रणाली लागू है ।

2.1.4.3.2. ऋण का क्षेत्रीय अभिनियोजन

अर्थव्यवस्था के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों, यथा, कृषि, उद्योग, आदि को सकल बैंक ऋण की उपलब्धता के संबंध में सांख्यिकी का संग्रह और संकलन बीएसआर1 विवरणी के माध्यम से वार्षिक आधार पर किया जाता है। नीति निर्माण के संदर्भ में ऐसी जानकारी और कम अंतरालों पर न्यूनतम समयांतर के साथ उपलब्ध होने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक नीति विभाग चुनिंदा बैंकों से बीएसआर प्रणाली के माध्यम से संगृहीत वार्षिक आँकड़ों के अतिरिक्त मासिक आधार पर अनंतिम जानकारी संगृहीत करता है । ऐसी जानकारी से विविध क्षेत्रों और उद्योगों को बैंक ऋण की उपलब्धता में उतार चढ़ाव का संकेत मिलता है और यह विश्लेषण के लिए निविष्टियाँ प्रदान करती है । आँकड़े पर आधारित समेकित जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक के विविध प्रकाशनों में प्रकाशित की जाती है ।

2.1.4.3.2.1. क्षेत्र की मापन संबंधी आवश्यकताएँ

अर्थव्यवस्था के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों को बैंक ऋण की उपलब्धता के संबंध में आँकड़े ऋण प्रवाह की दिशा, संविभाग परिवर्तन, अन्य स्थूल आर्थिक चर वस्तुओं से सहबद्धता और नीति निर्माण के लिए निविष्टियाँ प्रदान करने के लिए उपयोगी होते हैं । ये आँकड़े अनुसंधानकर्ताओं के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं ।

2.1.4.3.2.2.अवधारणाएँ, परिभाषाएँ और वर्गीकरण

सकल बैंक ऋण की व्यापक अवधारणा वही है, जैसाकि बीएसआर में है। अवधारणाएँ और वर्गीकरण मोटे तौर पर बीएसआर/एनआईसी की अवधारणा और वर्गीकरण के संरेखण में होती हैं, सिवाय निर्माण क्षेत्र को दिये गये ऋणों के। इसके अतिरिक्त, ये आँकड़े वैयक्तिक ऋणों के और ब्यौरे देते हैं ।ये आँकड़े कुल खाद्येतर सकल बैंक ऋण के लिए संगृहीत किये जाते हैं, जो चार प्रमुख क्षेत्रों, यथा, कृषि, उद्योग, सेवाएँ और वैयक्तिक ऋण, में विभाजित किये जाते हैं और इनका पुनः वर्गीकरण चुनिंदा उप क्षेत्रों और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को ऋण के संबंध में किया जाता है। औद्योगिक वर्गीकरण में मूलभूत सुविधा क्षेत्र सहित प्रमुख उद्योगों के संबंध में आँकड़े शामिल किये जाते हैं। ऋण के क्षेत्रीय अभिनियोजन के संबंध में आँकड़ों का वर्गीकरण समय-समय पर बदलता रहा है, जिसके साथ ऋण के क्षेत्रीय अभिनियोजन में संरचनात्मक बदलाव आया है । इस वर्गीकरण के कुछ लक्षण नीचे दिये गये हैं :

क. *कृषि* : इसमें कृषि को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऋण शामिल होता है ।

ख. *उद्योग* : विनिर्माण क्षेत्र को दिया गया ऋण । इसमें खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, पेट्रोलियम, रसायन, सीमेंट, धातु, इंजीनियरी, वाहन, रत्न एवं आभूषण, निर्माण और मूलभूत सुविधा उद्योगों को दिये गये ऋण शामिल होते हैं ।

ग. *सेवाएँ* : इसमें परिवहन परिचालकों (जल परिवहन को छोड़कर), कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पर्यटन, होटल और रेस्तराँ, नौवहन (जल परिवहन), व्यावसायिक और अन्य सेवाओं, आदि को दिया गया ऋण शामिल है । स्थावर संपदा के लिए ऋण में उन व्यक्तियों/फर्मों को दिये गये ऋण शामिल हैं, जो स्थावर संपदा कार्यकलापों के विकास में लगे हों (जैसेकि स्थावर संपदा की खरीद/बिक्री/पट्टा, आदि के प्रयोजनार्थ रिहाइशी/वाणिज्यिक भवनों/कंप्लेक्सों को तैयार करना, भूमि विकास, आदि) ।

घ. *वैयक्तिक ऋण* : इसमें व्यक्तियों को अपने उपभोग के प्रयोजन के लिए दिया गया ऋण; व्यक्तियों को उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ, रिहाइशी मकान खरीदने के लिए, शिक्षा के लिए ऋण, सावधि जमा या शेयरों/डिबेंचरों की जमानत पर दिया गया वैयक्तिक ऋण; क्रेडिट कार्ड बकाया, आदि शामिल होते हैं । व्यक्तियों को कारोबारी ऋण के रूप में दिया गया ऋण वैयक्तिक ऋण में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन उसे संबंधित कारोबारी कार्यकलाप (उद्योग/सेवा) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है ।

ङ. *प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र* : प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत दिये गये ऋणों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर दी गई वर्तमान परिभाषा के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र मानदंडों के अंतर्गत कृषि, लघु उद्योग, आवास, परिवहन परिचालकों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए ऋण के ब्यौरे अलग से दर्शाये जाने होते हैं ।

सभी रिपोर्टिंग बैंकों के लिए कुल आँकड़े क्षेत्रीय वर्गीकरण के लिए प्रकाशित किये जाते हैं ।

2.1.4.3.2.3. *स्रोत और प्रणालियाँ*

चुनिंदा बैंकों से माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण के संबंध में आँकड़े पूर्व-परिभाषित विनिर्दिष्ट फार्मेट में मासिक आधार संगृहीत किये जाते हैं । बैंकों का चयन उनके कारोबार के आकार के आधार पर किया जाता है और इसमें सरकारी क्षेत्र के बैंक, चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक शामिल किये जाते हैं । बड़े कारोबार वाले बैंकों को नमूने में शामिल किया जाता है, ताकि सभी चुनिंदा बैंकों के कुल खाद्येतर सकल बैंक ऋण में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक के कुल खाद्येतर सकल बैंक ऋण का 90 प्रतिशत से अधिक समाविष्ट हो । विवरणियाँ मुद्रित रूप में ई-मेल के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं । ऐसी योजना है कि ये आँकड़े बैंकों से ऑनलाइन प्राप्त किये जायें ।

2.1.4.3.2.4. *गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करना*

उत्तम गुणवत्ता वाले आँकड़े किसी प्रामाणिक निर्णयन प्रक्रिया के लिए एक पूर्वापेक्षा होते हैं। आँकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त प्रणाली अपने स्थान पर है । आँकड़ों की गुणवत्ता सुधारने के लिए, इसकी व्याप्ति भी समय-समय पर विस्तारित की जाती है। आँकड़ों के वर्गीकरण और बैंकों को उनमें शामिल करने के संबंध में ऐसा अंतिम संशोधन सितंबर 2005 से प्रभावी है ।

2.2 सहकारी बैंकों के संबंध में सांख्यिकी

भारत में सहकारिता आंदोलन किसानों की चिरकालिक ऋणग्रस्तता और साहूकारों की सूदखोरी

से बदहाल हो गयी ग्रामीण निर्धनता के विरुद्ध उपाय के रूप में आरंभ किया गया । 1875 में दक्कन में साहूकारों के विरुद्ध भूमि संबंधी उपद्रवों के चलते सरकार द्वारा तकावी कानून बनाये जाने की आवश्यकता हुई और इसने सहकारिता दृष्टिकोण की अवधारणा की भी अगुआई की । उत्तर भारत तकावी ऋण अधिनियम, 1875, भूमि सुधार ऋण अधिनियम, 1883, कृषक ऋण अधिनियम, 1884, आदि का अधिनियमन किसानों को ऋण उपलब्धता में सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया । 1892 में सर फ्रेडरिक निकोलसन ने जर्मन पैटर्न पर ग्रामीण सहकारी ऋण समितियों की स्थापना की सिफारिश की । दुर्भिक्ष आयोग (1901) ने देश में सहकारी संस्थाओं को प्रवेश कराने की सिफारिश की । 1904 में सहकारी ऋण समितियाँ अधिनियम इंपीरियल गवर्नमेंट द्वारा अधिनियमित किया गया, ताकि क्रेडिट को-ऑपरेटिवों के संगठन में सुविधा हो और उन्हें विशेष अधिकार और सुविधाएँ प्रदान की जायें । इसका क्षेत्र विस्तार बाद में 1912 के और अधिक व्यापक सहकारी समिति अधिनियम द्वारा और बढ़ाया गया । गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1919 के अंतर्गत सहकारिता का विषय तत्कालीन प्रांतों को अंतरित कर दिया गया और उन्हें प्राधिकृत किया गया कि वे अपना सहकारिता कानून स्वयं बनायें । गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1935 के अंतर्गत सहकारिता प्रांतीय विषय बनी रही। उन सहकारी समितियों के परिचालन का नियंत्रण करने के लिए, जिनके सदस्य एक से अधिक राज्यों में थे, भारत सरकार ने मल्टीयूनिट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1942 को अधिनियमित किया, जिसे बाद में संघ सूची की प्रविष्टि 44 के अंतर्गत मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

समितियाँ इस स्थिति में नहीं थीं कि किसानों को ऋण दे सकें, ताकि किसान अपने पिछले कर्ज को चुका सकें, अपनी जमीन और अन्य आस्तियाँ सूदखोर साहूकारों से छुड़ा सकें। सहकारी समितियों के ऋण इतने काफी नहीं थे कि किसान अपनी भूमि को सुधार सकें और आमदनी बढ़ा सकें। यह महसूस किया गया कि किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दीर्घावधि (एलटी) ऋण अलग संस्थाओं के सेट द्वारा दिलाया जा सकता है। इस आवश्यकता को महसूस किये जाने के बाद सहकारी भूमि बंधक बैंकों (एलएमबी) की स्थापना 1920 के दशक के आरंभ में की गयी। पहला सहकारी एलएमबी पंजाब में 1920 में स्थापित किया गया और उसके बाद दो और एलएमबी मद्रास प्रेसिडेंसी में 1925 में स्थापित किये गये ।

बाद में, अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति (एआइआरसीएससी) ने सिफारिश की कि एक अलग संस्था स्थापित की जाये, जो एलएमबी को ऐसा साधन स्रोत उपलब्ध करा सके, जिससे वह किसानों को कृषि के विकास के लिए दीर्घावधि उधार दे सकें । इस सिफारिश के आधार पर 1963 में कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना की गयी और एलटी के ढाँचे में तेजी से विस्तार हुआ और वह भूमि 'बंधक' बैंक से बदल कर भूमि 'विकास' बैंक (एलडीबी) कर दिया गया ।

2.2.1. सहकारी बैंकों की संरचना

सहकारी बैंकों की संरचना दो अलग-अलग रूपों, यथा, अल्पावधि संस्थाओं (उत्पादन ऋण प्रदान करने के लिए) और दीर्घावधि संस्थाओं (निवेश ऋण प्रदान करने के लिए) में की जाती है । अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना के मूल में प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पीएसीएस) होती हैं । दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना में प्राथमिक कृषि और ग्रामीण विकास बैंक समाविष्ट होते हैं । अधार स्तर वाली ये संस्थाएँ उच्चतर वित्तपोषण संस्थाओं से प्राप्त निधियों का

उपयोग करते हुए गाँवों की जरूरतों को पूरा करती हैं।

अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना में 31 राज्य सहकारी बैंक (एससीबी), 367 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) और 1,05,735 प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ 31 मार्च 2005 को थीं । दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना में 20 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) (8 यूनिटरी और 12 फेडरल/मिश्रित संरचना) और 727 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) 31 मार्च 2005 को थे।

2.2.2. आँकड़ों का प्रसार

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) भारत[1] में सहकारी संस्थाओं के संबंध में आँकड़ों का प्रमुख स्रोत होता है । सहकारिता आंदोलन के संबंध में आँकड़ों के अतिरिक्त नाबार्ड चार नियमित प्रकाशन निकालता है । इन प्रकाशनों की शीर्षकवार विषय सूची पर नीचे चर्चा की गयी है :

डॉसियर ऑन को-ऑपरेटिव्स : इस प्रकाशन में सहकारी ऋण संरचना, यथा, अल्पावधि और दीर्घावधि, के संबंध में आँकड़े वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किये जाते हैं। एससीबी, डीसीसीबी और एससीएआरडीबी तथा पीसीएआरडीबी के बारे में समेकित जानकारी विविध पैरामीटरों, यथा, संसाधन, निवेश, कल्याण कार्यों में सहभागिता, वसूली, प्रबंधन, लाभप्रदता, आस्तियों के वर्गीकरण, आस्तियों में क्षय, लाभांश देने वाले बैंकों और कारोबार के बाजार अंश के संबंध में भी प्रस्तुत की जाती है ।

ओवरव्यू ऑफ को-ऑपरेटिव्स : यह प्रकाशन नाबार्ड (संस्थागत विकास विभाग (आईडीडी), द्वारा वार्षिक रूप से निकाला जाता है, जो देश में सहकारी ऋण संरचना के कार्य - निष्पादन से संबंधित होता है। कार्य - निष्पादन की समीक्षा पिछले वर्ष के संदर्भ में विविध पैरामीटरों के संबंध में की जाती है ।

फाइनेंशियल पैरामीटर्स एंड फाइनेंशियल रेशियो एनैलिसिस : यह प्रकाशन सहकारी संस्थाओं के कार्य - निष्पादन का विश्लेषणात्मक विहगावलोकन वार्षिक तुलनपत्र जानकारी के आधार पर प्रस्तुत करता है। वित्तीय पैरामीटरों, यथा, वित्तीय प्रतिलाभ, वित्तीय लागत, वित्तीय मार्जिन, प्रबंधन खर्च, परिचालन मार्जिन, जोखिम लागत, विविध आय, और निवल मार्जिन, आदि के संबंध में विविध महत्वपूर्ण अनुपातों का विश्लेषण किया जाता है । इसके अतिरिक्त, ऋण-जमा अनुपात, वसूली और बकाया ऋणों में अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का अनुपात भी प्रस्तुत किया जाता है ।

ऊपर उल्लिखित प्रकाशनों के लिए जानकारी का प्रमुख स्रोत तुलनपत्र (वित्तीय वर्ष के अंत में, अर्थात् 31 मार्च को) होता है। कभी-कभी लेखापरीक्षा नहीं किये गये आँकड़ों पर भी विचार किया जाता है । जानकारी/ब्यौरे नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निर्धारित फर्मैट में एससीबी/एससीएआरडीबी से प्राप्त किये जाते हैं । क्षेत्रीय कार्यालय जानकारी का समेकन अलग से एसटी/एलटी संरचना के हिसाब से करते हैं और उसके बाद प्रधान कार्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर समेकन के लिए भेज देते हैं । ऋण की मांग, वसूली और जमाशेष (डीसीबी) के ब्यौरे देते हुए वसूली स्थिति प्रत्येक वर्ष 30 जून के अंत में एकत्र की जाती है । डीसीबी की गणना प्रत्येक संस्था के लिए और किसी राज्य के लिए विशिष्ट संरचना में संस्थाओं की समेकित स्थिति की भी गणना की जाती है । क्षेत्रीय कार्यालय इन ब्यौरों का संकलन लेखापरीक्षित आँकड़ों के आधार पर करते हैं और यदि ब्यौरों की लेखापरीक्षा नहीं हुई हो तो

[1] तथापि, शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में आँकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने प्रमुख प्रकाशनों में प्रसारित किये जाते हैं ।

इसके बारे में विशेष रूप से बता दिया जाता है, ताकि ऐसे ब्यौरों की जाँच लेखापरीक्षित आँकड़ों से की जा सके और बाद में वैधीकरण के समय उसमें सुधार किया जा सके। ग्राहक संस्थाएँ, यथा, एससीबी, डीसीसीबी, एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी को सूचित किया जाता है कि वे आँकड़ा संकलन का विषय अपने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी शामिल करें ।

स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू को-ऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया : यह प्रकाशन दो भागों में निकाला जाता है । - भाग I का संबंध ऋण समितियों (एससीबी,सीसीबी, आईसीबी, पीएसीएस, जीबी, पीसीबी, पीएनएसीएस, एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी) से होता है और भाग II का संबंध ऋणेतर समितियों, सभी विपणन समितियों, सभी प्रसंस्करण समितियों, खेती, मत्स्यपालन, बुनकर, आवास, उपभोक्ता सहकारी भंडार, वन-श्रमिक, अन्य औद्योगिक समितियों, आदि से होता है । प्रकाशन की विषय सूची में सांख्यिकीय आँकड़े, यथा, संख्या, सदस्य संख्या, देयता, आस्तियाँ, परिचालन, आदि शामिल होते हैं, जो ऋण और ऋणेतर संस्थाओं, दोनों के संबंध में किसी खास वर्ष के लिए संबंधित सहकारी समितियों के लेखापरीक्षित तुलनपत्र और लाभ हानि लेखा पर आधारित होते हैं। प्रकाशन के लिए आँकड़ों के स्रोत एससीबी,सीसीबी, आईसीबी, एससीएआरडीबी, आरसीएस, आदि ऋण सहकारी समितियों के लिए और आरसीएस और कार्यकारी निबंधक ऋणेतर सहकारी संस्थाओं के लिए होते हैं ।

विवरणों के संकलन से संबंधित कार्य प्रारंभ में वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा 1932 से किया जाता था और उसे प्रकाशन प्रबंधक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया जाता था । बाद में उन्होंने यह कार्य मार्च 1942 में भारतीय रिजर्व बैंक को सौंप दिया, जो 1940-41 के अंक से लागू हुआ, क्योंकि उनका विचार था कि रिज़र्व बैंक का कृषि ऋण विभाग देश में सहकारी आंदोलन के निकट संपर्क में रहने के कारण यह कार्य करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त था, खासकर इसलिए कि अपने सामान्य कार्य के क्रम में यह पहले से ही विविध श्रेणी की सहकारी समितियों की कार्यपद्धति से संबंधित आँकड़े सांख्यिकीय या अन्य दृष्टि से संगृहीत कर रहा था और उसे यह कार्य सौंपे जाने से काफी दोहरा कार्य करने से बचा जा सकता था। सहकारी ऋण संरचना के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का विनियामक कार्य नाबार्ड को अंतरित कर दिये जाने के फलस्वरूप यह कार्य तब 1982 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नाबार्ड को अंतरित कर दिया गया ।

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कृषि और सहकारिता विभाग सहकारी संस्थाओं के विकास और देश में सहकारिता आंदोलन का एक समान फैलाव सुनिश्चित करने से संबंध रखता है । सहकारी संस्थाओं की गतिविधियों के बारे में समझदारी रखना और विविध सहकारी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी को एक ही स्थान पर संकलित किये जाने की बात कही गयी । ये विवरण भारत सरकार के लिए और भारतीय रिजर्व बैंक के लिए नीति-निर्माण में डाटाबेस के रूप में और आंतरिक उपयोग एवं अन्य प्रकाशनों के लिए स्रोत सामग्री के रूप में कार्य करते हैं । प्रकाशन का क्षेत्र-विस्तार दीर्घ कालावधि में देश में सहकारिता आंदोलन के अंतर्गत कार्यकलापों के विविधीकरण के साथ बढ़ा है ।

कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक स्थायी समिति, जिसे ''रिव्यू कमिटी ऑन को-ऑपरेटिव स्टैटिस्टिक्स - को-ऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया'' के रूप में जाना जाता है, को सांख्यिकीय आँकड़ों के संग्रहण की प्रणाली को युक्तियुक्त बनाने और उनके शीघ्र संग्रहण और प्रकाशन के लिए अर्थोपाय का सुझाव देने का दायित्व सौंपा गया।

1942-43 की अवधि तक प्रकाशन में ब्रिटिश भारत में सहकारिता आंदोलन से संबंधित सांख्यिकी शामिल की जाती थी और केवल नौ भारतीय राज्यों को प्रकाशन में शामिल किया जाता था । बाद में, 1943-44 की अवधि में उन सभी राज्यों को , जहाँ कम से कम एक सौ और उससे अधिक सहकारी सहकारी संगठन विद्यमान थे, भी प्रकाशन में शामिल किया गया । भारत सरकार ने सांख्यिकी को और अधिक व्यापक बनाने के लिए फार्मों का एक नया सेट अनुमोदित किया और संशोधित फार्म 1949-50 के लिए अपनाये गये । 1949-50 से लागू किये गये कुछ आशोधन निम्नानुसार थे :

क. ऋण और ऋणेतर समितियों - कृषि और कृषीतर, से संबंधित आँकड़े अलग से प्रस्तुत किये जाते थे ।

ख. एक नयी सारणी, जिसमें प्रान्तीय और केंद्रीय ऋणेतर समितियों के परिचालनों को अलग से दर्शाया जाता था, शामिल की गयी ।

ग. अनेक चित्रमय और आलेखीय दृष्टांत तथा एक नजर में दिखने वाले आँकड़े आरंभ किये गये ।

वर्ष 1950-51 और उसके बाद के प्रकाशन से भारत संघ के सभी घटक राज्यों के लिए सांख्यिकीय आँकड़े उपलब्ध होते थे और जिस अवधि से आँकड़े संबंधित होते थे, उसमें एकरूपता होती थी, अर्थात् जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के संबंध में सांख्यिकीय विवरण एक समान अवधि, यथा 30 जून को समाप्त वर्ष, से संबंध रखते थे ।

1955-56 और उसके बाद प्रकाशन में कुछ अतिरिक्त लक्षण, यथा, विपणन समितियों से संबंधित आँकड़े, अलग से जोड़े गये और और तीन नयी सारांश सारणियाँ, जो 1951-56 की पंचवर्षीय अवधि के दौरान पीएसीएस, डीसीसीबी और एससीबी की प्रगति दिखाती थीं, दी गयीं ।

वर्ष 1995 में सांख्यिकीय विवरणों की संरचना और अंतर्वस्तुओं की समीक्षा भारत सरकार द्वारा गठित सहकारिता सांख्यिकी के संबंध में समीक्षा समिति द्वारा की गयी और उनकी दुबारा रूपरेखा बनायी गयी । ऋण और ऋणेतर सहकारी संस्थाओं के आँकड़ों के संग्रहण के लिए निविष्टि फार्मैटों की संख्या पूर्व में एक सौ (100) थी, जिसमें संशोधन करते हुए अनुलिपि फार्मैटों को तत्समान फार्मैटों में मिलाया गया, व्यापक रूप से प्रयोग में नहीं आने वाले फार्मैटों को हटाया गया और फालतू मदों को छोड़ते हुए फार्मैटों की संख्या इक्यावन कर दी गयी । निम्नलिखित नयी मदें फार्मैट में जोड़ी गयीं, ताकि वे सहकारी संस्थाओं की वर्तमान संरचना में अपेक्षाओं को पूरा कर सकें ।

क. अचल आस्तियों, मूल्यह्रास और अन्य संबंधित जानकारी का मूल्यांकन करने के लिए भूमि, भवन और मशीनों के संबंध में निविष्टि मदें जोड़ी गयीं।

ख. सदस्यता के विश्लेषित विवरण, जैसेकि अ.जा., अ.ज.जा. और महिलाएँ, के संबंध में मदें जोड़ी गयीं ।

ग. ऋण समितियों के फार्मैटों में, डिबेंचरों के संबंध में मदें जोड़ी गयीं ।

घ. ऋणेतर क्षेत्र के फार्मैटों में औद्योगिक को-ऑपरेटिव, प्रसंस्करण समितियाँ, बुनकर समितियाँ, फिशरीज को-ऑपरेटिव, आदि के अंतर्गत अनेक नयी श्रेणी की समितियाँ जोड़ी गयीं ।

ङ. रिपोर्टिंग की अवधि जून-अंत से बदल कर मार्च-अंत (अर्थात् वित्तीय) वर्ष कर दी गयी है ।

प्रकाशन के भाग I और भाग II की व्यापक विषय-सूची अनुबंध 2.13 में दी गयी है । प्रकाशन में गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है और इसके प्रयोजनार्थ निम्नलिखित कदम उठाये जाते हैं:

i. राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षित आँकड़ों के आधार पर आँकड़ों का संकलन ।

ii. सांख्यिकीय विवरणों के संकलन के लिए आँकड़ा देने वाले कार्यालयों/एजेंसियों के अधिकारियों को आंचलिक कार्यशालाओं का आयोजन कर सुग्राही बनाना, ताकि आँकड़ों का परिशुद्ध, पूर्ण और तत्पर प्रस्तुतीकरण हो सके ।

iii. आउटपुट सारणियों की तुलना पिछले वर्ष की सारणियों से करते हुए वैधीकरण । विसंगतियों के मामले में संबंधित एजेंसी से स्पष्टीकरण माँगा जाता है ।

iv. एजेंसियों से प्राप्त वार्षिक रिपोर्ट और तुलनपत्र की तुलना में महत्वपूर्ण आँकड़ों की दुबारा जाँच करते हुए प्रविष्टियों का वैधीकरण ।

2.3. नाबार्ड द्वारा प्रकाशित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में सांख्यिकी

1972 में बैंकिंग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में टिप्पणी की कि वाणिज्यिक बैंकों के नेटवर्क में काफी अधिक विस्तार होने के बावजूद इस बात की अभी भी आवश्यकता एवं संभावना होगी कि ग्रामीण निर्धनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक शाखाओं का विशेषीकृत नेटवर्क हो । इसने 1975 तक ''ग्रामीण बैंक'' की अवधारणा की अगुआई की, जब सरकार के 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के भाग के रूप में ग्रामीण ऋणग्रस्तता का उन्मूलन करने के सरकारी प्रयासों के अंतर्गत ग्रामीण साहूकारों के विन्यास को विनियमित किया गया, और ग्रामीण निर्धनों, खास कर लघु और सीमांत किसानों, कारीगरों और कृषि श्रमिकों तक पहुँचने के लिए एक वैकल्पिक संस्थागत तंत्र की अविलंब आवश्यकता महसूस की गयी । परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने दिनांक 1 जुलाई 1975 की अपनी अधिसूचना द्वारा ग्रामीण बैंकों के संबंध में एक कार्यकारी दल का गठन श्री एम. नरसिंहम की अध्यक्षता में किया ।

कार्यकारी दल ने 31 जुलाई 1975 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और राज्य प्रायोजित, क्षेत्र-आधारित, ग्रामोन्मुख वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना किये जाने की सिफारिश की, जिसमें ग्रामीण स्पर्श, स्थानीय अनुभूति, ग्रामीण समस्याओं से परिचय और व्यावसायिक अनुशासन के साथ कम लागत वाली प्रोफाइल होती, जमाराशियों के संग्रहण की योग्यता होती और केंद्रीय मुद्रा बाजारों तक पहुँच होती तथा ग्रामीण वाणिज्यिक बैंकों का आधुनिक दृष्टिकोण होता । इस नयी संस्था के लिए देखी गयी भूमिका ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान वित्तीय संस्थाओं के पूरक के रूप में काम करने की थी, न कि उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए । पुनः यह परिकल्पना की गयी कि यह संस्था एक ही क्षेत्र में संसाधनों को जुटाने और साथ-साथ उनका अभिनियोजन करते हुए क्षेत्रीय असंतुलन को घटाने में मददगार होगी । यह दावा किया गया कि ये बैंक मुख्यतः लघु और सीमांत किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गों की उत्पादक ऋण आवश्यकताओं और कुछ हद तक उपभोग ऋण आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे ।

ग्रामीण बैंकों से संबंधित कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति के अध्यादेश के अधीन पहले 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्तूबर 1975 को स्थापित किये गये, जिसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम की उद्घोषणा अप्रैल 1976 में की गयी । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से खासकर यह अपेक्षा की गयी कि वे ग्रामीण समाज के निर्धनतर वर्गों को, जिसे सामान्यतः 'लक्ष्य समूह' के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, ऋण सुविधा प्रदान करने के कार्य को अपने हाथ में लेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मूल उद्देश्य उन ग्रामीण निर्धनों को फसल उत्पादन एवं संबद्ध प्रयोजनों के लिए ऋण सुविधा की व्यवस्था करना था, जिनकी

बहुत सीमित पहुँच उस औपचारिक ऋण प्रणाली तक थी, जो सत्तर के दशक के प्रारंभ में मौजूद थी । इसलिए 1980 तक 85 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये और 31 मार्च 2005 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 थी।

2.3.1. क्षेत्र की मापन संबंधी आवश्यकताएँ

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए नाबार्ड विकास कार्य योजना की तैयारी में सहायक रहा है और संबंधित प्रायोजक बैंकों के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा इसके निष्पादन के लिए प्रतिबद्ध रहा है । नाबार्ड ने 1 अप्रैल 1995 से सांविधिक विवरणों के माध्यम से अपेक्षित आँकड़े और जानकारी संगृहीत करने के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्टों के फार्मैटों में उपयुक्त आशोधन करते हुए एक व्यापक अनुश्रवण एवं समीक्षा तंत्र भी लागू किया ।

2.3.2. अवधारणाएँ, परिभाषाएँ और वर्गीकरण

उपर्युक्त विवरणों के माध्यम से प्राप्त जानकारी पर आधारित निम्नलिखित प्रकाशन नाबार्ड द्वारा परिनियम की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, स्वामियों के उपयोग के लिए और ग्राहकों तथा सभी शेयरधारकों के उपयोग के लिए प्रकाशित किये जाते हैं ।

रिव्यू ऑफ परफारमेंस ऑफ आरआरबी : इस प्रकाशन में धारणीय व्यवहार्यता, वर्तमान व्यवहार्यता और हानि उठाने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य निष्पादन समाविष्ट होते हैं । यह जानकारी दो वर्षों के लिए राज्यवार और प्रायोजक बैंकवार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आँकड़ों के रूप में होती है। इसमें विविध महत्वपूर्ण पैरामीटरों, यथा, जमाराशियाँ, उधार, निवेश, ऋण और अग्रिम और दो वर्षों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लाभ और हानि की स्थिति पर आलेख भी समाविष्ट होते हैं । ये आँकड़े भारत सरकार द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने के लिए उपयोग किये जाते हैं।

की-स्टैटिस्टिक्स ऑफ आरआरबी : इस प्रकाशन में वित्तीय वर्ष के लिए विविध महत्वपूर्ण व्यापक पैरामीटर और वित्तीय अनुपात विश्लेषण होते हैं। यह जानकारी सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से उनकी लेखापरीक्षा का विचार किये बिना प्राप्त किये गये क्विक रिव्यू रिपोर्ट (क्यूआरआर) विवरण से संकलित की जाती है और उसे अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। ये आँकड़े राज्यवार, प्रायोजक बैंकवार और अलग-अलग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में दिये जाते हैं। प्रगति का मूल्यांकन किये जाने के लिए बैंकों की कुछ प्रमुख विशेषताएँ 5 वर्षीय अवधि के लिए दी जाती हैं।

फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ आरआरबी : सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से उनकी वार्षिक रिपोर्टों और लेखापरीक्षित तुलनपत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की आस्ति एवं देयता की स्थिति राज्यवार, प्रायोजक बैंकवार और अलग-अलग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में 2 वर्षों (वर्तमान और पिछला) की अवधि के लिए प्रकाशित की जाती हैं। इसमें विविध वित्तीय अनुपात और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, यथा, एनपीए, सकल एनपीए, निवल एनपीए, ऋण-जमा अनुपात, वसूली प्रतिशत, आदि उसी अवधि के लिए समाविष्ट होती हैं।

स्टैटिस्टिक्स ऑन आरआरबी : इस प्रकाशन में 22 विवरण समाविष्ट होते हैं, जो वित्तीय वर्ष के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य - निष्पादन की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं । विवरणों के ब्यौरे अनुबंध 2.14 में दिये गये हैं।

2.3.3. स्रोत और प्रणालियाँ

जानकारी के स्रोत हैं - क्विक रिव्यू रिपोर्ट (क्यूआरआर), अनुश्रवण एवं समीक्षा तंत्र (एमआरएम) विवरण, मांग वसूली और संतुलन (डीसीबी) विवरण, वित्तीय वर्ष के अंत में, अर्थात् 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बैंकों का लेखापरीक्षित तुलनपत्र और/या वार्षिक रिपोर्ट। आँकड़े लेखापरीक्षित हो सकते हैं या नहीं हो

सकते हैं । जानकारी/ब्यौरे प्रायोजक बैंक के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं और नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संपर्क में रहते हैं, ताकि आँकड़े निर्धारित फर्मैट में प्राप्त हों। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से प्राप्त जानकारी प्रधान कार्यालय स्तर पर संकलित और समेकित की जाती है ।

2.3.4. गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करना

सभी आँकड़ों की जॉच संगति, बड़ी घट-बढ़ के लिए की जाती है ओर उन्हें पर्याप्त स्पष्टीकरण के साथ ही स्वीकार किया जाता है । ये सभी प्रकाशन मार्च 2003 तक मुद्रित रूप में उपलब्ध हैं और मार्च 2004 और उसके बाद के प्रकाशन सीडी में उपलब्ध हैं ।

2.4. शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में जानकारी

शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी), जिन्हें प्राथमिक सहकारी बैंकों के रूप में भी उल्लिखित किया जाता है, देश के शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों की बैंकिंग संबंधी जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं । वे मध्य और निम्न आय वर्ग से बचत का संग्रहण करते हैं और समाज के कमजोर वर्गों सहित लघु उधारकर्ताओं को ऋण दिये जाने का प्रबंध करते हैं, और इस प्रकार वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए इस तंत्र में महत्वपूर्ण खाई को पाटते हैं । भारतीय रिजर्व बैंक के शहरी बैंक विभाग (यूबीडी) में यूसीबी से प्रत्यक्ष निरीक्षण और परोक्ष निगरानी के माध्यम से संगृहीत आँकड़ों का अधिकतर प्रयोग पर्यवेक्षण कार्य में किया जाता है । जबकि प्रत्यक्ष निरीक्षण पर्यवेक्षण का प्रमुख तरीका होता है, परोक्ष निगरानी (ओएसएस) अप्रैल 2001 में 55 अनुसूचित बैंकों के लिए आरंभ की गयी थी । अनुसूचित बैंकों को 10 ओएसएस विवरणियाँ भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रस्तुत करनी होती थीं। बाद में यूसीबी से प्राप्त की जा रही जानकारी के विस्तार और गहनता को बढ़ाने और उनके द्वारा प्रस्तुत किये जाने के लिए अपेक्षित आँकड़ों के परिमाण को घटाने के उद्देश्य से इन विवरणियों को युक्तियुक्त बनाया गया। इस प्रकार मार्च 2005 से ओएसएस विवरणियों की संख्या 10 से घटाकर 8 कर दी गयी (7 तिमाही और 1 वार्षिक) । यूसीबी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों की संख्या उनके आकार और अनुसूचित हैसियत की दृष्टि से घटती-बढ़ती है , जो निम्नानुसार है :

अनुसूचित यूसीबी	32
गैर-अनुसूचित यूसीबी, जिनकी जमाराशि 100 करोड़ रुपये से अधिक है	26
स्तर II गैर-अनुसूचित यूसीबी, जिनकी जमाराशि 50 करोड़ रुपये से अधिक है	26
स्तर I और स्तर II बैंक, जिनकी जमाराशि 50 करोड़ रुपये से कम है	18

2.4.1 क्षेत्र की मापन संबंधी आवश्यकता

यूसीबी बैंकिंग प्रणाली की लगभग 5 प्रतिशत जमाराशियों और लगभग उतने अग्रिमों के लिए जिम्मेवार हैं । कारोबार में उनका हिस्सा कम रहने के बावजूद यूसीबी वित्तीय समावेशन के साधन के रूप में सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण अंशदान करते हैं । इस समय अनेक यूसीबी की वित्तीय स्थिति चिंता का विषय है । भारतीय रिज़र्व बैंक के पास एक प्रणाली है, जिसके द्वारा वह यूसीबी को चार श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, जो उनके कार्य - निष्पादन और सुदृढ़ता पर आधारित होता है । जबकि श्रेणी I के बैंकों को सुदृढ़ माना जाता है, श्रेणी II के यूसीबी में थोड़ी दुर्बलता होती है, जहाँ अपेक्षित प्रत्युत्तर छोटे-मोटे समायोजनों तक सीमित होते हैं और श्रेणी III तथा IV के बैंक दुर्बलता/रुग्णता दिखाते हैं (देखें बॉक्स 2.1)।

मार्च 2006 में 1853 यूसीबी में से 677 यूसीबी (37%) श्रेणी III और IV में थे, जो दुर्बल और रुग्ण बैंक के सूचक थे । यह भी कि, हालाँकि यूसीबी बैंकिंग प्रणाली के कुल अग्रिमों के 5% के लिए जबाबदेह

बॉक्स : 2.1 शहरी सहकारी बैंकों के श्रेणी निर्धारण के लिए मानदंड

शहरी सहकारी बैंकों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा, श्रेणी I,II,III और IV, जो कुछ व्यापक विवेकपूर्ण संकेतकों पर आधारित होता है और निम्नलिखित ढंग से किया जाता है :

(क) श्रेणी I : सुदृढ़ बैंक, जिनके लिए कोई पर्यवेक्षकीय चिंता नहीं होती है ।

(ख) श्रेणी II : निम्नलिखित में से किसी एक पैरामीटर को पूरा करने वाले बैंक :

- जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी का अनुपात (सीआरएआर) : निर्धारित मानदंड से एक प्रतिशत कम; या
- अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए) 10 प्रतिशत या अधिक, लेकिन 15 प्रतिशत से कम;
- पिछले वित्तीय वर्ष में निवल हानि उठायी; या
- पिछले वित्तीय वर्ष में आरक्षित नकदी निधि अनुपात(सीआरआर)/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाये रखने में चूक की और/या चालू वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर बनाये रखने में न्यूनाधिक लगातार चूक होती रही है ।

(ग) श्रेणी III : ऐसे बैंक, जो निम्नलिखित में से किसी दो पैरामीटर को पूरा करते हैं :

- सीआरआर न्यूनतम निर्धारित से 75 प्रतिशत कम लेकिन अपेक्षित स्तर का 50 प्रतिशत या अधिक;
- निवल एनपीए 10 प्रतिशत या अधिक, लेकिन 15 प्रतिशत से कम;
- पिछले तीन वर्षों में से दो वर्षों तक निवल हानि उठायी ।

(घ) श्रेणी IV : ऐसे बैंक, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं :

- सीआरआर निर्धारित सीमा के 50 प्रतिशत से कम; और
- निवल एनपीए पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार 15 प्रतिशत या उससे अधिक।

हैं, उनमें कुल एनपीए के लगभग 20% समाविष्ट हैं । इस प्रकार यूसीबी समाज के मध्य और निम्न तथा सीमांत वर्ग के लोगों की सेवा करने की उनकी योग्यता और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाये रखने में उनके महत्व, दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं । इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि यूसीबी पर 'निरंतर पर्यवेक्षण' करते रहने की एक प्रणाली बनायी रखी जाये और एक आरंभिक-चेतावनी प्रणाली भी स्थापित की जाये, ताकि इन बैंकों की वित्तीय स्थिति में ह्रास आने की आरंभिक अवस्था में ही तत्परतापूर्वक कार्रवाई की जा सके ।

2.4.2. अवधारणाएँ, परिभाषाएँ और वर्गीकरण

क. स्तर I और स्तर II यूसीबी - ऐसे यूसीबी, जिनकी जमाराशि 100 करोड़ रुपये तक है ओर जो एक ही जिले तक सीमित हैं, उन्हें स्तर I बैंक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और अन्य बैंकों को स्तर II बैंक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

ख. श्रेणियाँ - यूसीबी को भिन्न-भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जो उनके कार्य - निष्पादन और सुदृढ़ता पर आधारित होता है, जैसाकि पहले बताया गया है (देखें बॉक्स 2.1)।

ग. एनपीए - कोई आस्ति तब अनर्जक बन जाती है, जब वह बैंक के लिए आय का अर्जन नहीं करती है । इसके पहले किसी आस्ति को 'पास्ट ड्यू' की अवधारणा के आधार पर एनपीए के रूप में माना जाता था । 31 मार्च 2001 से 'पास्ट ड्यू' की अवधारणा को छोड़ दिया गया है और 31 मार्च 2004 से ऐसी कोई राशि, जो

किसी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को प्राप्य हो, बैंक द्वारा नियत तिथि को अदा नहीं किये जाने पर 'अतिदेय' मानी जाती है। एनपीए का निर्धारण 90 दिनों के अतिदेय मानदंड के आधार पर किया जाता है ।

घ. अंतरराष्ट्रीय मानदंडों की तुलना में स्तर I बैंकों के लिए एनपीए की परिभाषा भिन्न होती है- जिन बैंकों का परिचालन एक ही जिले तक सीमित रहता है और जिनके पास जमाराशि 100 करोड़ रुपये से कम होती है (स्तर I बैंक), उन्हें आस्तियों को अनर्जक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए 180 दिनों के बकाये का मानदंड अपनाने की अनुमति दी जाती है, जबकि बड़ी सहकारी संस्था और सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए 90 दिनों का मानदंड निर्धारित है ।

ङ. निवल मालियत - चुकता पूँजी +आरक्षित निधियाँ (सांविधिक और पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियाँ)+अविनियोजित लाभ (या घटाव संचित हानि) - अमूर्त आस्तियाँ - अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान में कमी - सहायक संस्थाओं में निवेश।

च. कुल आस्तियों में एक प्रतिपक्षी मद, यथा, अतिदेय ब्याज आरक्षित निधि (ओआइआर) शामिल होता है ।

2.4.3. स्रोत और प्रणालियाँ

यूसीबी से संबंधित आँकड़े विविध विवरणियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं । आँकड़ा संग्रहण में शामिल यूसीबी और एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणियों को अनुबंध 2.15 में प्रस्तुत किया गया है। बैंकों द्वारा प्रस्तुत किये गये आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम और बैंककारी विनियमन अधिनियम द्वारा निर्धारित रूप में होते हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक कुछ आँकड़े बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 27(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राप्त करता है ।

2.4.4. गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करना

आँकड़ों की सत्यता बनाये रखने के लिए जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपनाया गया है वह विवरणियों के भीतर और बाहर आँकड़ा संगति के लिए जाँच की सुविधा प्रदान करता है । आँकड़ों की गुणवत्ता की जाँच भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसी अवधि के प्रत्यक्ष आँकड़ों की तुलना परोक्ष आँकड़ों से करके की जा सकती है । क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दिये गये आँकड़ों की गुणवत्ता भी समय-समय पर संकलित अंतर संबंधी रिपोर्टों के रूप में की जाती है। एक ही आकार वाले सभी बैंकों के लिए संगति जाँच भी मानक रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है ।